लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2—मंगलवार, 12 नवम्बर, 1974/21 कार्तिक, 1896 (शक)

No. 2—Tuesday, November 12, 1974/Kartika 21, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
रूमानिया के संसदीय प्रतिनिधी मंडल का स्वागत	Welcome to the Romanian Parliamentary Delegation	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
21	माल भाड़े की दरों में की गई रियायतें वापिस लेना	Withdrawal of Concession in Freight Rates . . .	1–3
22	कालटेक्स और एक्सन द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in prices of Crude by Caltex and Exxon	3–5
24	नैपथा का निर्यात	Export of Naphtha . . .	5–8
25	पैट्रोल, मिट्टी के तेल और डीजल का आयात, खपत और सप्लाई	Import, Consumption and Supply of Petrol, Kerosene Oil and Diesel . . .	8–11
27	वर्ष 1975 में मध्यावधि चुनाव कराने के लिये लोक सभा को भंग करने का प्रस्ताव	Proposal to disolve Lok Sabha to hold midterm Election in 1975 . . .	12–13

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
23	कोयले की कमी के कारण रेल गाड़ियो को बन्द किया जाना	Cancellation of Trains due to Shortage of Coal . .	13
26	पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात	Export of Petroleum Products	13–14
28	अगरतला को शेष भारत के साथ जोड़ना	Linking of Agartala with Rest of India	14
29	विदेशी कम्पनियों द्वारा कुछ कीमती दवाइयों का उत्पादन	Production of certain Costly Drugs by Foreign Companies	14–15
30	दक्षिण रेलवे के माल यार्डों से न छुड़ाये गये खाद्यान्न की खेपों की सूची	List of Consignments of Foodgrains not cleared from Goods Yards on Southern Railway	15
32	राज्यो को मिट्टी के तेल का आवंटन करने का आधार	Basis for Allotment of Kerosene Oil to States . . .	15–16
33	आसाम में नए तेल क्षेत्रों का पता लगना	Discovery of New Oil Fields in Assam	16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
37	यूनाइटेड अरब एमिरेटस को हल्दिया तेल शोधक कारखाने के इक्विटी शेयर देने का प्रस्ताव	Proposal to offer Equity Shares of Haldia Refinery to UAE	16–17
38	दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों में यात्रियों की संख्या	Occupancy of Trains running between Delhi and Bombay	17
39	बर्मा शैल और कालटैक्स के शेयर लेने का नया सिद्धान्त	New Formula for acquiring Shares of Burmah Shell and Caltex	18
40	बिहार में बाढ़ के कारण गढहर यार्ड में रुके हुए वगन	Wagons held up at Garhara Yard due to Floods in Bihar	18

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
201	यात्री और माल यातायात में कमी	Decline in Passenger and Freight Traffic . . .	18
202	शेयरधारियों के राष्ट्रीय फोरम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by National Forum of Shareholders	18–19
203	हिन्दू मंदिर संरक्षण समिति, तमिलनाडु द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Hindu Temple's Protection Committee, Tamil Nadu	19
204	कांगड़ा घाटी रेलवे में रेल मार्ग का निर्माण	Construction of Alignment in Kangra Valley Railway	19
205	सिन्दरी उर्वरक संयंत्र का विस्तार	Expansion of Sindri Fertiliser Plant	19–20
206	सोडा ऐश प्रोजेक्ट के लिये अमोनियम के नियतन के लिये केरल से अनुरोध	Request from Kerala Government for Allotment of Ammonium for Soda Asha Project	20
207	तस्करों पर मुकदमे चलाने के लिये विशेष न्यायालय	Special Courts to try Smugglers	20–21
208	मैसर्स एबट्स को विभिन्न प्रकार की औषधियां (फार्मुलेशन्स) तैयार करने की क्षमता	Capacities of different formulations of M/s Abbotts .	21–22
209	क्षेत्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति (दक्षिण-पूर्व रेलवे)	Zonal Railways Users' Consultative Committee (South Eastern Railway) . . .	22
210	राईवाला (हरिद्वार) में रेलवे के लिये स्काउटों और गाइडों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्र	Centre for Specialised training to Scouts and Guides for Railways in Raiwala (Hardwar)	22–23
211	माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये उपाय	Steps taken to simplify Transportation of Goods . .	23–24

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
212	आसाम के तेल क्षेत्रों में तेल उत्पादन बढ़ाना	Stepping up of Oil Production in Assam Fields . . .	24
213	पूर्व रेलवे की वैगन सप्लाई शुल्क के रूप में सरकारी और गैर सरकारी फर्मों की ओर बकाया भारी राशि	Public and Private Sector Firms owing sums to Eastern Railway for Supply of wagons	24
214	जापानी ऋण की सहायता से तीन उर्वरक संयंत्रों की स्थापना	Setting up of three Fertilizer plants with Japanese Credit	25
215	पंजाब को पैट्रोल पम्पों का आवंटन	Allotment of Petrol Pumps to Punjab	25
216	जनवरी, 1974 के बाद भारतीय रेलवे में दुर्घटनाएं	Accidents on Indian Railways since January, 1974 . .	25
217	माल प्लैटफार्मों पर जमा माल की नीलामी से हुई आय	Proceeds due to Auction of Goods accumulated at various sidings	26
218	गैस सिलैंडरों पर मीटर लगाया जाना	Fixation of Meters on Gas Cylinders	26
219	विशिष्ट स्वविवेकी शक्तियों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती	Recruitment of S.C./S.T. under special discretionary Powers	26
220	मध्य रेलवे में गार्डों को ऊनी ओवरकोट दिया जाना	Supply of Woollen Over coats to Guards (Central Railway)	27
221	असिस्टेंट आफिसरों (गैर वर्गीकृत) को स्थायी करना	Confirmation of Assistant Officers (Unclassified) .	27–28
222	तमिल नाडू सरकार द्वारा रेल वैगनों से खाद्यान्न जमा करना	Seizure of Foodgrains from Wagons by Tamil Nadu Government . . .	28
223	पैट्रोल की कमी को ध्यान में रखते हुए राजपथ पर मोटर कार दौड़ाने पर प्रतिबन्ध का प्रस्ताव	Proposal to Ban Motor Car Racing on Highway in view of Petrol Shortage . .	29
224	निर्वाचनों में व्यय	Election Expenses . . .	29
225	सतना रीवा ब्योहरी रेल लाइन	Satna Rewa Beohari Railway Line	29–30
226	पूर्वी भारत के सूती कपड़ा उद्योग द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Cotton Textile Industry in Eastern India	30
227	कटानिया घाट को कौरियाला घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) में जोड़ने के लिये रेल लाइन का निर्माण	Construction of Railway Line to connect Katania Ghat with Kauriyala Ghat (N.E. Railway)	30
228	भारतीय रेलवे के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices of Indian Railway	30–31

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
229	तमिल नाडु सरकार द्वारा खाद्यान्न के संचित स्टाकों को अधिकार में लेना	Take Over of Accumulated Stocks of Foodgrains by Tamil Nadu Government .	31
230	मेरठ लाईन पर यात्रियों का लूटा जाना	Looting and Robbing of passengers on Mecrut Line .	31–32
231	कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना के लिये पश्चिम बंगाल की योजना	West Bengal Scheme for a Coal Based Fertiliser Project .	32
232	भारतीय उर्वरक निगम के सभी एककों में बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up power plants in All Units of FCI . .	32
234	विश्व बैंक द्वारा भारत के उर्वरक एककों के लिये ऋण	World Bank Loan for Fertiliser Units in India . . .	32
235	कोरबा और पारादीप स्थित कोयला आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिये धन का आवंटन	Allotment of Funds for Coal based Fertiliser Plants at Korba and Paradeep . .	33
239	खनिज तेल की खोज	Exploration of Mineral Oil	33
238	सफदरजंग उपरि पुल के निर्माण में रेलवे का अंशदान	Amount shared by Railway in the construction of Safderjang Flyover . . .	33–34
239	दक्षिण मध्य रेलवे में रेलवे हाईस्कूल के हैडमास्तरों के द्वितीय श्रेणी के पदो पर तदर्थ नियुक्तियां	Ad hoc Postings for Class II Headmasters of Railway High Schools (South Central Railway)	34
240	औषधियों के ब्रान्ड नामों को समाप्त करने के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Hathi Committee to Abolish Brand Names of Drugs . . .	34
241	सेवा से बर्खास्त किये गये/हटाये गये स्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों की बहाली	Re-instatement of Permanent and Temporary Employees dismissed/removed from Service	35
242	लोडना कोलियरी कम्पनी लि० ग्लोब मोटर्स लि०, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि०, और भारत जूट मिल्स लि० के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. investigations against Lodna Colliery Co. Ltd., Globe Motors Ltd., New Standard Engineering Co. Ltd. and Bharat Jute Mills Ltd. .	35–36
243	रेल कर्मचारियों को सेवा से हटाने के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला	Calcutta High Court Judgement on removal from Service of Railway Personnel	36

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
244	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायलय का आकस्मिक रेल कर्मचारियों को बर्खास्तगी के बारे में निर्णय	Andhra Pradesh High Court Judgement on dismissal of Casual Railway Workers .	37
245	रूपसा तालबन्द नैरोगेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना	Conversion of Rupsa Talband Narrow Gauge line into Broad Gauge	37
246	स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Posts of Station Masters/Assistant Station Masters	37–38
247	भारतीय उर्वरक निगम में वित्तीय संकट	Financial Crisis in FCI .	38
248	पूर्वी रेलवे पर बी० डी० जी० डी० और सी० जी० लाइन पर रेल गाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains on B.D. G.D. and C.G. line on Eastern Railway	38
249	छोटे न्यायालयों में पड़े मामलो का निपटान	Disposal of cases pending with Small Courts . .	39
250	ट्रकों से माल की ढुलाई के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय की ओर से सुझाव	Suggestion from Shipping and Transport Ministry regarding Movement of Goods by Trucks	39
251	विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में आसाम विधान सभा द्वारा पारित संकल्प	Resolution passed by Assam Assembly regarding nationalisation of foreign Oil Companies	30–40
252	कुकिंग गैस के उत्पादन में वृद्धि के लिये भारतीय तेल निगम की योजना	Scheme of I.O.C. to increase production of Cooking Gas	40–41
253	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये अनुभव सम्बन्धी शर्त में रियायत	Relaxation of condition of Experience for S.C./S.T. .	41
254	भारतीय पूंजी को सहायोजित करने के बारे में मैसर्स मे एण्ड बेकर का प्रस्ताव	Proposal of M/s May and Baker for associating Indian Capital	41–43
255	निर्माताओ द्वारा माल डिब्बों के मल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in price of wagons by Manufacturers .	43
256	लखनऊ डिविजन (उत्तरी रेलवे) के रेल कर्मचारियों को बहाल करना	Re-instatement of Railway Employees of Lucknow Division (Northern Railway)	43–44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
257	एस्सो के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन को सप्लाई किया गया अशोधित तेल	Crude Oil supplied to HPC under Agreement with ESSO	44
258	धानूर-थय्यला (केरल) के बीच रेल क्रॉसिंग पर कार्य	Works on rail crossing between Thanur Thayyala (Kerala)	44–45
259	पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Petrol .	45
260	सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारियों द्वारा "नियमानुसार कार्य" आन्दोलन	Work to Rule agitation by Signal and Telecommunication staff	45–47
261	नये औषध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up new drug plants	47–48
262	श्रमिक असन्तोष के कारण हल्दिया उर्वरक संयंत्र समूह के चालू होने में विलम्ब	Delay in commissioning of Haldia fertiliser complex due to labour trouble .	48
263	रेलवे के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मचारियों को 1972-73 और 1973-74 में पदोन्नति	Promotion of S.C./S.T. Railway employees in 1972-73 and 1973-74	49
264	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये पृथक् पृथक् आरक्षण सूचियां (रोस्टर्स)	Separate rosters for reservation of S.C./S.T. . . .	49
265	तेल का आयात और खपत	Import and consumption of oil	49–50
266	उर्वरक बनाने के लिये नेफ्था का उपयोग	Utilisation of Naphtha for producing fertilisers . .	50
267	उर्वरक में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने सम्बन्धी योजना	Scheme to secure self sufficiency in fertilizers . . .	50–51
268	चौथी पंचवर्षीय योजना में खोली गई नई रेल लाइनों की वित्तीय स्थिति	Financial performance of New Railway Lines opened in Fourth Plan . . .	51–52
269	आल इंडिया लोकोमैन एन्ड रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेता के साथ बातचीत	Negotiations with leader of All India Locomen and Running Staff Association . .	52–53
270	मई, 1974 के दौरान प्रादेशिक सेना के सैनिकों द्वारा गाड़ियां चलाने के कारण हुई क्षति	Damage due to running of trains by Territorial Army Personnel during May, 1974	53
271	रेलवे में रोजगार के लिये कांग्रेस दल के संसद् सदस्यों की सिफारिशें	Recommendations of Congress M. Ps. for employment in Railways	53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
272	मैसर्स जे० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी ग्वालियर	M/s J. B. Mangharam and Company, Gwalior . .	53–54
273	रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन तथा सप्लाई	Production and supply of chemcial fertilisers . .	54
274	पश्चिम रेलवे में गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of trains on Western Railway . . .	54–55
275	गार्डों की वर्दी के रंग में परिवर्तन	Change in colour of uniforms of Guards	55
276	बलिया जिले में स्वतन्त्रता सेनानी शहीद स्मारक का निर्माण	Construction of Freedom Fighters' Saheed Smarak in Ballia District	55
277	ईरान से भारत को नरम शर्तों पर अतिरिक्त ऋण	Additional soft credit from Iran to India . . .	55–56
278	खाद्यान्न ले जाने वाली रेलगाड़ियों का लूटा जाना	Looting of trains carrying food-grains	56
279	कलकत्ता निगम को सिन्दरी उर्वरक कारखाने की पेशकश	Offer from Sindri Fertiliser Factory to Calcutta Corporation	56
280	मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड	Mysore Paper Mills Limited	56–57
281	दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री	Sale of Platform Tickets at Delhi and New Delhi .	57–58
282	पैट्रोल डीलरों को मिट्टी के तेल की बिक्री की अनुमति देना	Petrol Dealers permitted to sell Kerosene Oil . . .	58
284	विदेशी औषधि फर्मों द्वारा लाइसेंसों की शर्तों का पालन न किया जाना	Non Compliance of Terms of Licences by Foreign Drug Firms	58–59
285	इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन का ड्रग वित्त निगम बनाने का प्रस्ताव	Proposal from IDMA for the Establishment of a Drug Finance Corporation . .	59–60
286	यात्री गाड़ियों का पुनः चलाया जाना	Restoration of passenger trains	60
287	टाटा नगर से अमृतसर और टाटा-नगर से दिल्ली तक के लिये दूसरे दर्जे का डिब्बा	Second Class Bogie from Tatanagar to Amritsar and from Tatanagar to Delhi . .	60–61
288	जमशेदपुर में जुगसलई बाजार में सड़क उपरिपुल का निर्माण	Construction o Road over Bridge at Jugsalai Bazar at Jamshedpur . . .	61
289	केरल में रद्द की गई रेल सेवाओं को पुनः चालू करना	Re-Introduction of Trains Services cancelled in Kerala .	61–62

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
290	तेल की खोज के लिये विदेशी कम्पनियों को कोचीन तट दूर क्षेत्रों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव	Proposal to lease Cochin off shore area to Foreign Companies for Oil Exploration	62
291	बम्बई के खुले समुद्र में खुदाई कार्यों की प्रगति	Progress of Drilling Operations Bombay High	62
292	राजस्थान को पैट्रोल पम्पों का आवंटन	Allotment of Petrol pumps to Rajasthan	62
293	राजस्थान को नियत किए गए मिट्टी के तेल की मात्रा	Allocation of Kerosene Oil to Rajasthan	63
294	राजस्थान में बिना बिजली वाले रेलवे प्लैटफार्म	Railway Platforms without Electric Lights in Rajasthan	63
295	कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for Coal-based Fertiliser Plants	63–64
296	कोचीन रिफाइनरीज द्वारा इस्पात की चादरों का आयात	Import ofsteel sheets by Cochin Refineries	64
297	बम्बई के खुले समुद्र में सागर सम्राट द्वारा तेल की खोज	Oil exploration by Sagar Samarat in Bombay High	64–65
298	जैसलमैर में तेल की खोज की प्रगति	Progress in Oil exploration in Jaisalmer	65
299	गुजरात में बिना चौकीदारों वाले रेलवे क्रासिंग	Unmanned railway crossings in Gujarat	65–66
300	गुजरात राज्य को पैट्रोलियम और गैस का आवंटन	Allotment of petroleum and gas to Gujarat State	66–67
301	गुजरात में बर्खास्त/निलम्बित कर्मचारियों की बहाली	Re-instatement of dismissed/suspended employees in Gujarat	67
302	अन्य देशों में तेल की खोज के लिये भारत-रूमानिया सहयोग	Indo-Rumanian Cooperation to locate oil in other countries	68
303	बासपाणि-तालचेर रेलवे पर कार्य का पूरा होना	Compltеion of work of Banaspani-Talchar Railway	68
304	राज्य सरकारों को नए रूट के बस परमिट जारी न करने का निदेश	Directive to State Governments not to issue bus permits for new routes	68
305	गोआ में बिना बिजली की रोशनी वाले रेलवे प्लैटफार्म	Railway platforms without electric light in Goa	68
306	गोआ को आवंटित पैट्रोल पम्प	Petrol pumps alloted to Goa	69
307	गोवा को मिट्टी के तेल का आवंटन	Allocation of Kerosene Oil to Goa	69

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
308	विश्व बैंक से फुलपुर और सिन्दरी उर्वरक संयंत्रों के लिये सहायता	Assistance from World Bank for Phulpur and Sindri Fertilizer Plants	69–70
309	उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के उपाय	Measures to increase production of Fertiliser. . . .	70
310	हाल में हुई रेलवे हड़ताल के कारण अगस्त, 1974 तक निलम्बित किये गये रेल कर्मचारियों की जोनवार संख्या	Zone-wise Railway employees under suspension till August, 1974 due to recent railway strike	70–71
311	हावड़ा-रूरकेला एक्सप्रेस में डकैती	Dacoity on Howrah-Rourkela Express	71
312	कुछ फर्मों द्वारा लघु उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव	Offer to set up Mini Fertiliser Plants by some Firms	72
313	लिबिया द्वारा तेल की खोज के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को प्रस्तावित रियायतें	Concession offered by Libya to O & NGC for Oil Exploration	72
314	उर्वरकों के उत्पादन का कार्यक्रम	Programme for production of Fertilisers	72–73
315	पंजाब को मिट्टी के तेल का नियतन	Allocation of Kerosene Oil to Punjab	73–74
316	उड़ीसा में बिना बिजली की रोशनी वाले रेलवे प्लैटफार्म	Railway platforms without Electric Light in Orissa .	74
317	उड़ीसा को मिट्टी के तेल का नियतन	Allocation of Kerosene Oil to Orissa	74–75
318	सागर सम्राट द्वारा खुदाई कार्य पुनः आरम्भ करना	Re-starting of Drilling Operations by Sagar Samrat .	75
319	नई दिल्ली और हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रैस गाड़ी का घाटे पर चलना	Running of Rajdhani Express between New Delhi and Howrah at loss . . .	75–76
320	भुसावल-इटारसी यात्री गाड़ी को रद्द किया जाना	Cancellation of Bhusawal-Itarsi Passenger Train . . .	76
321	स्थानीय तथा बाह्य सामान के बारे में दायित्वों का विवरण (मध्य रेलवे)	Statement of Liabilities in respect of Local and External Goods (Central Railway)	76
322	मध्य प्रदेश में पांचवीं योजना के दौरान नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Madhya Pradesh during Fifth Plan period	76–77
323	मध्य प्रदेश में रेल कर्मचारियों के लिय अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र	Hospitals and Health Centres for Railway Employees in Madhya Pradesh . . .	77
324	पश्चिम रेलवे में उदयपुर स्टेशन	Udaipur Station on Western Railway	77

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
325	रक्सौल जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) के खोमचे वाले	Vendors of Raxaul Junction (North Eastern Railway)	77–78
326	रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन सम्बन्धी योजना में कटौती	Production of Chemical Fertilisers	78
327	रेल में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा का विमान यात्रा से महंगा होना	Travelling by Air Conditioned First Class more expensive than Air Travel . . .	78
328	अपीलीय न्यायधिकरणों में आयकर के मामले	Income-tax cases with Appelate Tribunals	79–80
329	किसानों को रियायती दरों पर डीजल की सप्लाई	Supply of diesel to farmers at concessional rates . .	80
330	सरकारी वहानों में प्रयोग होने वाले पैट्रोल डीजल के मूल्य में छूट देना	Rebate on petrol/diesel used in Government vehicles	80
331	भारतीय उर्वरक निगम को उत्पादन की हानि	Loss of production suffered by FCI . . .	80–81
332	पांचवी योजना में उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting-up of fertiliser plants in Fifth Plan . . .	81
333	तीसरी श्रेणी के डिब्बों को दूसरी श्रेणी के डिब्बों के रूप में परिवर्तित किये जाने पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on re-classification of III Class as II Class	81
334	दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों का वातानुकूलन	Air conditioning of Offices of Senior Officers of Danapur Division (Eastern Railway)	81–82
335	बिहार में बन्द के दौरान रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Railways in Bihar during Bandh . .	82
336	औषध उद्योग के लिये जानकारी का आयात करने हेतु कुछ अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा	Tour abroad by some officials to import know-how for drug industry	82–83
337	राज्य व्यापार निगम और इण्डियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के पास औषधियों और कच्चे माल का जमा होना	Accumulation of drugs and raw materials with STC and IDPL	83–84
338	मई, 1974 की हड़ताल से पूर्व विद्यमान यथा स्थिति कायम करना	Restoration of status quo ante as existed before May, 1974 strike	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
339	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increased in price of crude by foreign Oil Companies	84–85
340	विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of foreign Oil Companies	85–86
341	यात्री यातायात में गिरावट	Decline in passenger traffic .	86
342	मत देने की आयु को कम करना	Lowering of voting Age .	86
343	तेल की खोज के नए तकनीक	New Techniques for oil exploration	87
344	गाड़ियों का विलम्ब से चलना	Late running of trains . .	87
345	बिहार में डीजल तथा पैट्रोल पंपों का खोला जाना	Opening of Diesel-cum-Petrol Pumps in Bihar . . .	88
346	भारतीय रेल व्यवस्था के लिये विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loans for Indian Railways	88
347	बर्मा शैल द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in price of Crude by Burmah Shell	88–89
348	आन्दोलन के कारण उत्तर प्रदेश में रेलवे की हुई हानि	Loss suffered by Railways due to Agitation in Uttar Pradesh	89
349	गत एक वर्ष के दौरान बम्बई डिवीजन में रेलगाड़ियों में दम घुटने से मौतें	Deaths due to suffocation in trains in Bombay Division	89
350	रेल दुर्घटनाओं के फलस्वरूप जान तथा माल को हुई हानि के कारण वर्ष 1973-74 के दौरान दिया गया मुआवजा	Compensation paid for loss of life and property in Railway accidents during 1973-74	89–90
351	1974 के दौरान रेलवे में यात्री तथा माल यातायात में गिरावट	Decline to passenger and goods traffic during 1974 . .	90
353	अनुसंधान और विकास के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये औषधि एककों को निर्देश	Directive to drug units to strengthen facilities for research and development	90–91
354	देश में कुछ औषधियों की कमी	Scarcity of certain drugs in the country . . .	91
355	एसो कम्पनी द्वारा अपने बम्बई तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल की सप्लाई	Supply of crude oil by ESSO for its Bombay Refinery	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
356	दिल्ली के औषध निर्माताओं के लिये कच्चे माल की कमी	Shortage of raw meterial for drug manufacturers in Delhi	92
357	चाल वर्ष के दौरान की रेलवे की आय में वृद्धि करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to increase Railways earnings during current year	93
358	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन स्थित एकक को हड़ताल के कारण हुई क्षति	Loss to Cochin Unit of FACT due to strike . . .	93–94
359	मिट्टी के तेल की मांग और सप्लाई	Demand and supply of Kerosene oil	94
360	तेल की खोज के लिये रुमानिया के करार	Agreement with Rumania for Oil exploration . . .	94–95
361	रेल मार्ग का विद्युतीकरण	Electrification of Railway tracks	95
362	शोधनशालाओं में नेफ्था का जमा होना	Accumulation of Naptha in Refineries . . .	95–96
363	कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना	Setting up of coal based fertiliser plants	96
364	जोनस रेलवे द्वारा वस्तुओं की नीलामी	Auction of goods by Zonal Railways	96–97
365	बिहार बंद के दौरान रद्द की गई गाड़ियां	Trains cancelled during Bihar Bandh	97
366	पैट्रोल का मूल्य और उसकी खपत	Price of petrol and its consumption	97
367	स्थायी तथा नैमित्तिक रेलवे मजदूरों की बर्खास्तगी के बारे में उच्च न्यायालयों का निर्णय	High Courts judgement on dismissal of permanent and casual Railway labour	97–98
368	रेल हड़ताल के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति का वक्तव्य	Former President's statement on Railway strike . .	98–99
369	त्रिपुरा में गैस के निक्षेप	Gas deposits in Tripura. .	99
370	पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में तट से दूर तेल की खोज	Off shore oil Exploration in coastal belt of West Bengal	99–100
371	अमरीकी कम्पनी द्वारा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन को अपना अशोधित तेल सप्लाई करने के लिये ऋण सुविधाओं का वापस लिया जाना	Withdrawal of credit facilities by the U.S. Company for supply of crude to HPC	100

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
372	सियालदह डिवीजन में ई० एम० यू० कोचों की हालत और रेलगाड़ियों का ठीक समय पर चलना	Punctuality of trains and condition of E.M.U. coaches on Sealdah Division	100–101
374	नांगल तलवाड़ा रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य	Construction work on Nangal Talwara Railway	101
375	उत्तर रेलवे के वफादार रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार	Employment to children of loyal railway employees on Northern Railway	101–102
376	चुनावों पर व्यय	Expenditure on elections	102–103
377	मथुरा तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress on setting up of Mathura Rafinery	103
378	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के लिये योजना में नियत राशि में कटौती	Cut in plan allocation for IDPL	103–104
379	विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम	Rules regarding appointment of Chairman and Members of various Railway Service Commissions	104
380	रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबंधित आदेशों को क्रियान्वित किया जाना	Implementation of orders relating to S.C./S.T. in Railways	104–105
381	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को उनके मूल निवास स्थान के निकट तैनात किया जाना	Posting of S.C./S.T. near Home Towns	105
382	बी० ए० एलियास एण्ड कम्पनी कलकत्ता	B.N. Elias and Company, Calcutta	105
383	मारुति लिमिटेड, हरियाणा	Maruti Limited, Haryana	106–108
384	सोनपुर से बाराबंकी सम्पर्क के लिये ब्राडगेज (बड़ी लाइन) बिछाने हेतु ठेका दिया जाना	Contract for B.G. construction from Sonepur to Barabanki Link	108
385	हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Haldia Rafinery	108
386	आवश्यक औषधियों के उत्पादन में बहुदेशीय निगमों का एकाधिकार	Monopoly of multinational corporations in production of essential drugs	109
387	मथुरा शोधनशाला का क्रियान्वयन	Implentation of Mathura Refinery	109–110
388	मैसर्स इ० मर्क द्वारा अनधिकृत उत्पादन.	Unauthorised production by M/s E. Merck	110

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
389	आर्थिक अपराधों के बारे में मुकदमा चलाने हेतु विशेष न्यायालय	Special Courts to try Economic Offences	110–111
390	दावा न की गई वस्तुओं की बिक्री के लिये रेल अधिनियम में संशोधन	Amendment of Act to sell unclaimed goods	112
391	ऐसे रेल कर्मचारियों के मामलों के के बारे में निर्णय जिनकी सेवा में व्यवधान हो रहा है	Decision on cases of Railwaymen facing break in service	112
392	रेल अधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें	Complaints regarding corruption and abuse of power by Railway Officers	112–113
393	जसीदाह वैद्यनाथ धाम सेक्टर में दैनिक यात्रियों को हो रही अनुसुविधाओं के बारे में ज्ञापन	Memorandum about inconvenience caused to commuters in Jasidih Vaidyanath Dham Sector	113
394	गंगाजल दूषण जांच समिति की सिफारिशें	Recommendations of Ganga Pollution Inquiry Committee	113–114
395	रसायन उद्योग का विकास	Development of Chemical Industry	114
396	अधिक खपत वाली औषधियों में मूल्य ढांचे पर कार्यकारी दल की सिफारिशें	Recommendations of Working Group on the Cost Structure of Bulk Drugs	114–115
397	माल डिब्बा निर्माण कार्यक्रम में कटौती	Cut in Wagon Building Programme	115
398	कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान दिये जाने पर रोक लगाने संबंधी कानून में संशोधन	Amendment of Law prohibiting donations to political parties by Companies	115
399	पैट्रोलियम के बिक्री मूल्य में कमी करने का प्रस्ताव	Proposal to reduce sale price of petroleum	115–116
400	कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को धन देना	Donations to Political Parties by the Companies	116–117
विशेषाधिकार का प्रश्न —		Question of Privilege—	
	आयात लाइसेंसों संबंधी मामला	Import Licences Case	118–120, 141–146
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	120–122
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	देश में गम्भीर विद्युत संकट	Reported power crisis in the country	122–128

विषय		SUBJECT	पृष्ठ PAGES
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—		Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
46 वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया		Forty-sixth Report—Presented .	128
नौसेना (संशोधन) विधेयक—		Navy (Amendment) Bill—	
खंड 1 और अधिनियमन सूत्र		Clause I and the Enacting Formula	129–130
पारित करने के लिये प्रस्ताव संशोधित रूप में–		Motion to pass, as amended—	
श्री जे० बी० पटनायक		Shri J. B. Patnaik . .	130 व 131
श्री पी० के० देव		Shri P. K. Deo .	130
श्री एस० एम० बनर्जी		Shri S. M. Banerjee .	131
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी		Shri M. Ram Gopal Reddy	131
भारतीय रक्षा संकर्म (संशोधन) विधेयक—		Indian Works of Defence (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—		Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री जे० बी० पटनायक		Shri J. B. Patnaik .	131–132 व 135
श्री मोहम्मद इस्माइल		Shri Mohammad Ismail .	132
श्री एस० एम० बनर्जी		Shri S. M. Banerjee. .	132–133
श्री राम रतन शर्मा		Shri R. R. Sharma . .	133
श्री जे० माता गौडर		Shri J. Matha Gowder .	133–134
श्री नाथू राम अहिरवार		Shri Nathu Ram Ahirwar .	134
श्री जनेश्वर मिश्र		Shri Janeshwar Mishra .	134
खंड 2 से 4 और 1		Clauses 2 to 4 and 1 .	135
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में—		Motion to pass, as amended—	
श्री जे० बी० पटनायक		Shri J. B. Patnaik . .	135–136
रिजर्व बैंक आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक—		Reserve Bank of India (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—		Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी		Shrimati Sushila Rohtgi	136
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल		Shri Virendra Agarwal .	137
श्री नूरूल हुडा		Shri Noorul Huda .	137–138
श्री सी० के० चन्द्राप्पन		Shri C. K. Chandrappan	138–139
श्री नाथू राम मिर्धा		Shri Nathu Ram Mirdha	139–140
श्री जे० माता गौडर		Shri J. Matha Gowder .	140–141
श्री नाथू राम अहिरवार		Shri Nathu Ram Ahirwar	141

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 12 नवम्बर, 1974/21 कार्तिक, 1896 (शक)
Tuesday, November 12, 1974/Kartika 21, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock,

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

रुमानिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत
WELCOME TO THE ROMANIAN PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं एक घोषणा करता हूं :—

"अपनी और से तथा सदन के माननीय सदस्यों की और से समाजवादी गणतंत्र रुमानिया की ग्रेंड नेशनल असेम्बली के सभापति महामहिम प्रोफेसर डाक्टर निकोलाय गोयसेन तथा रुमानिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर है, का स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है ।

प्रतिनिधि मंडल आज सुबह यहां पहुंचा है और भारत में चार दिन रहेगा। हम चाहते थे कि वे हमारे देश में कुछ अधिक समय तक ठहरते, लेकिन उनके अन्य कामों के कारण उनके लिये चार दिनों से अधिक ठहरना सम्भव नहीं है। ठहरने की उनकी अवधि बहुत ही थोडी है लेकिन जहां तक सम्भव होगा हम उनके कार्यक्रम में अधिक से अधिक ऐसी बाते जोडेंगे जिससे वह थकावट न महसूस करें। वे इस समय स्पेशल बाक्स में बैठे हैं। हम कामना करते है कि इस देश में इनका समय आनन्दपूर्ण ढंग से बीते । उनके द्वारा हम उनकी ग्रेंड नेशनल असेम्बली, समाजवादी गणतंत्र रुमानिया के लोगों को अपनी बधाई तथा शुभ कामनायें देते है।"

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माल भाड़े की दरों में की गई रियायतें वापिस लेना

+

*21. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने, इस समय निर्यात की जाने वाली अनेक वस्तुओं के लिय माल भाड की दरों में दी गई रियायतें वापस लने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के प्रति वाणिज्य मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र): (क) और (ख) जी हां। मैंगनीज अयस्क और लोह अयस्क के अलावा यातायात के लिए बन्दरगाहों को बुक की जाने वाली सभी वस्तुओं के भाडे में जो अब तक रियायत दी जाती थी उसे वापस लेने का निश्चय किया गया है।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय ने इस निर्णय पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया है।

श्री एस० आर० दामाणी : मंत्री महोदय ने यह निर्णय उस समय लिया जब विदेशी बाज़ारों में बहुत प्रतियोगिता चल रही है । एक ओर तो हमारी लागत बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर प्रतियोगिता बहुत कटु है, ऐसे समय में भाडे की रियायतें वापिस ली गयीं है । इससे कितना लाभ होगा? इससे केवल 4 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । इस सम्बन्ध में कुछ वैकल्पिक सुझावों पर विचार विमर्श करने हेतु वाणिज्य तथा रेल मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाना था। मैं जानना चाहता हूं कि उस समिति ने क्या सिफारिश की है और क्या उन्हें स्वीकार किया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : अभी तक कोई सिफारिशें नहीं की गयीं है । इसकी अभी तक जांच हो रही है । इस समय अपने निर्णय को बदलना हमारे लिये बहुत कठिन है ।

श्री एस० आर० दामाणी : देश के दूरस्थ भागों में स्थापित उद्योगों को पत्तनों के निकट स्थित उद्योगों से प्रतियोगिता करने योग्य बनाने के उद्देश्य से यह उनके लिए एक प्रकार का प्रोत्साहन तथा एक प्रकार की सहायता थी। मैं जानना चाहता हूं कि देश के दूरस्थ स्थानों में स्थापित उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पडेगा क्यों कि हम वहां अधिकाधिक उद्योग स्थापित करना चाहते है ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक कच्चे माल के निर्यात का सम्बन्ध है, हम इसे अब भी जारी रखे हुए हैं, लोह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क निर्यात की मुख्य वस्तुएं है, जहां तक तैयार माल का सम्बन्ध है, ये उद्योग पत्तनों से अधिक दूर नहीं है । उनमें से अधिकांश बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थित है, मेरे विचार में भाडे की रियायतों का वापस लेने से निर्यात पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा । मेरा अनुभव है कि निर्यात करने वाले क्षतिपूर्ति आदि के रूप में अनेक रियायतें प्राप्त कर लेते है । वे बहुत लाभ कमाते आ रहे हैं ।

श्री जे० माता गौडर : वाणिज्य मंत्रालय ने किस आधार पर अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया है?

श्री एल० एन० मिश्र : उसी आधार पर जैसे कि श्री दामाणी ने निर्यात करने वालों को प्रोत्साहन देने के बारे में कहा है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : भाडे की रियायतें वापस लेने के बाद क्या निर्यात में कमी हुई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमारे निर्यात में कमी नहीं हुई है । 1958 में इसे पहली बार 9 वस्तुओं पर लागू किया गया और अब तक 153 वस्तुएं और जोड दी गयी है। लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क $3\frac{1}{2}$ करोड रुपये की रियायत प्राप्त कर रहे हैं ।

रियायत वापस लेने से हमें केवल 54 करोड रूपये प्राप्त होंगे।

Shri S. M. Banerjee : It was said for the information of the Railway Minister during discussion on Railway Budget last time that concession given to big business houses like the Birlas to the tune of 100 crores per year, should be withdrawn. Will Government withdraw the concession on items other than export so that capitalists do not get any concessions?

Shri L. N. Mishra : These questions were raised during the Budget Session by the hon. members particularly by Shri Inderjit Gupta. I think that there is some truth in it and we are looking into the entire freight structure and whichever amendments or modifications are necessary, will be made. It is the policy of Government to revise its stand regarding monopolisation by big houses.

Shri R. R. Sharma : The hon. Minister has not given any reply to the part (b) of the question. I want to know the names of the items which were allowed concession in freight and which have been withdrawn now?

Shri L. N. Mishra : There are 153 such items. Only iron ore and manganese ore have been left.

काल्टेक्स और एक्सन द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग

+

***22. श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काल्टेक्स तथा एक्सन द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में क्रमश: 50 सेंट तथा 33 सेंट प्रति बैरल वृद्धि करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उनसे कहां गया है कि प्रस्तावित मूल्य वृद्धि करने का स्पष्टीकरण दे और उन मूल्यों को निर्धारित करें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस मूल्य वृद्धि का भारतीय अर्थ व्यवस्था विशेषत: पेट्रोलियम और इसक उत्पादों पर क्या प्रभाव पडा है ?

श्री के० डी० मालवीय : पेट्रोलियम उत्पादों तथा अशोधित तेल की मूल्य वृद्धि का हमारी अर्थ व्यवस्था पर सचमुच बहुत अधिक प्रभाव पडा है। कुछ सेंटों की इस वृद्धि का प्रभाव जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है, लागत और अधिक बढ जाने द्वारा हुआ है फारस की खाडी के देशों में अशोधित तेल के मुल्यों में अनेक बार वृद्धि हुई है। अत: इससे मूल्य निर्धारण तथा औचित्य सम्बन्धी भ्रम पैदा हुये है। इस लागत के औचित्य को हम अब तक भी नहीं समझ पाये है। हमने काल्टेक्स तथा एक्सन तेल कंपनीयों को 50 सेंट तथा 33 सेंट वृद्धि करने के कारण बताने के लिये कहा है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार अनेक कदम उठा रही है और स्थिति से पूर्णत: परिचित है, लेकिन यह बात सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैट्रोलियम उत्पादों तथा कच्चे तेल के मामले में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है, जो हमारे काबू से बाहर है । हम स्थिति पर निगरानी रख रहे है और मित्र देशों तथा तेल का व्यापार करने वाली कम्पनियों से सम्पर्क स्थापित कर रहे है । हमें आशा है कि अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम स्थिति पर काबू पाने में सफल हो जायेंगे ।

श्री राजा कुलकर्णी : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है की सरकार ने तेल कम्पनियों को कच्चे तेल के मूल्य वृद्धि की मांग करने का स्पष्टीकरण करने के लिये कहा है, लेकिन क्या सरकार द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त करने से पहले ही ये तेल कम्पनियां इस मांग को दूसरे ढंग से अर्थात उपलब्ध विदेशी मुद्रा से कम अशोधित तेल का आयात करके मनवा लेंगी ? सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमने स्थिति पर विचार किया है । कालटेक्स तथा एक्सन कम्पनियां हमारे नियंत्रण से बाहर हों, ऐसी बात नहीं है ।

हम विदेशी मुद्रा की मंजूरी देते है और जब हम इस बात से संतुष्ट हो जाते है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना अपेक्षित ही था, तो उस समय की परिस्थिति को मानना ही पडता है । माननीय सदस्य को मालूम ही है कि अक्तूबर 1973 से अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है । अत: उसकी तुलना में 26 या 50 सेंट की जो वृद्धि की गई है, वह अधिक नही है यद्यपि हम इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उन्होनें वृद्धि क्यों की है । अत: जब भी हमें इस बात की जानकारी मिल जायेगी कि ऐसा किन कारणों के आधार पर किया गया, तब हम उनके साथ किसी न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नही होने देंगे जिनके कारण हमारे लिए कच्चा तेल प्राप्त करना कठिन हो जाये । अब स्थिति कठिन है इसलिए मैं माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करूगा कि वह स्थिति तथा उसकी समस्याओं को पहचानने का प्रयत्न करें ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It is known to everybody and has been accepted by the hon. Minister also that the prices of petrol have gone up, but the reason for this increase in prices has not been satisfactorily explained by the hon. Minister. It is very much in the air that petrol prices are going to be doubled in the next six months. May I know if, some measures are being taken to check the price rise ?

Shri K. D. Malaviya : The crude oil is not produced in our country and we purchase it according to our requirements from foreign countries. The crude oil is produced in the countries which sell it to us or we import the same from international Companies or refineries on commission basis. So we negotiate with both and purchase the same from the party who is prepared to give to us on cheaper rates. I think that now international circumstances are such that any of the parties may itself come forward with a proposal of our benefit. But even then if prices continue to increase, we will have to be self-sufficient by producing oil in our own country and Government is already concentrating its efforts in this direction.

Shri Inderjit Gupta : Nothing has been said about the rumours of price increase.

Shri K. D. Malaviya : In my opinion there is no possibility of prices being doubled in the next six months. But we are not the final authority for increasing or decreasing the prices.

Shri Janeshawar Mishra : Just now it was stated by the hon. Minister that he does not know why the prices of crude oil have been increased. I think there can be no other example of the Shallowness of the Government if its Minister does not know the reason for the

increase of crude oil price. May I know if any attempt has been made by Government or the hon. Minister to find out its reasons or whether any Parliamentary Committee has been set up for the purpose?

Shri K. D. Malviya : If the hon. Member considers himself to be more capable of saying some thing in the matter, let him come out with his views although I know it well that he is not that much capable nor can be he have any more information. In case he is willing to contact me, I willlet him know. If this issue can be sorted out by setting up a Parliamentary Committee, we will definately consider the same.

श्री एच० के० एल० भगत : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने की आशा कर सकते है और यदि हां, तो लगभग कब तक ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रही है कि हम कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जायें और जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं तो इस मामले में काफी आशावादी हूं कि आगामी कुछ वर्षों में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। किसी तेल भंडार का पता लगाने तथा उससे तल का उत्पादन करने में पांच वर्ष का समय लगता है। हमें अनेक तैल भंडारों का पता लगाना पड़ेगा और मुझे आशा है कि अपेक्षित समय में ही हमारे यहां तेल की काफी मात्रा का उत्पादन होने लगेगा जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो जायेगें ।

+ नैफ्था का निर्यात

***24. श्री वसन्त साठे :**

श्री धामनकर :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तेल शोधक कारखानों के सामने आयी गम्भीर उच्छिष्ट (सलेज) समस्या से छुटकारा पाने के लिये भारत द्वारा मजबूर हो कर नैफ्था की निर्यात बिक्री के किये जाने की संभावना के बार में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति किन कारणों से आई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) मोटर गैसोलीन की खपत को राज वित्तीय संसाधनों द्वारा कम किया गया है जिससे नेफ्था के उत्पादन में वृद्धि हो सके। तथापि संयंत्रों द्वारा कम उठाने के परिणाम स्वरूप नफ्था के स्टाक का संचय हुआ है । आज तक लगभग 1.24 लाख मी० टन नैफ्था का निर्यात किया गया और इस महीने में और 20,000 मी० टन निर्यात किये जाने की संभावना है। यदि आवश्यक समझा गया कि वर्ष में बाद में 50,000 मी० टन का निर्यात किये जाने की सम्भावना है । नैफ्था का निर्यात बाजार के वर्तमान मूल्यों पर किया गया है ।

वर्तमान उर्वरक संयंत्रों के पूर्ण क्षमता पर कार्य करने को सुनिश्चित करने तथा पूरे होने तक नये उर्वरक संयंत्रों के शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के प्रयत्न किये जा रहे है। उर्वरक संयंत्रों द्वारा नेफ्था के उठाने की नवम्बर से सुधार करने की आशा है ।

श्री वसन्त साठे : क्या इन्हें उस लगभग 1.50 लाख टन के आपात कालीन विक्रय की जानकारी है जिस में से 1.20 लाख टन का आयात किया भी जा चुका हैं तथा जिससे देश को 67 लाख डालर की हानि होगी क्यों कि मंडी मे भांव गिर गया है और मूल्य 125 डालर से गिर कर 80 डालर तक आ गया है ? एक बात तो यह है की हम नेफ्था का उपयोग उर्वरक संयंत्रों के लिए नही कर पाये है तथा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि उर्वरक संयंत्र अपनी अधिष्ठापित क्षमता का केवल 50 या 36 प्रतिशत तक ही कार्य कर रहे है। तेल शोधक कारखानों में जबरन छुटी कर दी जाती है और उर्वरकों में उत्पादन कम हो रहा है । क्या अपनी भी कल्पना इस बात को स्वीकार करती है कि दोनों में किसी प्रकार का ताल मेल है ? रक्षा मंत्रालय में इस आशय का परिपत्र जारी किया गया हैं कि सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों द्वारा कुछ न कुछ भंडार क्षमता बनाय दी रखी जाये। क्या ऐसा किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : इसमें संदेह नही कि 1.50 लाख या इससे कम नैफ्था का निर्यात किया गया है और उसमें से 1.24 लाख तक मूल्य पर तथा लगभग 10,000 टन अन्य मूल्य पर निर्यात किया गया है । परन्तु इस विक्रम के कारण हमें किसी प्रकार की हानि नही उठानी पडी क्यों कि जिस विक्रय मूल्य पर उसे बेचा गया है, उससे हमें लाभही हुआ है यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के उतार-चढाव पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ।

इसमें संदेह नही है कि नेफ्था के स्टाक का संचय होता रहा है क्यों कि उर्वरक संयंत्र उसका उपयोग करने में असमर्थ र है । इसका मुख्य कारण यह था कि कोरोमंडल उर्वरक संयंत्र के अगस्त महीने के अंत में रख-रखाव के कारण बंद कर दिया गया था, इसीलिए हम नेफ्था को नही उठा सके। फिर तीन महीने के लिए मद्रास उर्वरक संयंत्र को भी किसी कारणवश बंद करना पडा। विस्तार के कारण कोटा संयंत्र को बंद करना भी आवश्यक हो गया। अत: इन सभी संयंत्रों में नेफ्था की खपत में जबरन कमी करनी पडी । दुर्गापूर उर्वरक संयंत्र भी अभी अपनी औसत उत्पादन स्तर नही बना पाया है और हम यह पता लगाने का सक्रिय प्रयास कर रहे है कि उसमें उत्पादन कम क्यों हो रहा है । इसके यही दो कारण है ।

श्री वसंत साठे : ताल मेल के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री के० डी० मालवीय : तालमेल तो पूरा है । जब संयंत्र के उत्पादन तंत्र में कुछ तकनीकी असंतुलन आ जाता है तो इसका कारण सदा विभागों का तालमेल का न होना ही नहीं होता । इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकत है जिनकी हम जांच कर रहे है । इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और अब हम उस प्रतिवेदन के अध्ययन में लग हुये है, मेरे साथी, श्री गणेश द्वारा इनमें से कुछ संयंत्रों का दौरा किया गया है । हमें आशा है कि एक आध महीने में स्थिति में सुधार हो जायेगा। तथा नेफ्था की ढुलाई शीघ्रता से होने लगेगी।

श्री वसंत साठे : क्या यह सच है कि हमार यहां नेफ्था की अपेक्षा मिट्टी के तेल की कमी है और हम इस क्षमता को बेकार जाने देने से रोक कर उस का सदुपयोग कर सकते थे। आपने बताया कि हमें लाभ हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे देशीय मूल्य तथा विदेश से प्राप्त होने वाले मूल्य में अन्तर रहता है । परन्तु जब मैंने हानी की बात कही तो उस समय मेरा तात्पर्य विश्व मंडी के मूल्यों से था और वह कम होकर 80 डालर रह गए थे जिस पर आप की यह सहना पडा । दूसरी ओर आप मिट्टी के तेल का आयात कर रहे है । हम नेफ्था को मिट्टी के तेल में परिवर्तित क्यों नहीं कर सकते क्यों कि इसकी तो हमारी ग्रामीण जनसंख्या की काफी आवश्यकता रहती है ? क्या यह सच है कि हमने कुवेत पेट्रोलियम कम्पनी जैसी बहु राष्ट्रीय घोटाला कम्पनियों से मिट्टी के तेल का आयात किया है जो कि कुवेत की राष्ट्रीय कम्पनी नही है ?

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्यवश नेफ्था को मिट्टी के तेल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तेल शोधन कारखाने की आवसन प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है। नेफ्था और मोटर स्पिरिट आवसन की अपरी श्रेणी में आते है। मोटर स्पिरिट और नैफ्था को मिट्टीके तेल या डीजल में नहीं बदला जा सकता तथा डीजल और मिट्टी के तेल को नैफ्था में नहीं बदला जा सकता।

मध्यम दर्जे के आवसन में मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल में बदला जा सकता हैं। वर्षा की अनिश्चितता के कारण सरकार ने मिट्टी के तेल के स्थान पर हाई स्पीड डीजल के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने की नीति बनाई है। कृषि कार्यों के लिए हमें हाई स्पीड डीजल की आवश्यकता है। अतः हमारी नीति यह है कि मिट्टी के तेल का उत्पादन कम कर क हाई स्पीड डीजल के उत्पादन में वृद्धि की जाये तथा इनकी वृद्धि या कमी का नैफ्था के उत्पादन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मोटर स्पिरिट की खपत कम कर दी गई है और सरकार की नीति है कि मोटर स्पिरिट की खपत में वृद्धि न होने पाये। अतः यही कारण है कि नैफ्था को या तो उर्वरक में बदला जा सकता है या इसे स्टाक में रखा जाये और विदेशी मंडियों में प्रचलित मूल्यों पर बेचा जाये।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया क्योंकि कुछ उर्वरक संयंत्र बन्द कर दिए गए है इसीलिए हम देश में उत्पादित नेफ्था का उपयोग नहीं कर पाये तथा इसलिए उसका विदेशों को निर्यात किया जा रहा है। उन्हों ने यह भी बताया कि उनके साथी श्री गणेश ने अनेक इस्पात संयंत्रों का हाल ही में दौरा किया है तथा उन्हों ने हाल ही में दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र का दौरा भी किया है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि दुर्गापूर उर्वरक संयंत्र अभी उत्पादन के चरण में नहीं पहुंच पाया है। क्या यह सच नहीं है कि इटली की कम्पनी द्वारा घटिया किस्म का उपकरण सप्लाई किया गया है और इसीलिए इसमें उत्पादन नहीं हो रहा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कब तक सभी संयंत्र सुचारू रूप से उत्पादन आरम्भ कर देंगे ताकि नेफ्था दूसरे देशों को न भेजना पड़े?

श्री के० डी० मालवीय : दुर्गापूर उर्वरक संयंत्र में उत्पन्न तकनीकी असमानताओं में सुधार करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है और इसीलिए मेरे साथी वहां गए है और उन्होने उसे स्वयं जा कर देखा है। हमने इस सार मामले की जांच कराई हैं तथा समस्या की जांच करने के लिए इन उपकरणों को मिलाकर परीक्षण भी किया गया है। हमें आशा है कि आगामी एक-दो महीनों में यह सभी असमानतायें दूर हो जायेंगी और दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि होगी। हम यह सुनिश्चित करने के प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे उर्वरक संयंत्रों में अधिकतम कार्यकुशलता के साथ उत्पादन हो।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, it has been stated by the hon. Minister that it is the policy of Government to decrease the consumption of petrol and to save naphtha. That naphtha will be utilized for increasing the production of fertilizer. But it will also be within the knowledge of hon. Minister that besides fertilisers, naphatha is also used in petro-Chemical industries. On 1st March 1974, the price of naphtha for petro-chemical industries was increased from 272 Rupees per tonne to about Rupees 2,200 per tonne. After March, the petro-chemical industry was almost closed down. This price was increased because Mafat Lal, Union Carbides and Shanti Prasad Jain may run to the Minister and your inefficient precedessor took Rupees 2.5 crores from them. I am saying so because later on the price was reduced by one thousand Rupees per tonne, and not by ten or fifteen Rupees. Therefore, I want to know from hon. Minister.....

Shri Vasant Sathe : Do you mean to say that price has been reduced to the extent o which money was palmed of?

Shri Madhu Limaye : I do not mean that. You know it very well that prices are fixed by Costs Bureau, which does not work under the influence of liquor. The prices were increased so that Mafat Lal, Union Carbide and Shanti Prashad Jain may come to them and

later the price was reduced by rupees 1,000 per tonne. In the month of March, petro-chemical industry was almost closed. I want to know from hon. Minister that if there was provision of utilizing naphtha in our fertilizer plants, the export of petro-chemical products could have been increased by alloting more naphtha to the Public Sector projects such as Indian Petro-Chemical Corporation in Punjab. The question of proper co-ordination has been raised by my frien Shrid Sathe and I too want to know whether any long-term policy has been chalked out for making different uses of Naphtha. Otherwise you will continue to waste the national wealth like that?

Shri K. D. Malaviya : I think the hon. Member is a bit irritated and that is why he has intermingled many proper issues with improper ones. Otherwise he has raised some good points.

Naphtha is used in Petro-Chemical industries but its contribution is nominal. Whenever it is to be used in petro-chemical industries, it is 'cracked' and different products are supplied out of it. The Gujarat plant is allotted naphtha according to its requirement. It will be desirable if the requirement of the plant is more so that we might meet the same.

As regards the increase of price by Rupees 2,200, that was done because of abnormal increase in the price of crude oil which went beyond our control in October. So by increasing the prices, we made an attempt to pay off debt of crude oil. Shri Limaye will appreciate that when Government came to know that the price of Rupees 2,200 per tonne is too much and naphtha is used in pesticides, insecticides and other similar chemicals of petro-chemical industries, this price was reduced. That was the only reason for reducing the price. Other people doubt it unnecessarily and on this point a reply has been given by my former colleague also the price was reduced for benefiting all the Petro-chemical industries who use naphtha.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, are you satisfied with the clarification? Had his increase been that of 10 or 15 Rupees only, it would have been convincing but this fluctuation of 1,000 Rupees is not understood. It must have some mystery behind it.

श्री मोहनराज कलिंगारायर : नेफ्था उर्वरक बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्लास्टिक के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। देश में केवल दो ही ऐसी एकाधिकारी फर्में हैं जो लघु तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को ग्रेनुअल सप्लाई करती हैं। इसका मूल्य बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। इनका कहना है कि ऐसा नेफ्था उपलब्ध न होने के कारण किया गया है। इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्यात नीति को युक्ति संगत कैसे बनाया जायेगा क्योंकि हम तो अपने देश की मांग को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक देश के पैट्रो-रसायन और प्लास्टीक उद्योगों की मांग का सम्बन्ध है, सभी उत्पादकों को नेफ्था उचित अर्से पर उपलब्ध करवाया जाएगा क्योंकि हमारे पास नेफ्था काफी मात्रा में उपलब्ध है। यह मूल्य नेफ्था के उत्पादन मूल्य से कम तो नहीं हो सकता। परन्तु पैट्रो-रसायन उद्योगों के देशी उत्पादकों को नेफ्था उपलब्ध करवाने में कोई कठिनाई नहीं होगी और उनसे उसके लिए जो मूल्य वसूल किया जाएगा, वह उससे भी संतुष्ट होंगे।

पैट्रोल मिट्टी के तेल और डीजेल का आयल : खपत और सप्लाई

***25. श्री राम रतन शर्मा :**

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रयुक्त होने वाले कुल तेल का कितने प्रतिशत तेल आयात होता है और गत दो वर्षों में इसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) भारत में इसी अवधि में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का आज क्रमश: प्रति लिटर विक्रय मूल्य क्या है और उनमें कितना शुल्क और कर आदि शामिल है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) : (क) 1972 एवं 1973 के दौरान प्रयुक्त तेल की तुलना में भारत द्वारा आयातित तेल की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्रयुक्त तेल की तुलना में आयातित तेल की प्रतिशतः
1972	62.6%
1973	62.5%

1-1-72 एवं 1-1-74 को आयात किया जा रहा अशोधित तेल के मूल्यों में औसत मूल्य वृद्धि प्रतिशतता लगभग 407.5% है ।

(ख) विगत 2 वर्षों के दौरान हाई स्पीड डीजल आयल के मूल्य में 26.31% तथा पेट्रोल के मूल्य में 136.22% की वृद्धि हुई ।

(ग) हाई स्पीड डीजल आयल, पैट्रोल तथा मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रय मूल्यों तथा दिल्ली में करों एवं शुल्कों की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

	प्रति लीटर विक्रय मूल्य	विक्रय मूल्यों में सम्मिलित करों एवम् मूल्यों की प्रतिशतता
1. एच० एस० डी०	1.11	44.1
2. पेट्रोल	3.27	68.8
3. मिट्टी का तेल	1.08	40.7

श्री जी० जी० मावलंकर : ये तथ्य और आंकड़े मौखिक उत्तर की बजाय विवरण में दिए जाने चाहिये थे ।

Shri R. R. Sharma : Our optimistic hon. Minister has stated just now that we are importing 62 to 65 percent of crude oil. Through you, I would like to know how much progress we have made in the production of oil during last two years?

Shri K. D. Malviya : During last 2-3 years, production of oil has increased....

Shri Hukam Chand Kachwai : How much?

Shri K. D. Malviya : In my view, we are producing nearly 75 lakh tons more and I think we would be able to produce 7-8 lakh tons more in the next six months. When we would start getting crude from Bombay High, our production would further in crease. We hope that we would be able to produce much more crude indigenously in the next two years. Much headway has been made in this direction and the country should be satisfied with it. As the oil production goes up, the quantum of import would go down to that extent.

Shri R. R. Sharma : The honourable Minister is already aware of the fact that the prices of Kerosene, Petrol and Diesel are soaring in the market and he has also admitted this fact. I would like to know whether the Government would reduce its duty and sales tax to certain extent so that the consumers could get maximum relief, Duty could be reduced at least on Kerosene oil?

Shri K. D. Malviya : The prices of petroleum products are very high throughout the world, because the oil producing countries have raised the prices of crude-oil four to five times. That is why the prices are very high here also and the revenue accrues to the Government as a result thereof so that we could provide better service to the people.

श्री नुरुल हुडा : मंत्री महोदय ने अभी-अभी यह कहा है कि मिट्टी के तेल की खुदरा कीमत 1 रु० 8 पैसे लीटर है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में मिट्टी के तेल की कितनी कमी है और दूसरे क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि मिट्टी का तेल गाँवों में 2.50 रु० प्रति लीटर या उससे अधिक दर पर बिक रहा है और मिट्टी के तेल में ऐसी चोरबाजारी होने का क्या कारण है?

श्री के० डी० मालवीय : हम कुछ मात्रा में मिट्टी के तेल का आयात कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त सही-सही आंकड़े नहीं हैं। सम्भवत: यह दस लाख टन या उसके आसपास है।

श्री नुरुल हुडा : दस लाख टन?

श्री के० डी० मालवीय : हम दस लाख टन या उससे अधिक मात्रा में मिट्टी के तेल का आयात कर रहे हैं। मैं आज या कल जानकारी दे दूंगा। परन्तु तथ्य यह है कि जैसा कि मैंने अभी बताया, यह एक मध्यवर्ती आसुत है और सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं में मदद देने के लिए हम हाई स्पीड डीजल का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि मिट्टी के तेल की कमी के कारण यह निर्धारित मूल्य से कि अधिक मूल्य पर बिक रहा है और कमी की स्थिति का खुदरा विक्रेता पूरा लाभ उठा रहे हैं। मैं आज सदन में यह वक्तव्य देना चाहता हूं कि मैं यह सुनिश्चित करने के लिए गम्भीर और द्रुत प्रयास करूंगा कि मिट्टी के तेल और डीजल की कमी को दूर किया जाय। इसी उद्देश्य से, मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने के लिए इस महीने की 16 तारीख को हम एक बैठक आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इस बात पर विचार किया जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था में किस प्रकार सुधार किया जाय जिससे इसकी चोरबाजारी को रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के परामर्श के परिणामस्वरूप मिट्टी के तेल की कीमत में कमी होगी और राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई में भी वृद्धि होगी। इससे स्थिति में सुधार होगा।

Shri Sarjoo Pandey : The honourable Minister has stated that there is shortage of petrol, kerosene and diesel throughout the country. At many places, tractors and diesel-operated tube-wells are not being operated due to non-availability of diesel oil. Kerosene is not available in U. P. and, at many places, petrol pumps are without petrol for months together. I would like to know as to how much oil is being imported in the current year keeping in view all these things and what would be the method of distribution of oil to the States to ensure equitable distribution of oil to them?

Shri K. D. Malviya : I have just now stated before the House that distribution is generally made by State Governments or our Pumps. The prices are also fixed by them. In the Chief Ministers' Conference on 16th instant, I will consult them as to how improvement could be made in the distribution of kerosene and diesel. I hope that success would be achieved in this direction by improving the distribution system and increasing its availability. I have no doubt that people would get much relief by such an arrangement. The suggestions of the honourable Member are also welcome. I would like them to be considered in the meeting organised on 16th instant.

Shri Sarjoo Pandey : I would like to know his own line of thinking in this regard what is his scheme? All sorts of the activities have been crippled due to non-availability of oil. What is being done by the Government to make available the oil?

Shri M. C. Daga : I would like to know from the honourable Minister whether it is a fact that there were not any guide-lines to the states before 16th of November and as a result thereof, diesel and kerosene were not being distributed properly; whether such guide-lines have now been prepared to ensure equitable distribution?

Shri K. D. Malviya : The guide-lines were already there. It is not as if there was no kerosene, no petrol or no rule previously. It is not so. It has always been our endeavour to remove the difficulties, which have been created due to shortage. With this end in view, we have organised the meeting on 16th instant.

Shri Ram Sahai Pandey : Keeping in view the 68 per cent import and many-fold increase in the prices of Arab crude which we import as also our indigenous production, towards which the honourable Minister is optimistic, I would like to know whether there has been any discussion with the Shah of Iran during his recent visit to India regarding prices of oil and its import? He had stated in Vienna that the prices charged from developing countries would not be the same as charged from the developed countries. Such a decision has also been taken in the Conference of oil producing countries. What is the use of friendship with Arab countries if the price charged from us is the same as that from the developed countries?

Shri K. D. Malviya : There has been a discussion in this regard with Arab countries and especially with Iran. Sometimes, they express their desire for the reduction in prices and a contrary decision is taken in the meeting. The situation is not clear as to how prices would be reduced. Some countries threaten to increase the prices and some of them talk of reduction and the International Companies are exerting some other pressure. That is why the situation is not clear. The Government is continuosly reviewing the situation. We are having contacts and would try our best to get oil at the cheapest possible rates.

Shri Hukam Chand Kachwai : I would like to know from the honourable Minister as to how much oil is imported from the foreign countries? In India, Diesel and Kerosene oil is an essential requirement of life and it is not being supplied in sufficient quantity to the people. What action is being taken to make it available to the people at fair prices? What is the method of distribution of oil to each of the States? Is oil distributed according to the consumption or according to their own-criterion?

Shri K. D. Malviya : Mr. Speaker, Sir, I have said in reply to other questions that efforts are being made to reduce the prices and to import it from abroad. We are importing it from Saudi Arabia. We are also getting it through companies like Burmah Shell and Caltex. We are making every effort to get it at the cheapest possible rates.

वर्ष 1975 में मध्यावधि निर्वाचन कराने के लिये लोक सभा को भंग करने का प्रस्ताव

*27. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई सत्यता है कि सरकार का विचार वर्ष 1975 में वर्तमान लोक सभा को भंग करने और मध्यावधि निर्वाचन कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, you might recall that during December session in 1970, a similar reply was given to a question that Lok Sabha would not be dissolved, but Lok Sabha was dissolved on 27th of December, 1970. I would like to know whether this contradiction is not similar to that made on the previous occasion and Lok Sabha would be dissolved after the Session is over?

Shri Hukam Chand Kachwai : I have got full information that they are going to hold the elections. They have got crores of rupees, which they have got from the smugglers. The Congress Party has a fund of ten crores of rupees and they have no difficulty at all.... (*Interruptions*)

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, the words "the Congress has got ten crores of rupees of smuggling" be expunged from the proceedings; otherwise action should be taken against him.

Shri Hukam Chand Kachwai : Smt. India Gandhi has received the money and she has been photographed with them.

Mr. Speaker : What is it, when they are denying it, you are asking a hypothetical question? All the Prime Ministers throughout the world, hold elections in their own way. They do not consult you. Even their parties do not know anything about that.

Shri Ramavtar Shastri : Let him reply to my question.

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न यह है :

"क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई सत्यता है कि सरकार का विचार वर्ष 1975 में वर्तमान लोक सभा को भंग करने और मध्यावधि चुनाव कराने का है?"

इसका उत्तर यह है : "ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।" और क्या उत्तर मैं दूं ?

Shri Ramavatar Shastri : My second question is that such published reports certainly have a source or basis. Have you tried to find out that? Is it a fact that the proposal for elections is not being considered, because the delimitation work of constituencies has not been completed? How long would it take to complete it?

श्री एच० आर० गोखले : समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि समाचारपत्रों में सभी प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं ।

परिसीमन के बारे में मैं उत्तर देना चाहूंगा। परिसीमन का कार्य हो रहा है। वे यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जुलाई, 1975 तक सभी राज्यों का परिसीमन कार्य वे पूरा कर लेंगे।

श्री पीलू मोदी : मैं मंत्री महोदय से, उनके बृहद् कानूनी पृष्ठ भूमिको ध्यान में रखते हुए, यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की राय में बिहार विधान सभा को भंग करना अलोकतान्त्रिक है, जबकि संसद को भंग करना लोकतान्त्रिक है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे राय व्यक्त करने के लिए नहीं कह सकता। आप केवल तथ्यों के बारे में पूछ सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I have got a copy of "*Panchjonya*". A report has appeared in it.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोयल की कमी के कारण रेल गाड़ियों का बन्द किया जाना

*23. **श्री गजाधर माझी** :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण गत तीन महीनों में कितनी रेल गाड़ियां बन्द की गयीं ;

(ख) क्या इन रेल गाड़ियों को फिर से चालू करने की सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान कोयले की कमी के कारण 284 जोड़ी सवारी गाड़ियां बद रहीं।

(ख) और (ग) जैसे ही रेलों पर इंजन-कोयले की स्थिति में सुधार हुआ और माकूल स्तर पर उसमें स्थिरता आयी, कोयले की कमी के कारण बंद कर दी गयी गाड़ियां फिर से चलायी जाएगी।

पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

*26. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने दुर्लभ संसाधनों की सतर्कतापूर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप चालू वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये के मूल्य के पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात की सम्भावना वाले पेट्रोलियम उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में ईरान सरकार से कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ईरान तथा अन्य देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी को बंकरईंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाईजहाजों को ए० टी० एफ० बेचने के अतिरिक्त अन्य संभावित निर्यात किए जाने वाले उत्पाद निम्नलिखित हैं :—

(i) नैफ्था
(ii) बिटूमैन
(iii) लो विस्कौसिटी ईन्डैक्स ल्यूब्स
(iv) वक्स (मौम)
(v) आथेजाइलीन

(ख) और (ग) आइ० ओ० सी० द्वारा ईरान की एक कंपनी के साथ हाल ही में उस देश को बिटूमैन के निर्यात करने के बारे में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अगरतला को शेष भारत के साथ जोड़ना

*28. **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला को शेष भारत के साथ रेल मार्ग द्वारा जोड़ने सम्बन्धी योजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उन विशिष्ट निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है, जो इस बारे में प्रारंभ किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) और (ख) अगरतला तक रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए धर्मनगर-अगरतला परियोजना के लिए प्रारंभिक इंजिनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण और धर्मनगर कैलाशहारकुमार घाट तथा अगरतला साबरीम रेल सम्पर्क के लिए यातायात सर्वेक्षण कराये गये थे। ये सभी परियोजनाएं अलाभप्रद पायी गयीं। अब यह विनिश्चय किया गया है कि बंगला-देश में बेलोनिया स्टेशन से त्रिपुरा में बेलोनिया सिटी तक और बंगला देश में अखौरा से त्रिपुरा में अगरतला तक छोटे रेल सम्पर्कों के लिए इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किये जायें। इन सम्पर्कों से बंगला देश होकर अगरतला तक रेल सम्पर्क की व्यवस्था हो जायेगी। बंगला देश की सरकार कलकत्ता से चांदपुर (बंगला देश) होकर अगरतला तक और अगरतला से कलकत्ता तक आरपार यातायात की ढुलाई के प्रस्ताव पर सहमत हो गयी है। इन साइडिंगों के निर्माण के लिए जब उनकी सही लागत मालूम हो जायेगी तब पर राष्ट्रमंत्रालय और बंगलादेश सरकार के बीच परामर्श होने के बाद ही विचार किया जायेगा।

विदेशी कंपनियों द्वारा कुछ कीमती दवाइयों का उत्पादन

*29. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में न बनने वाली "डोक्सी साइक्लीन" जैसी कीमती दवाईयों के निर्माण का कार्य एक विदेशी कम्पनी को सौंपा जा रहा है जबकि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भारतीय कंपनियां औषधि के निर्माण की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राय मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) किस विदेशी कंपनी को डाक्सीसाइक्लीन के निर्माण हेतु आशय-पत्र देने की स्वीकृति के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

दक्षिण रेलवे के माल यार्डों से न छुडाये गये खाद्यान्न की खेपों की सूची

***30. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे खाद्यान्न की ऐसी खेपों तथा ऐसी अन्य वस्तुओं की दैनिक सूची तमिलनाडु सरकार को देने पर सहमत हो गया था जिनको एक सप्ताह के भीतर माल यार्ड से नहीं छुडाया जाता ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी रेलवे जोन सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । तमिलनाडु सरकार की इच्छानुसार रायापुरम माल गोदाम में सात दिन से अधिक समय तक सुपुर्दगी किये बिना पड़े रहने वाले खाद्यान्नों और दालों के परक्षणों की सूची उन्हें दक्षिण रेल प्रशासन द्वारा पेश की जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अन्य राज्य सरकारों द्वारा ऐसी सूचना नहीं मांगी गयी है ।

Basis for Allotment of Kerosene Oil to States

***32. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government allot quota of kerosene oil to various States on the basis of population or on some other basis;

(b) whether there has been an actute crisis of kerosene oil in Bihar for the last one year;

(c) whether Government have fixed certain rates for sale of kerosene oil at various places; and

(d) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri K. D. Malaviya) : (a) Kerosene oil quotas are being allocated to States on the basis of past trends of consumption.

(b) Due to the limited availability of foreign exchange and the steep increase in prices it has not been possible to meet the demand of petroleum products in the country during the current year in full. Various measures have been taken to effect economy in consumption of different petroleum products. For kerosene oil, quotas allocated to States Govt. have been cut to reduce consumption. It is likely that this may have given rise to shortages of kerosene in certain areas. To alleviate the hardship quotas to the States have since been increased. For Bihar allocation in November has been increased to about 14,000 tonnes against 11,000 tonnes in October and between 9 to 11,000 tonnes from Jan. to October. This is likely to imrpove the kerosene supply position in the State.

(c) & (d) The Central Government fixes the basic ceiling selling prices of kerosene oil ex-company storage points at the main ports and the inland Refineries under the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970. The State Governments have been empowered to fix the retail selling prices of kerosene at various places within their jurisdiction.

आसाम में नए तेल क्षेत्रों का पता लगना

*33. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयत्नों से आसाम में नए तेल क्षेत्रों का पता लगा है;

(ख) क्या हाल ही में रूस के तेल मंत्री ने आसाम का दौरा किया था और वहां तेल उद्योग को और विकसित करने के उपाय सुझाए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हाँ। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अरलीं, एनपुरी एवं बोड़लोला में तेल खोजा गया।

(ख) जी, हाँ, जनवरी, 1974 में।

(ग) रूसी तेल उद्योग मंत्री के नेतृत्व वाली रुसी दल के साथ हुए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप निम्नलिखित बातों पर सहमति व्यक्त की गई थी :—

(1) खोजे गए स्थलों का तेजी से विकास किया जाएगा।

(2) वर्तमान कुओं से उत्पादन में वृद्धि की जायेगी।

(3) परवर्ती वसूली तकनीक का व्यापक, रुप में प्रयोग किया जायेगा।

इन बातो को लागू करने के लिए रूस कुछ आधुनिक उपकरणों, यंत्रो तथा सहायक यंत्रों की सप्लाई करने के साथ साथ रूसी कुशल विशेषज्ञ भी भेजे है तथा उनकी प्रयोगशालाओ में भारतीय विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण संबंधो सुविधाओं को व्यवस्था की है।

इन विचार विमर्शो के अनुसरण से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने एनेमल (कलई) युक्त ट्यूबों तथा परतों का पता लगाने के लिए न्यूट्रीन पल्स जनरेटर लैगिंग टूल के दो यूनिटों जो तेल क्षेत्रों में पानी को काटते हैं, के लिए रूस को आदेश दिए हैं। तेल के कुओं में बहान, समिश्रण दाव एवं तरल तापमान को मापने के लिए एक स्वचालित स्टेशन को किराये पर लेने के लिए भी आदेश दिए है। रुस के तेल मंत्री के साथ विचार विमर्श के अनुसरण में 4 रूसी विशेषज्ञ भारत आ चुके हैं तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के 14 विशेषज्ञ रुस में प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित करने के लिए रवाना हो चुके हैं।

यूनाइटेड अरब एमिरेटस की हल्दिया तेल शोधक कारखाने के इक्विटी शेयर देने का प्रस्ताव

*37. **श्री डी० डी० देसाई** :

श्री अनादि चरण दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युनाइटेड अरब एमिरेट्स को हल्दिया तेल शोधक कारखाने के 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर देने का है;

(ख) क्या इससे अशोधित तेल की नियमित तथा अबाध सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) युनाइटेड अरब एमीरेट के साथ भारत को सुलभ शर्तों पर कच्चे तेल की सप्लाई करने तथा भारत में तेल शोधनशाला के बारेमें सहयोग करने संबंधी संभावनाओं पर कुछ विचार-विमर्श किया गया है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नही लिया जा सका है।

दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों में यात्रियों की संख्या

***38. डा० कैलास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बम्बई के बीच आने जाने वाली निम्नलिखित रेल गाड़ियों में 1 सितम्बर, 1974 से प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में कितने प्रतिशत यात्री यात्रा करते हैं ;

(एक) राजधानी एक्सप्रेस,

(दो) डीलक्स/वैस्टर्न एक्सप्रेस, और

(तीन) फ्रन्टियर मेल;

(ख) उपर्युक्त दूरी तक यात्रियों को ले जाने पर रेलवे प्रशासन को प्रति यात्री कितना व्यय करना पड़ता है; और

(ग) क्या इन गाड़ियों की वजह से अन्य अनेक यात्री गाड़ी और माल गाड़ियो इंजन की क्षमता और भार के अनुसार अपेक्षित दूरी तक नहीं जा पाती, क्योंकि उन्हें उपर्युक्त गाड़ियों को रास्ता देने के लिए कुछ स्टेशनों पर रुकना पड़ता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) विभिन्न दूरियों के लिए किसी एक यात्री की यात्रा पर रेल प्रशासन द्वारा किये गये खर्च के आंकड़े उपलब्ध नही हैं।

(ग) किसी खण्ड में जहां धीमी और तेज सवारी गाडियां और मालगाडियां चलायी जाती हैं वहां धीमी गाड़ियों से तेज गाड़ियों को तरजीह देना आवश्यक है ताकि रेल परिसम्पत्तियों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इस प्रकार अपेक्षाकृत धीमी गाड़ियों में होने वाला विलम्ब गाड़ियों के संचलन में स्वाभाविक है और इस प्रकार का विलम्ब परिहार्य नहीं माना जा सकता।

विवरण

(क) सितम्बर और अक्तूबर, 1974 की अवधि में दिल्ली और बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस, डी-लक्स पश्चिम एक्सप्रेस और फ्रंटियर मेल गाडियों की उपयोगिता का प्रतिशत निचे दिया गया है :—

		वातानुकूल	पहला दर्जा	वातानुकूल कुर्सीयान	दूसरा दर्जा
(i)	3 डाउन बम्बई सेंट्रल-दिल्ली फ्रंट्रियर मेल।	46%	97%	..	100%
	4 अप दिल्ली-बम्बई सेन्ट्रल फ्रंटियर मेल	40%	78%	..	100%
(ii)	25 डाउन डी-लक्स/पश्चिम एक्सप्रेस।	55%	91%	77%	100%
	26 अप डी-लक्स/पश्चिम एक्सप्रेस।	62%	81%	67%	100%
(iii)	151 डाउन बम्बई-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस।	53%	..	96%	..
	152 अप नयी दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस।	50%	..	71%	..

बर्मा शैल और कालटैक्स के शेयर लेने का नया सिद्धान्त

*39. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बर्मा शैल और कालटैक्स कम्पनियों के शेयर लेने केनए सिद्धांत पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वही सिद्धांत क्यों नही अपनाया गया जो "एस्सो" के शेयर लेने में अपनाया गया था; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सरकार ने बर्मा शैल तथा **काल्टेक्स** से भारत में इन कंपनियों की आस्तियां तथा परिचालन कार्य अधिग्रहण करने हेतु, विचार **विमर्श** आरम्भ कर दिया है। शर्तों आदि के बारे में अभी विचार-विमर्श होना है। गैर-सरकारी **तेल** कंपनियो की आस्तियों को प्राप्त करने की रूपरेखा के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता।

बिहार में बाढ़ के कारण गढहरा यार्ड में रुके हुए वैगन

*40. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिवृष्टि के परिणामस्वरूप आई बाढ से सितम्बर, 1974 में बिहार में मोकामेह और कमूल जंक्शनों के सम्पर्क तटबन्धों में भू-स्खलन हुआ है जिससे गढ़हरा यार्ड में अन्यत्र ले जाने की प्रतीक्षा बहुत से वेगन के हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन तटबन्धो की मरम्मत में देर क्यो हो रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

यात्री और माल यातयात में कमी

201. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री और माल यातायात में लगातार कमी होती जा रही है और रेलवे घाटे को अनुपूरक बजट में निर्देशित स्तर तक सीमित रखने में कठिनाई का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शेयरधारियों के राष्ट्रीय फोरम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

202. **श्री के० मालना** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयरधारियों के राष्ट्रीय फोरम की ओर से सरकार को कोई ज्ञापन पेश किया गया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि लाभांश पर प्रतिबन्ध के द्वारा कम्पनी प्रबन्धों को 100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा देने से माल की जमाखोरी, वस्तु-सूची में वृद्धि तथा अपव्यय की प्रवृत्ति बढ़ गई है;

(ख) क्या कम्पनियो के ऊपर न तो अतिरिक्त निधियो के व्यय पर कोई प्रतिबंध या नियंत्रण लागु किया गया है और न ही कम्पनी अधिनियम में निधियो की किसी विशिष्ट तरीके से खर्च करने संबंधी कोई प्राविधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान जी, सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(घ) तथा (ग) नही, श्रीमान जी, अतिरिक्त निधियो के उपयोग किये जाने में, कम्पनियो की स्वेच्छा पर इस समय, कोई उपान्त लगाये जाने का प्रस्ताव नही है ।

हिन्दू मंदिर संरक्षण समिति, तमिलनाडु द्वारा दिया गया ज्ञापन

203. श्री लालजी भाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु की हिन्दू मंदिर संरक्षण समिति ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें मांग की गयी है कि (एक) धनुष्कोडी तक रेलवे लाइन पुन: बिछाई जाये और रेल सेवा पुन: चाल की जाये (दो) धनुष्कोडी में पृष्ठ-स्तम्स पुन: स्थापित किया जाय ; और (तीन) पम्बन जंक्शन से रामेश्वरम रोड स्टेशन तक विद्यमान रेलवे लाइन को न हटाने का अन्त:कालीन आदेश दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हाँ ।

(घ) इस क्षेत्र में समुद्री कटाव और ज्वारीय तरंगों के कारण इस लाइन के अणु रक्षण की तकनिकी कठिनाई तथा अलाभप्रद प्रकृति को देखते हुए पम्बन से धनुष्कोडि तक इस लाइन के पुन: स्थापन तथा धनुष्कोडि में पायों की दुबारा बनाने का विचार नहीं है ।

कांगड़ा घाटी रेलवे में रेल मार्ग का निर्माण

204. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगडा घाटी रेलवे में वैकल्पिक रेल मार्ग के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए इस लाइन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जायगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सामन न मिलने, मजदूरों की कमी और धन उपलब्ध न होने के कारण काम की प्रगति में अनेक कठिनाइयां आयी है । अनेक कठिनाइयों के बावजूद रेल प्रशासन इस परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने का पूरा-पूरा प्रयास कर रहा है। आशा है कि यह लाइन माल यातायात के लिए 31-12-75 तक और यात्री यातायात के लिए 31-3-76 तक खुल जायेगी । कुल मिलाकर काम की वास्तविक प्रगति लगभग 60 प्रतिशत हुई है ।

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र का विस्तार

205. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सिन्दरी उर्वरक कारखाने का विस्तार किया जाने वाला है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) जी, हां।

(ख) 346,000 मीटरी टन ट्रिपल सुपरफास्फेट के निर्माण हे एक परियोजना जिसको 'सिन्द्री सु-व्यवस्थीकरण परियोजना' के नाम से जाना जाता है, कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से प्राकृतिक जिपसम, जिसके गुणवत्ता तथा सप्लाई के बारे में कठिनाई का सामना करना पड रहा है, पर निर्भर रहना समाप्त हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस संयंत्र के व्यापक विस्तार हेतू, एक परियोजना की स्वीकृति भी दे दी है। इस परियोजना जिसे 'सिन्द्री आधुनिकीकरण परियोजना' के नाम से जाना जाता है, को 22 करोड़ रुपये (लगभग) को विदेशी मुद्रा घटक सहित, 89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया है। इस प्रायोजना जिसमें 128,500 मीटरी टन नाइट्रोजन के अतिरिक्त उत्पादन की परिकल्पना की गई है, के विदेशी वित्त पोषणहेतू आइ डी ए से ऋण प्रबंन्ध के बारे में बातचीत की जा चुकी है। यह प्रायोजना जो वर्तमान में कोक/कोक ओवन गैस पर आधारित है होने के स्थान पर इंधन तेल को संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग करने पर आधारित होगी तथा इस वर्ष 1978 में पूरा कर लिया जाएगा।

†सोडाऐश प्रोजेक्ट के लिए अमोनियम के नियतन के लिए केरल से अनुरोध

†206. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधीन प्रस्थापित सोडा ऐश प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त अमोनियम का नियतन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस अनुरोध पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि इस परियोजना को शीघ्र चालू कराने में सहायता मिल सके ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : मेसर्स फर्टिलायजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) तथा केरल सरकार स बात पर सहमत हो गये हैं कि फैक्ट जिन्हें 100 मीटरी टन प्रतिदिन के कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना करने के लिये एक आशय पत्र दिया गया है, 200 मीटरी टन। प्रतिदिन की एक सोडा राख/अमोनियम क्लोराइडं परियोजना, जिस के लिये केरल राज्य उद्योग विकास निगम को एक आशय पत्र दिया गया है, को कार्यान्विति करेगा और निगम कास्टिक सोडा परियोजना की कार्यायन्वित करेगा। क्रमशः सोडा/राख अमोनियम क्लोराइड तथा कास्टिक सोडा परियोजनाओं के लिये फैक्ट तथा केरल राज्य उद्योग विकास निगम को आशय पत्र जारि करने के संबंध में कार्यवाही कि जाने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जाएगा जब संबंधित पार्टियों से औद्योगिक लान्सेंस के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हो जाएंगे।

तस्करों पर मुकदमें चलाने के लिए विशेष न्यायलय

207. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए तस्करों के मुकदमें निपटाने के लिए विशेष न्यायालय बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मुकदमे विचाराधिन हैं ; और

(ग) ये न्यायालय कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) अंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के अधीन निरूद्ध व्यक्ति अन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के अधिनियम के अधीन किसी विचारण के दायित्वाधीन नहीं हैं। विधि आयोग ने अपनी 47 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि संसद को चाहिए कि वह आर्थिक अपराधों के प्रभावकारी और शीघ्र अभियोजन के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना को प्राधिकृत करने वाली और एक विशेष प्रक्रिया अधिकथित करने वाली एक व्यापक विधि अधिनियमित करे। यह सिफारिश सरकार के विचारीधीन है।

"मैसर्स एबटस की विभिन्न प्रकार की औषधियां (फार्मुलेशन्स) तैयार करने की क्षमता"

208. श्री भालजी भाई परमार : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से मैसर्स एबट्स द्वारा सी०ओ०बी० लाइसेंस प्राप्त करते समय उसकी निर्माण क्षमता अलग-अलग क्या थी ;

(ख) क्या हर बार उसे इसकी निर्माण क्षमता के अनूरूप माल सप्लाई किया गया और यदि उनके बारे में सत्यापन किया गया तो सत्यापन किस तरीके से किया गया और दिए गये सी०ओ०बी० लाइसेंस की शर्तें क्या थी ;

(ग) क्या उक्त फर्म की फार्मुलेशन्स इस प्रकार से एक साथ जोड़कर दिए गए थे कि बल्कि वह फार्मुलेशन्स के लिए प्रति वर्ष 25 टन एरीथरोमाइसीन आयात कर सके ;

(घ) क्या उन्होंने प्रत्येक मद के लिए निर्धारित क्षमता का उल्लेख करते हुए आवेदन किया था और यदि हां, तो किन कारणों से क्षमताओं को एक साथ जोड़ा गया, जबकि प्रत्येक मद का पृथक पंजीकृत ट्रैड-मार्क है ; और

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों से उक्त कम्पनी को कितना एरीथरोमाईसिन दिया गया, उसका मूल्य कितना था और उसके भुगतान का तरीका क्या था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आ० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र जिसमें उन मदों के नाम दिए गए हैं जिनके लिए सी०ओ०बी० आवेदन-पत्र में प्रार्थना की गयी थी, वर्ष 1968, 1969 और 1970 के अन्तर्गत उत्पादन, क्षमता जिसके लिए आवेदन दिया गया था तथा जो क्षमता सी०ओ०बी० लाईसेंस द्वारा स्वीकृत की गई थी संलग्न हैं। सी०ओ०बी० लाइसेंस गत तीन वर्षों के श्रेष्ठ उत्पादन के आधार पर तकनीकी प्राधिकारियों जैसे डी०जी०टी०डी०, डी०जी०एच०एस० आदि के सिफारिशों पर दिया गया था। क्योंकि सी०ओ०बी० लाइसेंस की स्वीकृति स्थापित कार्यकलापों के परिज्ञानहेतु दी गई थी, इस लिए सी०ओ०बी० में कोई शर्तें नहीं रखी गई थी। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 8432/74]**

(ग) और (घ) मैसर्स एबोट लेबोरेटोरीज लिमिटेड ने प्रत्येक मदहेतू पृथक क्षमता के लिए आवेदन किया था। प्रत्येक श्रेणी की क्षमता को एक स्थान पर इस विचार से एकत्रित कर दिया गया था कि कुछ लचीलापन बना रहे और मांग के अनुरुप उनके उत्पाद-मिश्र के उत्पादन का समस्त अनुमोदित क्षमता के अन्तर्गत समायोजन किया जा सके न कि 25 मीटरी टन एरीथोमाइसीन का आयात करने के लिए।

(ङ) मैसर्स एबोट को गत तीन वर्षों में जिस मूल्य और जिस मात्रा में एरीथोमाइसीन दी गई है वह निम्नलिखित है :—

	एरिथोमाइसीन स्टीपरेट्स		एरिथोमाइसीन एथीन सक्सीनेट	
वर्ष	मात्रा	मूल्य (रु० लाखो में)	मात्रा	मुल्य (रु० लाखों में)
1971-72	4330 कि० ग्राम	36.0	600	8.00
1972-73	8000 ,,	64.0	600	8.00
1973-74	5000 ,,	33.60	2000	20.00

भुगतान ऋण-पत्र/डिमांड ड्राफ्ट पर किया जाता है ।

क्षेत्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति (दक्षिण पूर्व रेलवे)

209. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेल्वे में क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति में पश्चिम बंगाल उड़ीसा तथा विशेष रूप से बिहार के सदस्यो को संख्या समान है; और

(ख) यदि नहीं, तो उनकी राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) जी नहीं । "विशेष हितों" के प्रतिनिधि के रूपमें सदस्यों की नाम दगी इस आधार पर की जाती है कि रेल उपयोगकर्ताओं से सम्बन्धित विविध हितों के साथ उनका सम्बन्ध कैसा है । इस कोटि के अन्तर्गत नामजदगियां क्षेत्रीय अथवा राज्योय आधार पर नहीं की जाती हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल	9
उडीसा	1
बिहार	6
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	1

राईवाला (हरिद्वार) में रेलवे के लिए स्काउटों और गाइडों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्र

210. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार के निकट राईवाला में रेलवे के लिए स्काउटों अगर गाइडों को विशिष्टीकृत प्रशिक्षण देने हेतु कोई केन्द्र है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या है ; और

(ग) इसमें क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसके उद्देश्य और लक्ष्य वही हैं जो भारत स्काउटस् और गाइडस् संगठन द्वारा निर्धारित किये गये हैं ।

(ग) तीन-तीन कमरों वाली दो इमारतों और तम्बू लगाने तथा बाह्य कार्यक्रमों के लिए खुली जगह उपलब्ध है ।

Steps taken to Simplify Transportation of Goods

211. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the steps taken by Govrenment during the last three years with a view to making transportaton of goods by Railways simple and easy;

(b) per quintal Railway freight per every 10 kms. during the last three years, year-wise; and

(c) the number of wagons proposed to be increased, zone-wise next year in order to attract more freight traffic in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) The steps taken by the Railways to make transportation of goods simpler and easier are given in the statement attached.

(b) In the Freight Structure in force over the Indian Railways, all commodities are grouped under different classes for the purpose of levy of freight charges. The calculated rates for various classes for different distances are available in the Goods Tariff issued by the General Secretary, Indian Railway Conference Association, New Delhi. Supplementary charge as levied from 15-9-1974 is to be added to the rates given in the goods Tariff Part II.

(c) The programme for manufacture of wagons for 1975-76 is under finalisation.

STATEMENT

Improvement is being effected in the mode of traction and Railways are going in fos progressive Dieselisation and Electrification of traction. Diesel and Electric locomotiver having a higher tractive efforts are being increasingly put on line to haul heavier loads.

2. Wagons having a higher carrying capacity are being progressively commissioned and such wagons are being fitted with roller bearings, thereby reducing sickness and speeding up movement.

3. To avoid transport bottlenecks, the movement of traffic has been progressively nationalised.

4. Tracks are being progressively doubled to meet the demands of additional traffic and improve fluidity of movement and intermediate marshalling yards are also being remodelled to meet growing traffic needs.

5. To assist bulk producers and consumers, movement in block rakes is being increasingly arranged. Recent break-throughs in Finished Steel & POL movements have been achieved in this manner.

6. The Marketing and Sales Organisation set up on all the Zonal Railways is in constant touch with the trade to maintain co-ordination and to render customer-oriented service.

7. Containere service providing pilferage/damage free, door-to-door service has been provided on new routes. The Freight Forwarder Scheme, under which freight forwarders collect consignments from individual traders and offer them as wagan load consignments, thus eliminating handling at intermediate points and ensuring quick transit by Super Goods trains, is being extended.

8. Out Agencies, City Booking Offices, Street Collection and Delivery services and Mobile Booking Services are being exetrnded wherever traffic demand justified to serve more users.

आसाम के तेल क्षेत्रों में तेल उत्पादन बढ़ाना

†212. श्री राम सहाय पांडे :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या पेंट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ऊपरी आसाम में गलेकी, लकवा और रुद्रसागर तेल क्षेत्रों में तेल के उत्पादन में वृद्धि की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में इस समय तेल का प्रतिदिन कितना उत्पादन होता है ?

पेंट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) अक्टूबर 1974 के दूसरे पखवाड़े में गलेकी, लकवा और रुद्रसागर क्षेत्रों से प्रतिदिन क्रमशः 173, 1495 और 339 मीटरी टन उत्पादन हुआ।

पूर्व रेलवे को वैगन सप्लाई शुल्क के रूप में सरकारी और गैर-सरकारी फर्मों की ओर बकाया भारी राशि

213. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे की एक बड़ी राशि वैगन सप्लाई शुल्क के रूप में सरकारी और गैर-सरकारी फर्मों की ओर बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के अंत में पूर्व रेलवे पर मालडिब्बों को रोके रखने के लिए विलम्ब शुल्क की कुल रकम इस प्रकार थी :—

1971-72	179.33 लाख रुपये
1972-73 .	238.45 लाख रुपये
1973-74 . . .	424.32 लाख रुपये

(ग) देय रकम की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये है :—

(i) फर्मों से नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित किया जाता है तथा उपयुक्त स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाता है।

(ii) इस्पात संयंत्रों से देय रकम वसूल करने के लिए इस्पात मंत्रालय से इस बारे में लिखा पढ़ी की गयी है।

"जापानी ऋण की सहायता से तीन उर्वरक संयंत्रों की स्थापना"

214. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीन उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए जापान से येन ऋण प्राप्त होने पर भी पांचवी योजना के दौरान केवल एक ही कारखाना स्थापित होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य दो कारखानों की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब को पैट्रोल पम्पों का आवंटन

215. श्री रघुनन्दन लालभाटिया : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पंजाब की कुल कितने पेट्रोल पम्प अलाट किये गये ;

(ख) क्या अमृतसर को कोई पेट्रोल पम्प अलाट किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) पंजाब में वर्ष 1972 और 1973 के अंतर्गत तेल कम्पनियों द्वारा 66 फुटकर बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गई ।

(ख) जी, हां । उपरोक्त में से 2 फुटकर बिक्री केन्द्र अमृतसर में लगाए गए ।

(ग) फुटकर बिक्री केन्द्रो (पेट्रोल पम्पों) का आबंटन राज्य वार नहीं किया जाता । यह व्यापारिक आधार पर किया जाता है ।

Accidents on Indian Railways since January, 1974

†286. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of accidents that occurred on the Indian Railways since January last and the number of persons killed;

(b) the loss incurred by the Railways as a result thereof;

(c) the amount of compensation paid by the Railways to those injured and killed in those accidents; and

(d) the number of railway employees among those killed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sardar Buta Singh) : (a) and (d) During the period 1-1-1974 to 30-9-1974, there were 631 train accidents on the Indian Government Railways in the categories of collusions, derailments, level crossing accidents and fires in trains.

In these accidents 177 persons were killed of whom 35 were railway employees.

(b) The cost of damage to railway property involved in these accidents was estimated at approximately Rs. 1,59,51,270/-.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

माल प्लेटफार्मों पर जमा माल की नीलामी से हुई आय

217. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न माल-प्लेटफार्मों (रेलवे साईडिंग) पर काफी समय से पड़े हुए सभी माल को नीलाम कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में नीलाम किए गए माल से कितनी आय हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गैस सिलेंडरों पर मीटर लगाया जाना

218. श्री बनमाली पटनायक : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस-सिलेन्डरों पर ऐसे मीटर लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे सिलेन्डरों में से गैस की मात्रा का पता चल सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विशिष्ट स्वविवेकी शक्तियों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती

219. श्री पी० एम० सईद :

श्री एस० एम० सिद्धया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे लोगों के आंकड़े रखे जाते हैं जो जनरल मैनेजरों द्वारा, उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की योग्यता के निम्नतर स्तर वाले उम्मीदवारों को चयन करने की प्राप्त स्वविवेकी शक्ति के द्वारा भर्ती किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध जनरल मैनजरों ने कितने मामलों में इस शक्ति का उपयोग किया है और गत तीन वर्षों में रेल मंत्रालय ने कितने मामलों में उन्हें इस अधिकार का बार-बार उदारता से उपयोग करने को कहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) (i) रेल मंत्रालय में विशेष पक्ष स्थापित किये जाने के बाद से आंकडे संकलित किये जा रहे हैं ।

(ii) रेलो से कहा गया है कि जब भी आवश्यक हो, इन शक्तियों का प्रयोग करें ।

(ख) महाप्रबन्धकोंने इन शक्तियों का प्रयोग कितने मामलों में किया, यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Supply of Woollen Overcoats to Guards (Central Railway)

†220. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the supply of woollen overcoats to the Guards in certain areas under the Central Railways has been stopped;

(b) if so, the names of those areas; and

(c) the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) The requisite material is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

असिस्टैंट आफिसर (गैर-वर्गीकृत) को स्थायी करना

221. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1955 से 1967 तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय रेल प्रशासनों द्वारा भर्ती किये गये कुल अस्थायी असिस्टैंट आफीसर (गैर-वर्गीकृत) में से अभी तक कितने स्थायी किये गये हैं और कितने अभी अस्थायी हैं ;

(ख) अस्थायी अधिकारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ; और

(ग) उन्हें अब तक स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं जब कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने के बाद वे 7 वर्ष से 19 वर्ष तक की संतोषप्रद सेवा कर चुके हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क)

विभाग	जितने स्थायी किये गये	जितने अभी तक स्थायी नहीं किय गये
सिगनल और दूर संचार इंजीनियरिंग . .	57	51*
भण्डार	35	कुछ नहीं
परिवहन (पावर) और यांत्रिक इंजीनियरिंग . .	38	1
लेखा	11	कोई नहीं
परिवहन (यातायात) और वाणिज्य	37	5*
बिजली	62	98*
सिविल इंजीनियरिंग .	142	286

*चयन हुआ किन्तु अधिसूचना अभी जारी होनी है।

(ख) और (ग) अस्थायी अधिकारी, प्रतिवर्ष इसी प्रयोजन के लिए निर्धारित पृथक कोटे में श्रेणी 1 की सेवा में स्थायी किये जाने के पात्र होते हैं। यह कोटा समय-समय पर बढ़ा दिया जाता है और 1966 में यह सीधी भर्ती द्वारा लिये जाने वालों की वास्तविक संख्या का 60 प्रतिशत था। लेकिन, इन अधिकारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से, अभी हाल में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कोटे में, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के से काफी वृद्धि कर दी गयी है और आशा है, संतोषजनक रिकार्ड वाले सभी अधिकारी आठ-दस वर्षों में समाहित कर लिये जायेंगे।

तमिल नाडू सरकार द्वारा वैगनों से खाद्यान्न जब्त करना

222. **श्री समर गुह :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार ने राज्य को भेजे गए रेल वैगनों में से तीन करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यान्न जप्त किए थे ;

(ख) क्या यह खाद्यान्न अनेक दिनों तक बिना दावे के अथवा न उठाये गये रूप में पड़ा रहा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त खाद्यान्न के प्रेषक अथवा प्रेषकों और प्राप्त करने वाले अथवा करने वालों के बारे में कोई जांच की गई है ;

(घ) तमिल नाडु सरकार द्वारा जब्त खाद्यान्न क्या-क्या था और उसकी मात्रा कितनी थी ; और

(ङ) क्या किसी गड़बड़ी का पता चला है ; और यदि हां, तो जब्त किए गए खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया सहित तमिल नाडु सरकार द्वारा जब्त खाद्यान्न के बारे में तथ्य् क्या हैं।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तमिल नाडु सरकार ने लगभग 6.75 लाख रुपये, 3 करोड़ रुपये नहीं, के मूल्य के खाद्यान्न और दालें पकड़ी हैं।

(ख) परेषण 10 से लेकर 97 दिनों तक की अवधियों तक बिना-सुपुर्द हुए पड़े थे।

(ग) अधिकतर मामलों में अग्रेषक स्टेशनों को कहा गया था कि वे प्रेषकों को नोटिस दें क्योंकि परेषण 'स्वयं' को बुक किये गये थे। इन वस्तुओं का व्यापार करने वाले बड़े-बड़े व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित करने उन्हें कहा गया कि यदि परेषण उनके लिए हों तो वे उनकी सुपुर्दगी लेलें।

(घ) तमिल नाडु सरकार ने जो परेषण पकड़े, उनमें निम्नलिखित वस्तुएं थीं :—

1. तूर	.	83 बोरी
2. उड़द	.	145 बोरी
3. दाल चना	.	500 बोरी
4. गेहूं	.	216 बोरी
5. चना	.	2405 बोरी
जोड़	.	3349 बोरी

(ङ) सूचना रेलवे के पास उपलब्ध नहीं है।

"पेट्रोल की कमी को ध्यान में रखते हुए राजपथ पर मोटर-कार दौड़ाने पर प्रतिबन्ध का प्रस्ताव"

223. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखत हुए राजपथ पर मोटर कार दौड़ाने पर प्रतिबन्ध लग ाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राज्य सरकारें मोटर वेहिकल अधिनियम 1939 की धारा 120 के उपबन्धों के अनुसार मोटर-कार दौडाने की गति का नियंत्रण में सक्षम हैं। नवम्बर 1973 से मूल्य वृद्धि के कारण पेट्रोल की खपत में हुई कमी को ध्यान रखते हुए, इस समय इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध सरकार के विचाराधिन नहीं है।

Election Expenses

†224. **Shri R. V. Bade :**

Shri Jagannathrao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether tl e election expenditure limits have not been adhered to by the candidates or political parties;

(b) if so, the measures taken to find out tl e actual expenditure incurred by each candidate and his party in a particular election; and

(c) what are the items out of the items of election expenses incurred by the candidates and parties, the expenditure on which is proposed to be borne by Government?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi): (a) Apart from the information available from the decisions given by the High Courts/ Supreme Court, where the election of a returned candidate has been successfully challenged on the ground of his having exceeded the limit of election expenses as prescribed by law, Government has no oth er authentic information in the matter. The expenditure incurred by political parties however, does not come within the ambit of the election laws.

(b) No machinery exists to find out the actual expenditure incurred by a candidate or his party on his behalf .

(c) The Joint Committee on Amendments to Election Law, in Part I of its Report, has *inter alia* made suggestions for the supply of copies of electoral rolls, forms for appointment of polling agents and counting agents and polling slips at Government cost. The matter is under examination of Government.

सतना-रींवा ब्योहरी रेल लाइन

225. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने सतना-रींवा-ब्यौहरी रेल लाइन के निर्माण के बारे अपना मत प्रकट कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मत सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो परामर्श कब तक पूरा कर लिया जायगा ; और

(घ) क्या प्रस्तावित लाइन का सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) रींवा के रास्ते सतना से ब्यौहरी तक एक नयी बड़ी लाइन के लिए हाल ही में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया है और उसकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद होगी। किन्तु इस लाइन के निर्माण के बारे में अन्तिम विनिश्चय सर्वेक्षण रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जांच कर लेने के बाद ही किया जायेगा।

इस परियोजना का निर्माण शुरू करने के बारे में योजना आयोग या वित्त मंत्रालय को लिखना अभी असामायिक होगा।

पूर्वी भारत के सूती कपडा उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

226. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के रूई उत्पादक राज्यों से मंगाई गई रुई के रेल भाड़ा समीकरण आरम्भ करने के लिए तथा पंजाब से कलकत्ता को भेजे जाने वाली रुई पर उत्तरी रेलवे द्वारा ली जाने वाले स्टेशन पर स्टेशन विशिष्ट भाड़ा दरों को पुनः आरम्भ करने के बारे में पूर्वी भारत के सूती कपड़ा उद्योग विशेषकर बंगाल मिल मालिक एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं ; और

(ख) इन अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन, कच्ची रुई पर रेल-भाड़े के समानीकरण के प्रस्ताव पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था जिसने इसकी विस्तृत जांच के लिए, इसे योजना आयोग के पास भेज दिया है।

कटार्निया घाट को कोरियाला घाट (पुर्वात्तर रेलवे) से जोड़नें के लिये रेल लाइन का निर्माण

227. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटार्निया घाट को पूर्वोत्तर रेलवे में बरास्ता घाघरा नदी, कोरियाला घाट से मिलाने वाली रेल लाइन का निर्माण-कार्य ढीला पड़ गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त लाइन पर संभवतः कितने समय में गाड़ियां चलने लगेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) आशा है, जनवरी, 1976 तक इस खंड पर गाड़ियों का आना-जाना शुरू हो जायेगा।

भारतीय रेलवे के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

228. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि रेलवे बोर्ड में निदेशक (हिन्दी) के एक पद के बनाए जाने के बावजूद मंत्रालय, रेलवे बोर्ड तथा ऐसे विभिन्न जोनल रेलवेज में जहां मुख्य रुप से हिन्दी भाषा को जानने वाले कर्मचारी हैं, हिन्दी के प्रयोग के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) क्या वित्तीय स्वीकृतियों के अभाव में ही हिन्दी-कार्य को हानि पहुंच रही है ; और

(ग) हिन्दी कार्य में आपात अथवा धार्मिक संकट-वश निषेधों तथा प्रतिबन्धों को न लागू करने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1-12-73 से रेलवे बोर्ड कार्यालय में निदेशक (राजभाषा) और औद्योगिक प्रचार के लिए एक पद का सृजन किया गया है । इस के फलस्वरूप रेलवे बोर्ड कार्यालय और रेलों पर हिन्दी क्रियान्वयन के काम में अधिक गतिशीलता आ गयी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु सरकार द्वारा खाद्यान्न के संचित स्टाकों को अधिकार में लेना

229. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रोयापुरम् और तोन्दियार पेट यार्डों में खाद्यान्नों के संचित स्टाकों को अधिकार में लेने के तमिलनाडु सरकार के निर्णय पर आपत्ति उठाई है ;

(ख) यदि हां तो उक्त आपत्ति के क्या कारण है ;

(ग) क्या खाद्यान्न स्टेशनों पर दो महीनों से अधिक समय से पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह बताया गया है कि माल के बड़े-बड़े प्रेषण गत दो महीनों से देश के विभिन्न स्टेशनों पर पड़े हैं और अत्यधिक छापों के बाद उन्हें छुड़ाने के लिए कोई नहीं आ रहा है और यदि हां, तो उस को तत्काल जब्त करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रायपुरम माल गोदाम में उड़द की 145 बोरियों का केवल एक परेषण दो महीने से अधिक दिनों तक पड़ा रहा ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

मेरठ लाइन पर यात्रियोंका लूटा जाना

230. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ लाईन पर यात्रियों का लूटा जाना एक सामान्य बात बन गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं । पिछले छः महीनों में इस लाइन पर यात्रियों के साथ डकैती के केवल 2 मामले हुए हैं ।

(ख) ऐसे मामले "कानून और व्यवस्था" के अन्तर्गत आते हैं और पुलिस जिसमें रेलवे पुलिस भी आती है, राज्य का विषय होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार रात के समय प्रमुख गाड़ियों में अनुरक्षी तैनात

कर, स्टेशन-प्लेटफार्मों पर नियमित गश्तों की व्यवस्था कर, अपराधियों और बदमाशों पर नजर रख कर और विशिष्ट अपराधों के लिए अपराधियों पर मुकदमें चलाकर अपनी सामर्थ्यनुसार उपलब्ध साधनों से रेल गाड़ियों में ऐसे अपराधों की रोक-थाम करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

कोयलें पर आधारित उर्वरक परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल की योजना

231. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय परियोजना के रुप में शुरू की जाने वाली पश्चिम बंगाल में स्थित "कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना" संबंधी एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रीय प्रायोजना के रूप में एक कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने को कहा था । तथापि तकनीकी आर्थिक पहलुओं जिसमें सम्भावित रोजगार, सृजन किया जाना है, को सम्मिलित करके, के संबंध में कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं थे ।

राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि पांचवी योजना के दौरान संसाधनों की स्थिति सरकारी क्षेत्र में कोई अतिरिक्त उर्वरक क्षमता का सृजन करने के लिए नहीं है ।

"भारतीय उर्वरक निगम के सभी एककों में बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव"

232. **श्री वीरभद्र सिंह :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम के सभी एककों में रक्षित बिजली संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : (क) और (ख) : भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट पर रक्षित बिजली उत्पादन सुविधाओं का विकास किया गया है । गोरखपुर पर 12.5 मेगावाट संयंत्र भी अनुमोदित हो गया है ।

विश्व बैंक द्वारा भारत के उर्वरक एकको के लिए ऋण

234. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के उर्वरक एककों के लिए 170 लाख डालर का ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या इससे कोयला आधारित कोरबा उर्वरक संयंत्र और परादीप परियोजना को सहायता मिलेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) संयंत्र में सुधार कार्यो के सम्बन्ध में आई डी ए (इन्टरनेशनल डिवेलपमेंट एसोसिएशन) द्वारा 17 मिलियन डालर की एक ऋण सहायता दी गई है । इस राशि को फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० के वर्तमान संयंत्रों में क्षमता को इष्टतम स्तर तक उपयोग करने के लिए परिवर्तन एवं परिवर्धन करने के सम्बन्ध में उपयोग किया जायगा ।

(ग) जी नहीं ।

कोरबा और पारादीप स्थित कोयला-आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिए धन का आवंटन

†235. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री के० मालप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कोरबा और पारादीप स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को आरम्भ करने के लिए धन का आबंटन नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं को हमेशा के लिए त्यागा जा रहा है अथवा देश में उर्वरक की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए इन संयंत्रों को चलाने के लिए विदेशी सहायता के माध्यम से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) कोरबा प्रायोजना के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है तथा उसपर कार्य प्रगति पर है। पैरादिप प्रायोजना को सिद्धान्त रूप से अनुमोदित किया गया है किन्तु निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

Exploration of Mineral Oil

236. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the efforts being made in various parts of the country for the exploration of mineral oil;

(b) the broad features in this regard;

(c) the number of foreigners engaged on this exploration work indicating the names of their countries separately; and

(d) the monthly expenditure being incurred on them?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सफदरजंग उपरिपुल के निर्माण में रेलवे का अंशदान

238. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सफदरजंग उपरीपुल की निर्माण लागत में रेलवे ने कितना अंशदान दिया ;

(ख) क्या दो खम्बों के टूटने से जिन व्यक्तियों की मृत्यू हुई उनके परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ; यदि हां, तो उस राशि में रेलवे का अंशदान क्या था ; और

(ग) सफ्दरजंग उपरिपुल के निर्माण में रेलवे द्वारा और क्या सहायता दी गई थी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) स्वीकृत अनुमान के अनुसार लागत में रेलवे का हिस्सा 6,76,648 रु० है।

(ख) नयी दिल्ली नगर पालिका और रेलवे द्वारा निर्माण के अन्तर्गत जो स्पैन गिर गये थे उनका दुर्घटना से संबंध नहीं था और इसलिए, जो व्यक्ति मर गये थे उनके परिवारों को क्षति पूर्ति देने में रेलवे द्वारा हिस्सा देने का प्रश्न नहीं उठता।

ऐसा समझा जाता है कि नयी दिल्ली नगरपालिका द्वारा दी गयी क्षतिपूर्ति इस प्रकार थी— ओवरसियर को 10,000 रु० और श्रमिकों को 7,000 रु० की दर से और साथ ही ओवरसियर को 1,000 रु० और श्रमिकों को 500 रु० की दर से अनुग्रह भुगतान किया गया ।

(ग) निर्माण की अवधि में सड़क यातायात के लिए अस्थायी समपार और गाड़ियों को मोड कर दूसरे रास्त से ले जाने के लिए आवश्यक पुलियों की व्यवस्था रेलव द्वारा की गयी थी ।

दक्षिण-मध्य रेलवे में रेलवे हाई स्कूल के हेडमास्टरों के द्वितीय श्रेणी के पदों पर तदर्थ नियुक्तियां

239. **श्री पो० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे में रेलवे हाई स्कूल के हैड मास्टरों के द्वितीय श्रेणी के पदों के लिये तदर्थ व्यवस्था करने के लिए रेलवे बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तदर्थ नियुक्तियां कर दी गई हैं ;

(ग) क्या कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों के अभ्यावेदनों के कारण तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जा सकी ; और

(घ) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे का विचार तदर्थ नियुक्तियां शीघ्र पुरी करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) चूंकि श्रेणी II/श्रेणी I के प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के पदों के भरन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन था, अत: दक्षिण-मध्य रेलवे पर प्रधानाध्यापकों की तदर्थ पदोन्नति की अनुमति दे दी गयी थी। अब रलों को अनुदेश जारी करके श्रेणी II के पदों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं के चयन सम्बन्धी मार्गदर्शन करा दिया गया है । दक्षिण-मध्य रेलवे चयन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

औषधियों के "ब्रान्ड" नामों को समाप्त करने के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें

240. **श्री एम० ए० मुरुगनन्तम** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त औषधि उद्योग संबंधी हाथी समिति ने 13 लोकप्रिय औषधियों के ब्रान्ड नामों को समाप्त करन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी छोटी रूपरेखा तथा उसका उद्देश्य क्या है;

(ग) ब्रान्ड नामों की समाप्त करने संबंधी कार्य को विफल बनाने के लिए विदेशी फर्मों द्वारा अब एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) मार्का नामों को समाप्त करने के संबंध में श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध तथा भेषज उद्योग पर गठित समिति द्वारा अभी अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जाना है । संबंधित पार्टियों ने समिति के समक्ष अपने विचार रख दिए है ।

सेवा से बर्खास्त किये गये/हटाये गये स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की बहाली

241. श्री मधु लिमये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनको रेल हडताल के सम्बन्ध में बर्खास्त किये जाने या सेवा से हटाये जाने के बाद 10 नवम्बर, 1974 तक बहाल नहीं किया गया है;

(ख) सेवा में वापस न लिये गये कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारी वास्तव में कितने है जिन पर तोड़-फोड़ तथा हिंसा के आरोप लगाये गये है;

(ग) ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया है और उन्हें कोई-काम नहीं दिया गया है;

(घ) बहाली सम्बन्धी कार्य को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ङ) उपरोक्त (ख) श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों की बहाली सम्बन्धी कार्य को तब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लगभग, 5,100 स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को अभी तक वापस ड्यूटी पर नहीं लिया गया है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) लगभग 9,000 आकस्मिक श्रमिकों/एवज़ी कर्मचारियों को अभी तक फिर से काम पर नहीं लगाया गया है।

(घ) और (ङ) हडताल को बिना शर्त समाप्त कर देने के बाद सरकार ने इन कर्मचारियों क मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करने का विनिश्चय किया था और तदनुसार आदेश जारी किये गये थे। प्रभावित होने वाले स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों द्वारा की गयी अलग-अलग अपीलों पर एक एक करके विचार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया जारी है ।

आकस्मिक/श्रमिकों/एवज़ी कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाया जाना रेलों की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ।

लोडना कोलियरी कम्पनी लि०, ग्लोब मोटर्स लि०, न्यु स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि० और भारत जूट मिल्स लि० के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

242. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 1972, 1973 और 1974 के दौरान कम्पनियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच के बारे में 13 अगस्त 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2346 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) लोडना कोलियरी कम्पनी, ग्लोब मोटर्स लिमिटेड, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड और भारत जूट मिल्स लिमिटेड की जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) जिन्हें कम्पनी अधिनियम तथा अन्य कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) लोडना कोलियरी कम्पनी (1920) लिमिटेड के विरुद्ध मामला अभी जांचान्तर्गत है।

ग्लोब मोटर्स लिमिटेड के विरुद्ध मामले में एक दोषारोप-पत्र, आरोपों में से एक के विषय में, सर्वश्री बी० के० बेदी (भूतपूर्व निदेशक, ग्लोब मोटर्स) हरबंस सिंह (भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, ग्लोब मोटर्स) पारसदास जैन और श्रीपाल जैन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 409 और भारतीय दंड संहिता 409 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता 120-ख के अन्तर्गत मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, दिल्ली की अदालत में 19-10-1974 को प्रस्तुत किया गया है । मामला परीक्षण अन्तर्गत है ।

न्यू स्टैन्डर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध मामले में एक दोषारोप पत्र, कम्पनी के सर्वश्री जे० बी० पटेल (प्रबन्ध निदेशक), ए० वी० पटेल (पूर्वकालिक निदेशक) और 4 अन्यों नामशः सर्वश्री सी० एल० शाह, एम० पी० अशरफ (लोहा एवं स्वयं इस्पात के बिक्रेता), एच० एम० डबूवाला, एल० एल० नजरेश और एस० एम० मिस्त्री (कम्पनी के कमचारी) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 409 और अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता 120-ख के अन्तर्गत मुख्य महानगर दण्डाधिकारी 32 वां न्यायालय, बम्बई की अदालत में प्रस्तुत किया गया है । सर्वश्री जे० बी० पटेल और ए० बी० पटेल को भी भारतीय दंड संहिता 409 और अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अनुवर्ति दोषारोप पत्र दिया गया था।

भारत जूट मिल्स के विरुद्ध मामले में दोषारोप पत्र, सर्वश्री आर० के० दास और सी० के० बास (कम्पनी के निदेशक) और के० आ० गुइन (कम्पनी के कर्मचारी) के विरुद्ध कम्पनी की निधियों के दुरूपयोग हेतु भारतीय दंड संहिता 409 धारा के साथ पठित भारतीय दंड संहिता 120-ख धारा के अन्तर्गत एस० पी० जे० एम० हाबडा की अदालत में प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) सी० बी० आई० ने केवल भारत जूट मिल्स लिमिटेड के मामले में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में कम्पनी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

रेल कर्मचारियों को सेवा से हटाने के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला

243. श्री समर मुकर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक रेल कर्मचारियों को सेवा से हटाने सम्बन्धी आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है;

(ख) क्या उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सभी बर्खास्त रेल कर्मचारियों को वापिस सेवा में लेने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकार ने पहले ही अपील दायर कर दी है ।

(ग) और (घ) उन मामलों को छोडकर जिनमें कि निर्णय के विरुद्ध अपीलें दायर नहीं की गयी है और जिनमें निर्णय का प्रभाव यह है कि बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को पुनः नौकरी में ले लिया जाये, बर्खास्त किये गये शेष कर्मचारियों को पुनः नौकरी में लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का आकस्मिक रेल कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बारे में निर्णय

244. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार 500 आकस्मिक रेल कर्मचारियों की बर्खास्तगी को अवैध घोषित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के सम्मुख एक अपील पेश की गयी थी उस पर स्थगन के आदेश ले लिए गये हैं ।

रुपसा-तालबन्द नैरोगेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना

245. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मयूरभंज जिले में रूपसा-तालबन्द नैरो गेज लाइन को बडी लाइन में बदलने के लिये यातायात सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ किया गया था तथा यह कार्य कब पूरा हुआ ;

(ख) क्या रेलवे मंत्रालय में तत्कालीन उपमंत्री द्वारा नियुक्त की गई समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस लाइन को लाभप्रद बनाने के लिये इसे हावडा बम्बई रेलवे लाइन के निकटतम स्थान तक बढा दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस लाइन के परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण की स्वीकृति 18-9-1970 को दी गयी थी और यह सर्वेक्षण कार्य सितम्बर 1971 में पूरा हो गया था ।

(ख) स्पष्टत: माननीय सदस्य का आशय अलाभप्रद शाखा लाइन समिति 1969 से है जो तत्कालीन रेल उपमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी थी ।

यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुची कि वाणिज्यिक दृष्टि से इस लाइन का विस्तार करना औचित्यपूर्ण न होगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

246. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों का दर्जा बढाये जाने के मामले पर रेलवे बोर्ड सक्रिय रूप से विचार कर रहा है,

(ख) क्या स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों का दर्जा बढाये जाने के बारे में रलवे बोर्ड को लोकसभा के किसी सदस्य की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त आ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ग) असंगतियों को दूर करने तथा पदोन्नति सम्बन्धी गत्यावरोधों को कम करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने विभिन्न अराजपत्रित संवर्ग के पदों (जिनमें स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर शामिल है) के वर्गवार वितरण की समीक्षा प्रारंभ कर दी है । इस समीक्षा को अंतिम रूप दिये जाने की संभावित तारीख का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) जी हां ।

भारतीय उर्वरक निगम में वित्तीय संकट

247. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उर्वरक निगम के गम्भीर वित्तीय संकट का पता है जिसके कारण कोरबा उर्वरक संयंत्र और पारादीप परियोजना का काम बन्द हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम में कोई वित्तीय संकट नहीं है ।

पूर्वी रेलवे पर, बी० डी०, जी० डी० और सी०जी० लाइन पर रेल गाड़ियों का देर से चलना

248. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पूर्वी रेलवे की बी० डी०, जी० डी० और सी० जी० लाइन पर रेलगाडियों सदा सात आठ घंटे देरी से चलती है तथा इन लाइनों पर रेलगाडियों का देरी से चलना सामान्य बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर रेलगाडियों के समय से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या इन लाइनों पर चलने वाली रेलगाडियों में पहले दर्जे पर कोई डिब्बा नहीं जोडा जाता; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय म उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इन खण्डों पर गाडियों का समय-पालन सन्तोषजनक नहीं रहा, जिसके मुख्य कारण ये है—खतरे की जंजीर का दुरुपयोग, होज पाइप को अलग कर दिया जाना और शरारती व्यक्तियों द्वारा सिगनल उपकरण में दखल दिया जाना जिस के फलस्वरूप इकहरी लाईन खण्ड पर होने वाले मेल में विघ्न पड़ा ।

(ख) यद्यपि रुके रहने की सभी परिहार्य घटनाओं के लिए दोषी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, सिविल प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त स्तरों पर तालमेल द्वारा सभाएं करके शरारती व्यक्तियों के कार्य-कलाप से निपटा जा रहा है ।

(ग) इन लाइनों पर चलने वाली गाडियों में पहल दर्जे के स्थान की व्यवस्था है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Disposal of Cases pending with Small Courts

249. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large number of cases come up before the small courts *i.e.* Munsif, Magistrate or Civil Courts daily but they are not disposed of expeditiously on account of paucity of staff and non-availability of other essential facilities and the parties have to suffer; and

(b) whether the Central Government have issued any directions to the State on the basis of which training may be given to court officers, necessary facilities made available in the courts and requisite staff made available therein; and if so, the salient features of the guide lines issued?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) Under the Constitution, "administration of justice" constitution and organisation of courts except the Supreme Court and the High Courts" is a State subject. It is the responsibility of the State Governments to provide the requisite staff and other facilities to the courts for the proper administration of justice.

(b) No, Sir.

ट्रकों से माल की ढुलाइ के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय की ओर से सुझाव

250. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने उनके मंत्रालय को यह सुझाव दिया है कि 500 किलोमीटर से अधिक दूरी क लिये ट्रकों से माल ढोने पर सरकारी प्रतिबन्ध के मामले पर पुन: विचार किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) नौवहन और परिवहन मंत्रालय क साथ परामर्श से 500 किलो मीटर से अधिक की दूरी के लिए ट्रकों से माल ढोने पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को जारी किये गये अनुदेशों की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में आसाम विधान सभा द्वारा पारित संकल्प

251. **श्री रानेन सेन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम विधान सभा ने सर्वसम्मत्ति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें राज्य सरकार से राज्य में विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से इस विषय से संबंधित कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) तत्संबंधी तथ्य क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) असम विधान सभा न एक संकल्प पारित किया है जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि असम में काम कर रही विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी और शेयरों का राष्ट्रीयकरण करने की कार्रवाई करे। असम सरकार ने आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे आगे भेज दिया है।

भारत में एस्सो के कार्य संचालन को नियंत्रण करने वाले हितों को पहले ही बातचीत और कानून द्वारा अर्जित कर लिया गया है। बर्मा शेल और काल्टेक्स के साथ बातचीत चल रही है।

आयल इण्डिया लि० और असम आयल कंपनी के बारे में उपयुक्त समय पर इस मामले पर विचार किया जाएगा।

कुकिंग गैस के उत्पादन के वृद्धि के लिए भारतीय तेल निगम की योजना

252. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने कुकिंग गैस के उत्पादन की वृद्धि करने के लिए योजना तैयार की है

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के प्रमुख लक्षण है :—

1. तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की उपलब्धता प्रति वर्ष लगभग 1,36,000 मीटरी टन के वर्तमान स्तर से प्रतिवर्ष लगभग 3,12,000 मीटरी टन वर्ष 1976–80 तक बढाना।
2. बढी हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सिलिण्डरों और वाल्वों की व्यवस्था करना।
3. शोधनशालाओं, बोटलिंग स्थान आदि में भण्डार सुविधाएं।
4. प्रपुज परिवहन के लिए अपेक्षित विशिष्ट प्रकार के टेंक वैगनों और टेंक ट्रकों की सुविधाएं।
5. लदान/अलदान की विशिष्ट सुविधाएं।
6. भारी खपत के इलाकों में बोटलिंग संयंत्र।

(ग) उक्त योजना के अनुसार इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा पहले ही निम्नलिखित कदम उठाए जा चुके है :—

1. तरलीकृत पैट्रोलियम गैस सिलिण्डर की आवश्यकता पूरी करने के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन ने पहले से ही विशिष्ट प्रकार के 5000 मीटरी स्टील का आयात किया है और वर्ष 1975–76 के लिए अपनी सिलिण्डरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5000 मीटरी टन तरलीकृत पैट्रोलियम गैस स्टील के लिए नया आयात लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है।

2. इण्डियन आयल कारपोरेशन ने कोयाली परिष्करणशाला से शकूरबस्ती तक प्रपूंज तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के गमनागमन के लिए संयुक्त स्वामित्व के आधार पर 60 टैंक वैगनों का निर्माण करने के लिए प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे दिया है ।

3. तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रपूंज गमनागमन के लिए 16 टैंक ट्रकों का निर्माण करने के लिए आदेश दे दिये हैं। अन्य 14 टैंकों के लिए आदेश पर कार्य हो रहा है । इस महीने इन ट्रकों में से दो ट्रकों को मिलन की संभावना है ।

4. कानपुर में एक नवीन बोटलिंग संयंत्र लगाने की योजना है और उसके 1975 के मध्य तक चालू हो जाने की संभावना है ।

5. शकूरबस्ती में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस बोटलिंग संयंत्र की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कार्य भी हो रहा है ।

6. टैंक वैगनों के अतिरिक्त लदान और अलदान सुविधाओं की कोयाली और शकूरबस्ती में व्यवस्था की जा रही है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिये अनुभव सम्बन्धी शर्त में रियायत

253. श्री एस० एम० सिद्धया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने कतिपय श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति हेतू अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अनुभव संबंधी शर्त में से मुक्त करने तथा/अथवा इस में रियायत देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो (एक) उक्त अनुदेश कब जारी किये गये, (दो) ऐसे पदों संबंधी ब्यौरा क्या है; और (तीन) क्या इस के फलस्वरूप विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) (i) 27 जून, 1972 को ।

(ii) एक विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8453/74]**

(iii) जी हां ।

भारतीय पूंजी को सहयोजित करने के बारे में मैसर्स मे एण्ड बैकर का प्रस्ताव

254. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में मैसर्स में एण्ड बेकर ने भारतीय पूंजी को सहयोजित बारे में प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उनके प्रस्ताव को सहयोग के अनुमोदन के लिये विदेशी पुंजीनिवेश बोर्ड अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया था;

(घ) क्या उक्त पार्टी को निर्णय बता दिया गया था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) निर्णय न बताये जाने के कारण हमारे देश को कितनी विदेशी मुद्रा का घाटा हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मैसर्स मे एण्ड बेकर, बम्बई ने 1964 में भारतीय पुंजी को सहयोजित करने का प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव के ब्योरे इस प्रकार थे :—

(i) भारत में एक प्राइवेट कम्पनी की स्थापना की जायेगी जो कि बाद में 3 करोड रुपये की अधिकृत पूंजी से एक सरकारी कम्पनी बन जायेगी,

(ii) बम्बई में स्थित अपने कारखाने की भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनें उपकरण स्टाक तथा सभी प्रकार की अन्य वस्तुगत परिसम्पत्तियां, जिनका मूल्य 33,33,333 रुपये आंका गया था, नई कम्पनी को सौंपना;

(iii) नई कम्पनी को करार की तारीख पर निर्मित किये गये उत्पादों के संबंध में अपनी जानकारी देना तथा जानकारी आदि के बदले में तथा भारत के राज्यक्षेत्र में समुपयोजन के लिये 33,33,300 रुपये के पूर्ण प्रदत्त शेयरों का आबंटन विदेशी फर्म को करना,

(iv) नई कम्पनी के साथ करार करना तथा पेटेंट, ट्रेड मार्क आदि के इस्तेमाल पर शुद्ध विक्रय मूल्यों पर 15 वर्षों के लिये 7.$\frac{1}{2}$% की रायल्टी की व्यवस्था करना,

(v) नई कम्पनी मैसर्स में एण्ड बेकर (इंडिया) प्राइवेट लि० को बिक्री पर 17$\frac{1}{2}$% के कमीशन पर अपने उत्पादों के वितरक के रूप में नियुक्त करेगी

(vi) नई कम्पनी की जारी पूंजी का 10% भारतीयों को बेचना;

(vii) उपर्युक्त शेयरों की बिक्री को स्वदेश भेजना;

(ग) विदेश करार समिति ने 23 फरवरी, 1965 को हुई अपनी बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया था और समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं;

(i) मेसर्स मे एण्ड बेकर को प्रस्तावित सरकारी कम्पनी में अपने शेयरों को दो चरणों मे निवेश के 60% तक घटा देने के लिये कहा जाय। पहले चरण में शेयर पुंजी लगभग 80% हो सकती है जिसे दूसरे चरण में घटा कर 60% किया जाना है। यह प्रक्रिया लगभग 8 वर्षों की अवधि में पूरी हो जानी चाहिये;

(ii) जब नई कम्पनी भारत में निगमित हो जायेगी, मैसर्स मे एण्ड बेकर लि०, बम्बई की इंगलैंड में निगमित हुई किसी भी शाखा को भारत में कार्य करने की इजाजत नहीं दी जायेगी। उत्पादों का वितरण नई कंपनी द्वारा किया जायेगा न कि यू०के० कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली किसी सहायक कंपनी द्वारा।

(iii) रायल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा व्यावसायिक ख्याति के रूप में कुछ भुगतान करने के लिये सहमत होना आवश्यक हो सकता है। इन पर और जांच करनी होगी;

(iv) जहां तक व्यवहार्य हो सके पुंजी को बाहर न भेजा जाये;

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

निर्माताओं द्वारा माल डिब्बों के मूल्य में वृद्धि की मांग

255. श्री वीरेन एंगती :

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बा उत्पादकों ने जिन माल डिब्बों की सप्लाई का ठेका किया था उनमें से बहुत बडी संख्या में समय पर माल डिब्बों की सप्लाई नहीं की है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों ने मूल्य में वृद्धि की मांग की है तथा वे इस मामले को सरकारी उद्यम ब्यूरों को सौंपना चाहते है कि जब कि गैर सरकारी उत्पादकों ने ऐसा नहीं किया है; और

(ग) इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1-10-1974 की स्थिति के अनुसार माल डिब्बा निर्माताओं के पास चोपहिया के हिसाब से 29,234.5 माल डिब्बों के आर्डर बकाया है जिनमें से 10,835.5 माल डिब्बों के आर्डर वे है जो संविदा की मूल सपुर्दगी तारीखें पार कर चुके हैं।

(ख) जी नहीं, लेकिन उद्योग और नागरिक सम्भरण मंत्रालय (भारी उद्योग) ने रेल मंत्रालय को इस मामले पर विचार करने के लिए कहा था।

(ग) सामान्यत: संविदा में तय की गयी कीमतों में संशोधन नहीं किया जाता विशेष रूप से तब जब संविदाओं में लागत के स्थूल तत्वों को मूल्य वृद्धि की व्यवस्थाओं में सम्मिलित कर लिया जाता है। यही बात माल डिब्बों की संविदाओं के मामले में है।

लखनऊ डिविजन (उत्तरी रेलवे) के रेल कर्मचारियों को बहाल करना

256. श्री सरजू पांडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तरी रेलवे के लखनऊ डिविजन के विभिन्न श्रणी के कर्मचारियों को अब तक बहाल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो डिविजनल सुपरिन्टेन्डेट द्वारा दिये गये इस विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बहाल करने के लिये नया आदेश जारी किया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) उत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल में कुल 60 स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को नोकरी से हटाया गया था जिनमें से अब तक 44 कर्मचारियों को उनकी अलग अलग अपीलों के परिणाम स्वरूप ड्यूटी पर वापिस लिया जा चुका है। इन अपीलों पर एक एक करके विचार किया जाना है और ल प्रशासन सभी बकाया अपीलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रयास कर रहा है।

आकस्मिक श्रमिकों/एवजी कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाना इन कोटियों में रेलवे की वास्तविक जरूरत पर निर्भर करता है। तथापि जिन 30 आकस्मिक

श्रमिकों/एवजी कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिये थे उनमें से 28 को फिर से काम पर लगा दिया गया है। 2 अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

एस्सो के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पैट्रोलियन कारपोरेशन को सप्लाई किया गया अशोधित तेल

257. **श्री सेझियान :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1974 के पश्चात हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन को इसके "एस्सो" के साथ हुए समझोते के अन्तर्गत कितना अशोधित तेल सप्लाई किया गया;

(ख) अब तक प्रति बैरल क्या मूल्य दिया गया है; और

(ग) "एस्सो" द्वारा ऋण सुविधाए देना बन्द करने के कारण निगम द्वारा कितनी धनराशि अदा करनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) करार की शर्तों के अनुसार 14 मार्च, 1974 से 31 अक्तूबर 1974 के बीच एस्सो द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को अशोधित तेल की सप्लाई की गई मात्रा 16,95,402 मी० टन है।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान आयातित अरेबियन मिक्स क्रूड जो 80 प्रतिशत अरेबियन लाइट तथा 20 प्रतिशत अरेबियन हैवी से बना है, का मूल्य प्रति बैरल 14 मार्च, 1974 को डालर 9.266/बी बी एल, 17 मई 1974 को डालर 9.566/बी बी एल 19 सितम्बर, 1974 को डालर 9.764/बी बी एल तथा 3 अक्तूबर 1974 को डालर 11.094/बी बी एल थी।

(ग) 14-3-74 को सरकार द्वारा एस्सो स्टैंडर्ड रिफायनिंग कम्पनी में अधिकांश शेयरों के अधिग्रहण से पूर्व अशोधित तेल की सप्लाई के सम्बन्ध में एक्सोन द्वारा इस प्रकार की कोई शाखा सुविधा उपलब्ध नही की गई। तथापि व्यवहृत कार्यपद्धति एक्सोन से चालान की प्राप्ति पर आधारित थी। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुज्ञापत्र की प्राप्ति होने के बाद धन बाहर भेजा गया। इसके परिणाम स्वरूप अशोधित तेल के लदान तथा धन के प्रेषण के बीच 30 से 40 दिन का समय का अंतराल आया। एक्सोन इन्टरनैशनल कम्पनी तथा भारत सरकार के बीच प्रपुंज अशोधित तेल की खरीद के लिये करार के शर्तों के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० को अपरिवर्तनीय शाख पत्र का खाता खोलने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अशोधित तेल के लादान की तारीख से 7 से 8 दिनों के अन्तर्गत धन को बाहर भेजना प्रारम्भ हुआ।

तानूर-तय्याला (केरल) के बीच रैल क्रासिंग पर कार्य

258. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तानूर और तरयाला के बीच रेल क्रासिंग का कार्य कब पूरा हुआ था;

(ख) रेल क्रासिंग संबंधी कार्य पूरा होने के बाद इसे चालू किये जाने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इसके कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) तानूर से तीयालिंगल जाने वाली नयी सडक को पार ले जाने के लिए तानूर स्टेशन पर किलोमीटर 631/25–632/1 पर एक 'ग' श्रेणी का चौकीदार वाला श्रमपार बनाने का काम 1-10-1974 को पूरा हो गया था और इसे 18-10-74 को यातायात के लिए खोल दिया गया। समपार के पहुंच भागों को सितम्बर 1974 में सडक प्राधिकारियों ने पूरा कर दिया था। अत: समपार के खोले जाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

Increases in prices of Petrol

259. **Shri Phool Chand Verma :**
Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of times the prices of petrol and other petroleum products have been increased during the last two years;

(b) the reasons for this frequent increase; and

(c) the results of such a price hike?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) On five occasions, there have been general increases, and on three other occasions there have been selective increases in the selling prices of certain petroleum products on account of the frequent and steep increases in the prices of imported crude oil from the level of $1.88/bbl to over $10/bbl. On three other occasions, prices of certain specified products have been affected by the revision of excise duty.

(c) It has resulted in an increase in the cost of energy, feed-stock etc. of industries, agriculture etc., using petroleum products. It is difficult to assess precisely the impact of the increases on the users. One of the results, however, has been a fall in the consumption of some petroleum products such as motor spirit, bitumen, lubricants and greases.

सिगनल तथा दूर-संचार कर्मचारियों द्वारा "नियमानुसार कार्य" आन्दोलन

260. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के सिगनल तथा दूर-संचार कर्मचारियों ने नवम्बर, दिसम्बर, 1973 में "नियमानुसार कार्य" आन्दोलन किया था और प्रशासन (सदस्य कर्मचारी) रेलवे बोर्ड एवं सिगनल तथा दूर-संचार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है;

(ख) क्या कर्मचारियों को कुछ आश्वासन दिये गए थे और उनकी कुछ मांगे स्वीकार की गई थीं;

(ग) किन मांगों के लिये यह आन्दोलन किया गया था और प्रशासन द्वारा स्वीकार की गई मांगों एवं दिये गये आश्वासनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) प्रशासन द्वारा स्वीकार की गई मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) मैं माननीय सदस्य का ध्यान पहले के अतारांकित प्रश्न 4658 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसका उत्तर लोक सभा में 26-3-1974 को दिया गया था। उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है।

अनुलग्नक

आल इण्डिया सिगनल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन द्वारा "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन

4658. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया सिगनल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन ने गत नवम्बर में "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन चलाया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ;

(ग) क्या उनकी मांगों के सम्बन्ध में उनके (मंत्री महोदय) साथ समझौता होने के पश्चात् उक्त आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो किन मांगों के सम्बन्ध में समझौता हुआ था तथा उनकी क्रियान्विति की स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगों का विवरण और तत्संबंधी स्थिति बतायी गयी है ।

(घ) कोई लिखित समझौता नहीं किया गया था ।

विवरण

मांग नं० 1—सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों को यातायात नियंत्रकों आदि तकनीकी कोटियों के समकक्ष नहीं माना गया है और वेतन आयोग की सिफारिशों की परिधि में भी यह असमानता सहय नहीं रही है ।

टिप्पणी :—तीसरे वेतन आयोग ने विभिन्न कोटियों के वेतनमानों, वर्गीकरण, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वों की विस्तृत जांच और अध्ययन करके जिसमें रेलों के सिगनल एवं दूर-संचार विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, अपनी सिफारिशें की हैं। सिगनल और दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों को आयोग के समक्ष अपने मामले प्रस्तुत करने का भी एक अवसर दिया गया था।

मांग नं० 2—सभी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए और इस काम के घंटे नियमों के अधीन सिगनल एवं दूर-संचार कर्मचारियों को "सतत" के रूप में वर्गीकृत कर के दिया जा सकता है।

टिप्पणी :—पर्यवेक्षण कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें अपवर्जित माना गया है, सिगनल एवं दूर-संचार विभाग के अन्य सभी कर्मचारियों के काम के घंटे उनके कार्यभार के निर्धारण पर आधारित वर्ग पर निर्भर हैं। 12 घंटे की अवधि में जब किसी रेल कर्मचारी के ड्यूटी के सामान्य घंटों में कुल मिलाकर 6 घंटे या इससे अधिक की वह निष्क्रियता अवधि शामिल होती है जिसमें इस तरह की कम से कम एक घंटे की अवधि अथवा प्रत्यक कम से कम आधे घंटे की इस तरह की दो अवधियां शामिल हों जिसके दौरान वह ड्यूटी पर तो हो लेकिन उसे शारीरिक रूप से अथवा दत्तचित्त होकर कोई काम करने के लिए न कहा जाता हो तो उसे अनिवार्यत: सह विरामी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे दिन में 12 घंटे के काम वाले रोस्टर में रखा जाता है जबकि "सतत" के रुप में वर्गीकृत कर्मचारियों को दिन में 8 अथवा साढ़े आठ घंटे के काम वाले रोस्टर में रखा जाता है। यदि कोई रेल कर्मचारी कार्यभार के आधार पर किये गये वर्गीकरण को कष्टकारी महसूस करे तो उस दशा में नियमों में वर्गीकरण पर पुनर्विचार करने की भी व्यवस्था है।

मांग नं० 3—भारतीय रेल सम्मेलन की उप-समिति के अनन्तिम मापदण्ड को देखते हुए, कर्मचारियों की व्यवस्था अपर्याप्त है। जब तक कि नया मापदण्ड तैयार न किया जाये, कम से कम तब तक इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी :—भारतीय रेल सम्मेलन की उप-समिति द्वारा बनाये गये मापदण्ड को अनुमोदित नहीं किया गया था। कर्मचारियों की संख्या वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जाती है और जब कभी आवश्यकता होती है उसकी समीक्षा की जाती है।

मांग नं० 4(क)—सिगनल एवं दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों को जब वे कांटों के विस्फोटन आदि का काम देखें, वही वित्तीय लाभ दिये जाने चाहिए जो रेल पथ कर्मचारियों को दिये जाते हैं।

टिप्पणी :—उस मांग को नियमों में संशोधन जारी करके पूरा कर दिया गया है। इसके लिए "खराबी" के मामलों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। कांटो का विस्फोट उठाये जाने वाले अन्तपोशित अवरोध फाटकों की खराबी, ऊपरी तार वाले तीन या अधिक खम्भों के गिरने के कारण संचार अथवा बिजली की सप्लाई का पूणत: अवरूद्ध हो जाना और बिजली कर्षण के उन ऊपरी तारों का काटा जाना, जिनमें टावर वैगन अथवा "ब्रेक डाउन लारी" को बुलाना पड़े।

मांग नं० 4(ख)—स्टोरकीपरों की नियुक्ति करके निरीक्षकों को भण्डार की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाय।

टिप्पणी :—इस प्रश्न में भंडार के रख-रखाव की प्रणाली में भारी परिवर्तन अन्तग्रस्त है और इस विषय पर विचार हो रहा है।

मांग नं० 5 :—सभी सिगनल कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर दिये जायें।

टिप्पणी :—क्वार्टरों के आबंटन के मामले में सिगनल एवं दूर-संचार कर्मचारियों को "अनिवार्य" के रूप में माना जाता है।

मांग नं० 6—सिगनल एवं दूर-संचार के सभी कर्मचारियों को गर्मी और सर्दी में पूरी वर्दी दी जाये।

टिप्पणी :—वर्दी और संरक्षात्मक कपडों की सप्लाई, वर्दी समिति—1970 की रिपोर्ट द्वारा शासित होती है। जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, सिगनल अनुरक्षक और फिटर तथा बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को रक्षात्मक वर्दियां दी जाती हैं जैसे जरसी, बरसाती और ओवरकोट, जबकि फिटरों और हेल्पर अन्तपशिकों को भी वर्दियां मिलती हैं।

मांग नं० 7—वार्ता सम्बन्धी सुविधाएं रेल प्रशासनों के साथ बातचीत का माध्यम होना चाहिए।

टिप्पणी :—खण्डीय संघों को मान्यता न देने की सरकारी नीति को देखते हुए खेद है कि इस संघ को वार्ता सम्बन्धी सुविधाएं देना संभव नहीं है।

नये औषध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

261. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषध बनाने के लिये नये संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड और हिन्दुस्तान अन्टिबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित नए औषध संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

प्रायोजना	प्रस्तावित क्षमता	मूल लागत रुपये (लाखों में)
भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड :		
न्यायानाबाइड संयंत्र . . .	300 मीटरी टन	838.00
नया सूत्र योग एकक . .	1500 मिलियन गोलियां, बाटल्स और कैपसूल्स 50 मिलियन, 1 लाख लिटर सिरप, आईन्टमेंन्टस् 1 कि० लि०	550.00
हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड :		
पेनिसिलिन संयंत्र II . . .	160 एम० एम० यू०	579.84
यरिथ्रोराइसिन . . .	19 मीटरी टन	403.11
न्यू अन्टीबायोटिक्स . . .	18 मीटरी टन	179.16
इन्डस्ट्रियल एन्जाइम्स . . .	20 मीटरी टन	115.06
नया सुत्र योग एकक . . .	प्रपुंज औषधों की 287 गोलियां तयार करने के लिए क्षमता ।	600.23

इस उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना मसौदे में अपेक्षित निधि का आबंटन किया गया है ।

श्रमिक असन्तोष के कारण हल्दिया उर्वरक संयंत्र समूह के चालू होने में विलम्ब

262. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री बेकारिया :
श्री एम० कतामुतु :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक असन्तोष तथा उपकरणों की सप्लाई में देरी होने के कारण हल्दियां उर्वरक संयंत्र समूह के चालू होने में और विलम्ब हो जायगा; और

(ख) यदि हां, तो अच्छे औद्योगिक संबंध बनाने तथा उक्त परियोजना को समय पर पूरा करने एवम् चालू करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) उपकरणों के समस्त मदों के समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक सामंजस्य को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सहयोग एवं सहायता भी प्राप्त की जा रही है ।

Promotion of S.C./S.T. Railway employees in 1972-73 and 1973-74

263. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the category-wise number of Railway employees promoted in 1972-73 and 1973-74;

(b) the category-wise number, among them of those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(c) the number of those employees of Scheduled Castes and Scheduled Tribes who were not promoted in spite of their seniority and qualifications and who had sent in their applications for the purpose, indicating their names, qualifications and other dates of their appointment, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक-पृथक आरक्षण सूचियां (रोस्टर्स)

264. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय द्वारा 11 फरवरी, 1972 को विभिन्न-भर्ती प्राधिकारियों को जारी किये गये इन आशय के आदेशों का उनके द्वारा बिना अपवाद के पालन किया जा रहा है कि आरम्भिक भर्ती तथा स्थायी बनाते समय आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक-पृथक सूचियां (रोस्टर) रखी जायें; और

(ख) उक्त आदेशों के जारी किये जाने के बाद कुल स्थायी किये गये व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति प्रत्येक भर्ती प्राधिकार के अधीन आरक्षित पदों पर स्थायी बनाये गये तथा किन-किन पदों पर ये आदेश लागू होते थे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Import and Consumption of Oil

265. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the percentage of the crude oil imported in the country as compared to the entire consumption of the country as well as the percentage of rise in the prices thereof during the last two years;

(b) the percentage of rise in the prices of diesel and petrol in the country during this period; and

(c) the sale price of diesel, petrol and kerosene per litre at present and the percentage of different duties or taxes therein?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) The percentage of crude oil imported in the country as compared to its consumption during 1972 and 1973 as follows :—

Year	Percentage of oil imported and consumed
1972	62.6%
1973	65.5%

The percentage of average price increase of the crudes being imported on 1-1-72 and 1-1-74 is about 407.5%.

(b) During the last two years, the price of High Speed Diesel Oil increased by 26.31% and that of petrol by 136.22%.

(c) The retail selling prices of High Speed Diesel Oil, Petrol and Kerosene in Delhi and the percentage of taxes and duty as are follows :—

	Selling price per litre	Percentage of duties and taxes included in the selling prices
1. H.S.D. . . .	1.11	44.1%
2. Petrol	3.27	68.8%
3. Kerosene . . .	1.08	40.7%

उर्वरक बनाने के लिये नेपथा का उपयोग

265. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में नेप्था निर्यात के लिये उपलब्ध है क्योंकि देश में उर्वरक संयंत्र नेप्था के पूरे उत्पादन का उपयोग नहीं कर पाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ऐसे क्या उपाय किये जा रहे हैं जिन से उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) उर्वरक संयंत्रों द्वारा नेप्था का उठाना प्रत्याशित स्तरों से कम हुआ है क्योंकि नए उर्वरक संयंत्रों को आरम्भ करने में देरी हुई थी और यांत्रिक खराबी, श्रमिक अशान्ति के कारण वर्तमान संयंत्र पूर्ण क्षमता के साथ चलने में असमर्थ थे वर्तमान उर्वरक संयंत्रों को पूर्ण क्षमता के साथ चलाने के लिए और नए उर्वरक संयंत्र के पूरे होने वाले ह, को शीघ्र आरम्भ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आशा की जाती है कि नवम्बर 1974 से नेप्था का उठाना बढ़ जाएगा।

उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने सम्बन्धी योजना

267. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975 से उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, उसको क्रियान्वित करने पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और इस प्रयोजन के लिये धन किस प्रकार जुटाया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पांचवीं योजना की अवधि के अंतर्गत उर्वरक क्षमता के व्यापक विस्तार के कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के पश्चात् वर्तमान उर्वरक क्षमता, जो नाइट्रोजन की 1.94 मिलियन मीटरी टन है तथा फास्फेट की 0.56 मिलियन मीटरी टन है, का बढ़कर 6.5 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 1.7 मिलियन मीटरी टन पी 205, हो जाने का अनुमान है। इस क्षमता का विकास सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारिता क्षेत्रों में होगा; जबकि कुछ प्रायोजनाओं के आगामी 2 वर्षों के अंतर्गत चालू

किए जाने का अनुमान है, अन्य आयोजनाओं के केवल पांचवीं योजना के अंतिम दिनों में पूरा होने का अनुमान है। इष्टता उत्पादन करने के लिए संयंत्रों को भी 2-3 वर्ष लगेगें। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समस्त संयंत्रों तथा प्रायोजनाओं, जिनकी उर्वरक कार्यक्रम के परिकल्पना की गई है, द्वारा लगभग 3.6 से 4 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 1 मिलियन मीटरी टन पी० 205 के उत्पादन किए जाने की आशा है। यह उर्वरक की पूर्वानुमानित मांग जिसका वर्ष 1978-79 तक 5.2 मिलियन मीटसी टन नाइट्रोजन तथा 1.8 मिलियन मीटरी टन पी2 ओ5 का अनुमान है। से कब उत्पादन होगा। सरकारी क्षेत्र उर्वरक कार्यक्रम में उन संयंत्रों, जो कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में है, के अतिरिक्त 5 नए संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक बजट सहायता भी प्राप्त कर ली जाएगी।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के फूलपुर में भी सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश), कोटा (राजस्थान) और गुजरात में उर्वरक प्रायोजनाओं की स्थापना हेतु भी आशय-पत्र जारी कर दिए गए है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में खोली गई नई रेल लाइनो की वित्तीय स्थिति

268. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सी नई रेल लाइने खो ी गई है और इन नई लाइनो की वर्तमान वित्तीय स्थिती कैसी है; और

(ख) यदि ये लाइनें अलाभकर सिद्ध हुई है तो उसके क्या कारण हैं और इनको लाभकर बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में खोली गयी नयी लाइनों का विवरण संलग्न है। इन लाइनों की वर्तमान वित्तीय स्थिति और यदि वे अलाभप्रद सिद्ध हुई हैं तो उसका कारण और इन्हें लाभप्रद बनाने के लिए उठाये गये कदम आदि से संबंधित सूचना इकट्ठी की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

रेलवे	क्रम सं०	परियोजना का नाम	आमान	लम्बाई (कि०मी०)	खोलने की तारीख
मध्य	1	सिंगरौली-कटनी . .	बडी लाइन	254.26	7-2-72
पूर्व	2	ऊपरी पुल फीडर कैनाल सहित दक्षिणी सिरे ते बांध पर तिल-डांगाफरक्का लाइन का स्थायी रूप से मार्ग परिवर्तन।	बड़ी लाइन	7.82	11-11-71
	3	फरक्का बांध पर बड़ी लाइन के पुल की व्यवस्था	बड़ी लाइन	2.24	
	4	माल्दा पर अन्तर्बदल स्थान को छोड़-कर फरक्का बांध के बांये किनारे के आंत्याधार और चामाग्राम के बीच बड़ी लाइन बिछाना	बड़ी लाइन	2.40	
	5	फीडर-कैनाल के बायें किनारे के साथ-साथ वल्लारपुर हाल्ट और तिलडांगा लाइन का मार्ग परिवर्तन	बड़ी लाइन	5.98	28-1-72

रेल्वे	क्रम सं०	परियोजना का नाम	आमान	लम्बाई (कि०मी०)	खोलने की तारीख
उत्तर	6	हिन्दुमलकोट-श्रीगंगा नगर	बड़ी लाइन	27.56	11-1-70
	7	सिंगरौली-ओवरा . .	बड़ी लाइन	57.56	30-4-70
	8	कठुआ-जम्मु . .	बड़ी लाइन	77.10	2-10-72
दक्षिण	9	मैंगलूरू-पानमबूर मिश्रत .	मीटर लाइन/ बड़ी लाइन	25.86	10-10-72
दक्षिण-पूर्व	10	कट्टक-परादीप .	बड़ी लाइन	84.31	9-7-73
पश्चिम	11	झुंड-कांडला रेल परियोजना मलिया नया कांडला खण्ड	बड़ी लाइन	100.76	19-9-69

आल इण्डिया लोकोमैन एण्ड रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेता के साथ बातचीत

269. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको कर्मचारियों और "रनिंग स्टाफ" की वे सभी मांगे स्वीकार कर ली गई जिनके लिये रेल मंत्री ने आश्वासन दिये थे; और

(ख) क्या आल इंडिया लोकोमैन एवं रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेताओं के साथ बातचीत हुई है और यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) लोको रनिंग कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में रेल मंत्री ने संसद में 13-3-1973 के अपने भाषण में बताया था। तदनुसार विभिन्न आश्वासनों पर कार्रवाई की गयी है तथा इस स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

13-3-73 को संसद की बैठक में रेल मंत्री के भाषण में वर्णित विभिन्न आश्वासनों पर रेलों द्वारा सामान्यत: जिन तारीखों तक कार्रवाई पूरी की गयी उससे सम्बन्धित विवरण नीचे दिया गया है :—

(क) (i) जिन लोगों पर तोड़ फोड़, रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने और हिंसा सम्बन्धी अपराध के दोष लगाये गये थे उनको छोड़कर अन्य अपराधों के सम्बन्ध में मई-अगस्त, 73 के आंदोलनों के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर्मचारियों को सितम्बर, 1974 तक मुक्त कर दिया गया था।

(ii) दिसम्बर, 1973 के अंत तक सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि तोड़फोड़ हिंसा या रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों के सम्बन्ध में भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत दिये गये आरोपपत्रों को वापस ले लिया जाय।

(ख) मुक्त कर्मचारियों को सितम्बर, 1974 तक पुन: ड्यूटी पर ले लिया गया।

(ग) मई-अगस्त, 1973 की हड़ताल के फलस्वरूप उत्पन्न पदावनतियों, निलम्बनों और निष्कासनों की कार्यवाहियों को नवम्बर, 1973 के अंत तक रद्द कर दिया गया था। विवादग्रस्त मामलों को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की उप-समिति को भेज दिया गया था। इस समिति ने अभी हाल में अपनी कार्रवाइयां पूरी की है।

(घ) उपर्युक्त हड़तालों से उत्पन्न सेवा भंग को रेलों ने नवम्बर, 1973 के अंत तक क्षमा कर दिया है। विवादग्रस्त मामलों को उपर्युक्त (ग) में वर्णित लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की उप-समिति को भेज दिया गया है।

(ङ) नवम्बर, 1973 के अंत तक अगस्त, 1973 के आंदोलन से उत्पन्न अनुपस्थिति की अवधि को अवकाश (अर्जित या अर्जित होने वाले) में समायोजित कर दिया गया था। विवादग्रस्त मामलों को उपर्युक्त मद (ग) में उल्लिखित उप-समिति को भेज दिया गया था।

(च) मई-अगस्त, 1973 के आंदोलनों से सम्बन्धित प्रशासनिक प्रकृति के आरोप-पत्रों को नवम्बर 1973 तक वापस ले लिया गया था। विवादग्रस्त मामलों को उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की उप-समिति को भेज दिया गया था।

(छ) करार के अनुसार लोको रनिंग कर्मचारियों की शिकायतें और इनमें से दो शिकायतों अर्थात (i) "समान काम के लिए समान वेतन"—फायरमैन और शंटरों से सम्बन्धित विषय तथा (ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से असमर्थ कर्मचारियों के वेतन की सुरक्षा, को 16/17 सितम्बर, 1974 को आयोजित लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत उप-समिति की बैठक में अंतिम रुप दे दिया गया था। मील-दूरी भत्ता के भुगतान के आधार को युक्तियुक्त बनाने से सम्बन्धित तीसरा विषय इस समय समिति के विचाराधिन है।

मई, 1974 के दौरान प्रादेशिक सेना के सैनिकों द्वारा गाड़ियां चलाने के कारण हुई क्षति

270. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत मई में प्रादेशिक सेना के सैनिकों द्वारा गाड़ियां चलाने के कारण हुई क्षति को पूरा नहीं किया गया है;

(ख) क्या प्रादेशिक सेना के सैनिकों ने बिना अनुभव के गाड़ियां चलाई थीं; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप गाड़ियों के सामान्य रुप से आने-जाने पर प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रेलवे में रोजगार के लिये कांग्रेस दल के संसद सदस्यों की सिफारिशें

271. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है और उसके अनुसार अनुदेश जारी किये हैं कि यदि रेलवे में रोजगार के लिये ऐसे आवेदन-पत्र प्राप्त हों जिनकी सिफारिश कांग्रेस दल के संसद सदस्यों ने की हो तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, और

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1971 से लेकर अब तक कांग्रेस दल के संसद सदस्यो की सिफारिश पर कितने व्यक्तियों को रेलवे में रोजगार दिया गया है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

M/s. J. B. Mangharam and Company, Gwalior

272. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the present and former partners of M/s. J. B. Mangharam and Company, Gwalior (Madhya Pradesh) have submitted any application to Government for the formation of J. B. Mangharam and Company Private Limited;

(b) if so, the decision taken by Government in this regards;

(c) whether there is any conspiracy to misappropriate the money of the depositors of the bank run by this Company after permission is granted; and

(d) if so, whether Government propose to conduct an enquiry into the whole episode?

Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) & (b) A company by name J. B. Mangharam & Company Private Limited was incorporated on 4th November, 1969 with its registered office at 208/3, Deshbandhu Gupta Road, New Delhi. This Company is the licensee of the factory owned by a proprietory concern in the name J. B. Mangharam & Company at Gwalior.

(c) & (d) An inspection of the books and records of the company under Section 209(4) of the Companies Act, 1956 has been ordered and the report of the Inspecting officer is awaited.

Production and Supply of Chemical Fertilizers

273. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state

(a) the production of chemical fertilizers during the last three years, year-wise;

(b) the present system to ensure the availability of chemical fertilizer to the smalest farmer; and

(c) the improvement needed in the said system and the broad outlines of the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) Production of nitrogenous and phosphatic fertilizers in terms of nutrients :

(in lakh tonnes)

	Nitrogen	Phosphate
1971-72	9.52	2.78
1972-73	10.60	3.26
1973-74	10.60	3.17

(b) & (c) According to the Ministry of Agriculture, fertilizers are allotted to different States which in turn do the internal distribution. The Government of India have impressed upon the State Governments the need to take special care of the requirement of the small farmers and some of the State Governments have in order to protect the interest of the small farmers introduced a system of card/permit for the distribution of fertilizers. State Governments have also been advised to include representatives of farmers in the State Coordination/Standing Committee on Fertilizer Distribution so as to see that the fertilizer needs of the small farmers are fully met.

पश्चिमी रेलवे में गाड़ियों का रद्द किया जाना

274. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**

श्री वनमाली पटनायक :

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पश्चिमी रेलवे में लगभग 100 रेल गाड़ियां रद्द कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 1-11-74 की स्थिति के अनुसार कोयले की कमी के कारण 58 जोड़ी गाडियों और पानी की कमी के कारण अन्य 8 जोड़ी गाड़ियों का चलाना अभी तक निलम्बित था ।

(ग) यात्री यातायात से होने वाली अमदानी का हिसाब प्रत्येक गाड़ी के लिए अलग से नहीं रखा जाता लेकिन चूंकि निलम्बित की गयी अधिकतर गाड़ियां थोड़ी दूरी पर या शाखा लाइनों पर चलती है, इसलिए इन से होने वाली आमदनी में अधिक हानि होने की सम्भावना नहीं है ।

गार्डों की वर्दी के रंग में परिवर्तन

275. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डों की सफेद वर्दी का खाकी वर्दी में बदला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और उस पर गार्डों की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 'ए' और 'बी' ग्रेड के गार्डों को गर्मियों में सफेद जीन और सर्दियों में नीली सर्ज की वर्दियां दी जाती है और 'सी' ग्रेड के गार्डों को गर्मियों में खाकी जीन और सर्दियों में खाकी सर्ज की वर्दियां दी जाती है । ऐसा वर्दी समिति 1969-70 द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुरूप किया गया है ।

(ख) विभिन्न कोटियों के गार्डों के लिए, उनकी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए, समिति ने वर्दियों के बारे में सिफारिश की है । मान्यता प्राप्त यूनियनों से 'सी' ग्रेड गार्डों के लिए भी 'ए' और 'बी' ग्रेड गार्डों के समान वर्दियां दिये जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

Construction of Freedom Fighters' Saheed Smarak in Ballia District

276. Shri Tarkeshwar Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the time by which a decision is likely to be taken on the release of unutilised railway land for the construction of freedom fighters Saheed Smarak in Ballia district of Uttar Pradesh ?

The Deputy Minister of Railways (Shri Buta Singh) : Railway Administration does not have any surplus land at Ballia which can be spared for construction of freedom fighters Shaheed Smarak.

ईरान से भारत को नरम शर्तों पर अतिरिक्त ऋण

277. श्री बेकारिया : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान से भारत को अशोधित तेल खरीदने के लिए नरम शर्तों पर अतिरिक्त ऋण मिलने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो ईरान इस ऋण पर कितना अशोधित तेल देने पर सम्मत हुआ है,; और

(ग) आगामी वर्ष के दौरान ईरान से कुल कितना अशोधित तेल आयात किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : मद्रास शोधनशाला के लिए अशोधित तेल को सप्लाई के लिए दीर्घकालीन करार के अलावा ईरान ने भारतीय तेल निगम को 1974 के दौरान कुछ आस्थगित भुगतान शर्तों पर 1 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए मान लिया है।

1975 के दौरान सप्लाई के लिए निश्चित रूप में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्यान्न ले जाने वाली रेल गाड़ियों का लूटा जाना

278. **श्री भोला मांझी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में खाद्यान्न ले जाने वाली कितनी रेलगाड़ियों लूटी गई है; और

(ख) क्या इन रेल गाड़ियों के साथ सशस्त्र अनुरक्षक भजे गये थे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गत छः महीनों के दौरान सभी रेलों पर खाद्यान्न से लदे माल डिब्बों को लूटने की 18 घटनाए हुई।

(ख) इन गाड़ियों में से केवल एक गाडी के साथ सशस्त्र आरक्षी तैनात थे।

कलकत्ता निगम को सिन्दरी उर्वरक कारखाने की पेशकश

279. **श्री आर० एन० वर्मन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने ने गंदले जल को शुद्ध करने तथा पालता जल परिष्करण एकक को पूर्णतया स्वदेशी पुर्जों से आधुनिक बनाने हेतु कलकत्ता निगम को तकनीकी सहायता देने के लिए पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेशकश स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) इस पेशकश को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड

280. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जालान बन्धु मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न कर रहे है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार ने कोई ऐसे उपाय किये है जिससे जलान बन्धु उसको अपने नियंत्रण में न ले सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेद ब्रत बरुआ): (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) तथा (ग) कम्पनी के एक निदेशक द्वारा, जालान समूह द्वारा कम्पनी के नियंत्रक हितों को प्राप्ति तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा कम्पनी के विस्तार की योजना को छिन्न भिन्न करने के प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 409 के अन्तर्गत एक परिवाद पर, कम्पनी विधि बोर्ड ने अधिनियम की धारा 409 (2) के अन्तर्गत दिनांक 27-9-1974 के एक अन्तरिम आदेश में निदेश दिया कि कम्पनी की दिनांक 30-9-1974 को वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मंडल में परिवर्तन करने के लिये पारित किया गया संकल्प अथवा की गई कार्यवाही बिना कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा पुष्टि किये, प्रभावी नहीं होगी।

इसके पश्चात् कुछ हितार्थी व्यक्तियों ने, कम्पनी को साथ साथ नियंत्रित करते हुये यह रोकादेश प्राप्त कर लिया है, कि कम्पनी अपनी दिनांक 30 सितम्बर, 1974 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में पारित किसी संकल्प को प्रभावी नहीं करेगी।

दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री

281. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, 1974 के दौरान दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अलग अलग कितने प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री हुई; और

(ख) इन टिकटों की बिक्री से माहवार कुल कितनी आय हुई?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) और (ख) : दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर जनवरी से अक्तूबर 1974 तक बेचे गये प्लैटफार्म टिकटों की संख्या और उनसे हुई आमदनी के आंकडे नीचे बताये गये है :—

दिल्ली पर

माह	बेचे गये प्लैटफार्म टिकटों की संख्या	आमदनी
1974—		रु० पै०
जनवरी	163312	40828.00
फरवरी	141128	35280.25
मार्च	178376	44594.00
अप्रैल	160886	80443.00
मई	111391	55695.00
जून	175100	88050.00
जुलाई	148528	74264.00
अगस्त	126627	63313.00
सितम्बर	134725	67361.50
अक्तूबर	141120	70560.00
जोड.	1482191	620388.75

नई दिल्ली पर

माह	बेचे गये प्लेटफार्म टिकटों की संख्या	आमदनी
1974—		
जनवरी	186391	46597.75
फरवरी	162139	40532.25
मार्च	189851	47562.75
अप्रैल	169138	84569.00
मई	108075	54037.50
जून	193635	91817.50
जुलाई	160211	80105.50
अगस्त	141089	70544.50
सितम्बर	144285	72142.50
अक्तूबर	160686	80343.00
जोड	1605500	668252.25

पेट्रोल डीलरों को मिट्टी के तेल की बिक्री की अनुमति देना

282. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में राज्यवार कितने पैट्रोल डीलरों को मिट्टी का तेल बेचने के लिए परमिट दिए गए है; और

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पर्वतीय और पिछडे राज्यों के सभी पैट्रोल डीलरों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 17 फुटकर पम्प विक्रेताओं और दिल्ली में 4 फूटकर पम्प विक्रेताओं को मिट्टी का तेल बेचने की अनुमति दी गई है।

(ख) फुटकर पम्पों के माध्यम से मिट्टी के तेल को बेचने की परियोजना हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के कुछ फुटकर पम्पों में पहले ही चल रही है । इस परियोजना का विस्तार सहानुभूतिपूर्वक चरणबद्ध और चयन पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाएगा।

विदेशी औषधि फर्मों द्वारा लाइसेंसों की शर्तों का पालन न किया जाना

284. **श्री धामनकर** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषधि निर्माता एकक औद्योगिक लाइसेंसों की शर्तों का पालन नहीं कर रहे है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन औषधि एककों द्वारा इन शर्तों का पालन किया जाये

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औषधों का उत्पादन करने वाले विदेशी यूनिटों को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों में जो शर्तें सामान्य रूप से लगाई जाती है, उन में से कुछ निम्नलिखित है :—

(i) निर्यात दायित्व;

(ii) विदेशी साम्य पुंजी में कमी :

(iii) प्रपुन्ज औषध के वास्तविक उत्पादन की विशिष्ट प्रतिशतता की असम्मिलित निर्माताओं को सप्लाई करना :

(iv) किसी विशिष्ट समयावधि में उन सूत्रयोगों, जिनके लिये लाइसेंस दिया गया है, में युक्त प्रपुन्ज औषधों का मल उत्पादन शुरू करना,

(v) क्षमता का उस मात्रा तक नियंत्रण जिस तक उत्पादन किया जा सकता है ।

उत्पादन करने वाले यूनिटों को अपने दायित्वों के बारे में सी सी आई एण्ड ई के साथ निर्यात बंधक (बांड) भरना पडता है, और साम्या पुंजी में कमी किये जाने संबंधी कार्य को वित्त मंत्रालय (पुंजीगत मामलों के नियंत्रक) द्वारा देखा जाता है । जहां तक उपयुक्त (iii) में उल्लिखित शर्त का संबंध है; उन सभी औषध फर्मों, जिन्हें प्रपुंजी औषधों के अपने वास्तविक उत्पादन की कुछ प्रतिशतताम की सप्लाई असम्मिलित निर्माताओं को करनी पडती है, की सूची आई डी० एम० ए० ओ० पी० पी० आई को भज दी गई है,... उन्हें इस बात की सूचना भी भेज दी गई है कि विनिर्माण करने वाली फर्मों द्वारा प्रपुन्ज औषधों की सप्लाई न किये जाने के बारे में सूत्रबद्ध करने वाला कोई युनिट यदि यह समझता है कि उसे हानि हुई है तो वह यूनिट इस के समाधान के लिये पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करे। प्रपुन्ज औषधों का उत्पादन करने वाले उन यूनिटो जिन पर यह शर्त लगाई गई है, को असम्मिलित निर्माताओं को प्रपुंज औषधों की सप्लाई के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट भेजनी पडती है ।

जहां तक उपर्युक्त (iv) का संबंध है, संबंधित प्रपुंज औषध के आयात की इजाजत केवल विशिष्ट अवधि के लिये दी जाती है, और उस के बाद यूनिट को उसका उत्पादन शुरू करना पडता है।

जहां तक उपर्युक्त (v) का संबंध है, कुछ मामलों में औषध का उत्पादन करने वाले विदेशी तथा अन्य यूनिटों ने अधिक उत्पादन किया है। अधिक उत्पादन किये जाने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन का ड्रग वित्त निगम बनाने का प्रस्ताव

285. **श्री घामनकर :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ने सरकार द्वारा ड्रग वित्त निगम बनाये जाने का प्रस्ताव किया है ताकि ड्रग एककों को अपेक्षाकृत अच्छी वित्त सुविधायें प्राप्त हो सकें, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औषध और भेषज उद्योग समिति द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (इंडमा) ने औषध और भेषज के लिए एक वित्त निगम की स्थापना करने का सुझाव दिया है जिसका कार्य भारतीय क्षेत्र को उचित व्याज की दर पर वित्त देने की निगरानी करना होगा। यह सुझाव समिति के विचाराधीन है ।

यात्रि गाड़ियों का पुनः चलाया जाना

286. श्री धामनकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनवार कितनी यात्रीं गाडियां अभी पुनः चालू की जानी है, और

(ख) इन यात्री गाडियों को शीघ्र पुनः चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) 1-10-1974 को जो गाडियां निलम्बित पडी थीं उनकी क्षेत्र वार स्थिति इस प्रकार थी :—

रेलवे	निलम्बित की गयी गाडियों के जोडे
मध्य	कोई नहीं ।
पूर्व	कोई नहीं ।
उत्तर	31.5
पूर्वोत्तर	42
पूर्वोत्तर सीमा	कोई नहीं ।
दक्षिण	140
दक्षिण मध्य	6
दक्षिण पूर्व	1
पश्चिम	63.5
जोड	284

(ख) रद्द की गयी गाडियों को फिरसे चलाने के बारे में केवल तभी विचार किया जायेगा, जब कोयले के स्टाक की स्थिति में यथेष्ठ सीमा तक सुधार हो जायेगा और उसमें स्थिरता आ जायेगी ।

टाटा नगर से अमृतसर और टाटानगर से दिल्ली तक के लिए दूसरे दर्जे का डिब्बा

287. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार यात्रियों को अत्यधिक भीड-भाड़ तथा लम्बी दुरी के यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए आसनसोल स्टेशन पर पंजाब मेल के साथ जोडनेके लिए टाटा नगर से अमृतसर तक के लिए दूसरे दर्जे की एक बोगी चलाने का है;

(ख) क्या भारी भीड़-भाड़ का सामना करने के लिए टाटा नगर से दिल्ली तक के लिए सोने एवं बैठने की एक अन्य बोगी 11 अप और 12 डाऊन गाडियों के साथ लगाने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कब तक करने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जमशेदपुर में जुगसलाई बाजार में सड़क उपरि पुल का निर्माण

288 श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दक्षिण पूर्व रेलवे में जमशेदपूर में जुगसलई बाजार स्थान पर सडक उपरिपूल के शीघ्रनिर्माण का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है । जिसके लिए जनता की सुरक्षा की दृष्टि से उसे शीघ्र बनाने के महत्व का विचार करते हुए मंडलीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति ने चक्रधरपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे) में 18 जुलाई 1974 की अपने बैठक में सर्वसम्मत सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो सडक उपरिपुल का निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, वर्तमान व्यस्त समपारों को सडक उपरी/निचले पुलों में बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार/सडक प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिय वह भी इस शर्त के साथ कि वे लागत का अपना हिस्सा वहन करने के लिए तैयार हों बिहार सरकार ने अभी तक जमशेदपूर में जगसलाय बाजार पर सडक ऊपरी पुल के निर्माण हेतु कोई ठोस प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है । राज्य सरकार से संबद्ध प्राथमिकता और अपने हिस्से के कार्य के लिए बजट व्यवस्था का प्रस्ताव आयोजित होने पर ही रेल प्रशासन द्वारा उस पर कार्रवाई की जा सकती हैं ।

केरल में रद्द की गई रेल सेवाओं को पुनः चालू करना

289. श्री वयालार रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे हडताल के बाद से केरल राज्य में अभी तक रद्द रेल सेवाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को राज्य की आम जनता से काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिसमें इन रेल सेवाओं को पुनः चालू करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हड़ताल के कारण केरल राज्य में रद्द की गयी सभी सवारी गाडिया पुनः चला दी गयी है । लेकिन 22 जोडी गाडियां जो कोयला की कमी के कारण रद्द की गयीं थीं, अब भी पूर्ण / आंशिक रूप से रद्द पडी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जब इंजन कोयले के स्टाक की स्थिति सुधर जायेगी और उसमें स्थिरता आ जायेगी, तब फिलहाल रद्द पडी सवारी गाड़ियों को पुनः चलाने के बारे में विचार किया जायेगा ।

तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों को कोचीन तट-दूर क्षेत्रों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव

290. **श्री वयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों को कोचीन तट दुर क्षेत्रों को पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पैट्रोलियम के लिये केरल तट के निकटवर्ती जलमग्न तटीय क्षेत्र का आन्वेषण करने के लिये कुछ विदेशी पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुये है ।

बम्बई के खुले समुद्र में खुदाई कार्यों की प्रगति

291. **श्री वयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बम्बई के खुले समुद्र में खुदाई कार्य कार्यक्रमानुसार चल रहे है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य बम्बई हाई संरचना पर प्रथम कूप पूरा कर लिया गया है तथा उसका परीक्षण कर लिया गया है । तकनीकी मुल्यकिन के अनुसार, आंकडे अनिर्णायक पाए गए । वर्तमान में दूसरे कूप का व्यधन किया जा रहा हैं ।

राजस्थान को पैट्रोल पम्पों का आवंटन

292. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राजस्थान को कितने पैट्रोल पम्पों का आबंटन किया गया; और

(ख) उनमें से जयपुर को कितने पम्प आबंटित किए गए है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) राजस्थान में 1972 और 1973 के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा 22 फुटकर पम्प आरंभ किए गए हैं ।

(ख) चार फुटकर पम्प ।

राजस्थान को नियत किए गए मिट्टी के तेल की मात्रा

293. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तिमाही में राजस्थान की मिट्टी के तेल का कोई नियतन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मात्रा का मासिक ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां। गत तीन महीनों के दौरान राजस्थान राज्य को माहवार मिट्टी के तेल का आबंटन निम्न प्रकार था :—

जुलाई, 1974	5,211
अगस्त, 1974	5,754
सितम्बर, 1974	6,149

राजस्थान में बिना बिजली वाले रेलवे प्लेटफार्म

294. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय ऐसे कितने रेलवे प्लेटफार्म है जिन पर बिजली की रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उन रेलवे प्लेटफार्मों पर बिजली लगाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ;

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राजस्थान में 326 रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर फिलहाल बिजली रोशनी की व्यवस्था नहीं है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे का राजस्थान में 16 स्टेशनों पर बिजली लगाने का प्रस्ताव है । ज्यों ही आस पास बिजली उपलब्ध हो जायेगी और यदि इसके लिए धन उपलब्ध हुआ तो शेष स्टशनों पर बिजली लगाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिए विश्वबैंक से सहायता

295. श्री वसंत साठे : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों का विकास करने के लिए विश्व बैंक से लगभग कितनी सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) क्या धनराशि के आभाव में कोयले पर आधारित कोरबा तथा पारादीप परियोजनाओं में कार्य अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है;

(ग) क्या कोयले पर आधारित और अधिक उर्वरक संयंत्रों के लिए सम्भाव्यता अध्ययन पूरे किये जा चुके है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थलों के नाम क्या है और इन संयंत्रों पर कब तक काम शुरू हो जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस समय कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र के लिए विश्व बैंक से सहायता हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) कोयले पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना के लिए भारत के विभिन्न भागों में उपयुक्त संभव स्थलों का मूल्यांकन करने हेतु भारतीय उर्वरक निगम इस समय स्थल संबंधी अध्ययन कर रहा है । इसके अतिरिक्त निगम ने असम औद्योगिक विकास निगम के कहने पर असम में भी कोयल पर आधारित उर्वरक संयंत्र के संबंध में भी अध्ययन किया है ।

कोचीन रिफाइनरीज द्वारा इस्पात की चादरों का आयात

296. **श्री वसंत साठे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोचीन रिफाइनरीज द्वारा इस्पात की चादरों के आयात जिन्हें अब जरूरत न होने के कारण बेचा जा रहा है, के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है?

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) कोचीन शोधनशाला लि० द्वारा विक्री के लिए आयातित स्टील के प्रस्ताव के सम्बन्ध समाचार पत्र की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है । विटूमेना का उत्पादन रोक देने के कारण जिस स्टील का पहले आयात किया गया है उसका अब अधिक्य हो गया है । सरकार के परामर्श से कोचीन शोधनशाला विटूमेन स्टील ड्रमों के अन्य उपयोग कर्ताओं में वितरण द्वारा अत्यधिक माल को कम करने की सम्भावना का पता लगा रही है ।

बम्बई के खुले समुद्र में सागर सम्राट द्वारा तेल की खोज

297. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर सम्राट द्वारा बम्बई के खुले समुद्र में खोज कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत छः मास में इसने किन किन क्षेत्रों में खोज की है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या इसने कुछ आरंभिक खुदाई के बाद तकनीकी कठिनाइयों के कारण कुछ स्थानों पर खोज करना बन्द कर दिया था और यदि हां, तो उक्त स्थानों पर कार्य कब पुनः आरम्भ किया जाएगा ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बम्बई हाई संरचना में सागर सम्राट अपने अन्वेषी व्यधन कार्य को निरन्तर कर रहा है ।

(ख) सागर सम्राट सर्वेक्षण करने वाला पोत नहीं है । यह एक व्यधन करने वाला पोत है। सागर सम्राट ने अब तक दो कुओं का व्यधन किया है और इस समय सागर सम्राट बम्बई हाई संरचना में एक स्थान पर तीसरे कुएं का व्यधन कर रहा है । बम्बई हाई संरचना में व्यधित प्रथम कुएं से परीक्षण के दौरान तेल और गैस निकली।

(ग) अरब सागर की तारापुर संरचना में 2782 मीटर की गहराई तक सागर सम्राट द्वारा व्यधित कुएं को व्यधन के दौरान कुए आदि उलझनों के कारण और सागर सम्राट की कुल सुरक्षा का ध्यान रखते हुए छोड दिया गया था। इस समय तारापुर संरचना का कार्य पुनः आरंभ करने की कोई योजना नहीं है ।

जैसलमेर में तेल की खोज की प्रगति

298. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल साधनों का पता लगाने हेतु राजस्थान के जैसलमेर में तेल के लिए खुदाई कार्य में क्या प्रगति हुई है,

(ख) क्या प्राप्त हुए नमूनों की जांच से उक्त क्षेत्र में तेल मिलने का पता चला है; और

(ग) जैसलमेर में यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 5 संरचनाओं पर 1968 से पूर्व 6 अन्वेषण कूप खोदे गए थे। छटे कूप, जो मनहेरा तिब्बा संरचना पर खोदा गया था, में छिछली गहराई पर गैस प्राप्त हुई। प्राप्त की गई गैस की मात्रा का मुल्यांकन करने हेतु इस क्षेत्र में 8 छिछले मल्यांकन/विकास कूपों का भी व्यधन किया गया। जैसलमेर जिले में शुभारवाली तलाई पर गहन व्यधन कार्य प्रगति पर है तथा इस कूप को 3-11-74 तक 2838 मीटर की गहराई तक खोद लिया गया था।

(ख) इस कूप से बहाव (फ्लश) तथा 'कोर' के जो नमुने लिए गए थे उनका प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है । जब तक कूप का व्यधन एवं परीक्षण कार्य अच्छी तरह से पूरा नहीं हो जाता तब तक सम्भाव्यता के बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं है।

(ग) शुभारवाली तलाई में व्यधन कार्य प्रगति पर है तथा इसके तीन महीने के भीतर पूर्ण होने की आशा है। दो अन्य संरचनाओं, एक फुटीर, तथा दुसरा लंगवाला, पर यथा समय में व्यधन कार्य आरंभ किए जाने की आशा है ।

गुजारत में बिना चौकीदारों वाले रेलवे क्रासिंग

299. श्री डी० डी० देसाइ : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में बिना चौकीदारों वाले कितने रैलवे क्रांसिंग है; और

(ख) उक्त क्रासिंगों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गुजरात राज्य में बिना चौकीदार वाले 3704 समपार है ।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दूर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित निवारणात्मक उपाय किय गये है :—

(i) रेल पथ को सावधानी पूर्वक पार करने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के उद्देश्य से रेलवे सीमा में पड़न वाले बिना चौकीदार वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गो पर बड़े बड़े "रुकों" बोर्ड लगाये गय है।

(ii) "सीटी बजओं" बोर्ड स्थिर किये गये है जिन से पास आती हुई गाड़ियों के ड्राइवरों का यह कर्तव्य हो जाता है कि जैसे ही गाडी बिना चौकीदार वाले समपारों के नजदीक पहुंचे तो वे सड़क उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त चेतावनी के रूप में सीटी बजाए ।

(iii) राज्य सरकारों से, बिना चौकीदार वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों पर सड़क चिन्ह लगाने का आग्रह किया गया है।

(iv) राज्य सरकारों ने, मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे नियम भी बनाये है जिन के अनुसार सभी वाहनों के ड्राइवरों को, बिना चौकीदार वाले समपारों के कुछ पहले रुकना पड़ेगा और तत्पश्चात यह देखने के बाद कि दोनों ओर रेल पथ साफ है, रेलवे लाइन पार करेगा।

(v) सडक उपयोकगर्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए आटोमोबाईल एसोसिएशनों आदि से अपील करके, तेज गतिवाले वाहनों के मालिकों/ड्राइवरों को पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में पर्चे बांटकर, आकाश-वाणी, सिनेमा स्लाइडों आदि के द्वारा प्रचार के रूप में शिक्षात्मक अभियान भी चलाया जा रहा है ।

इसके अलावा, आवधिक यातायात संगणना के आधार पर अथवा राज्य सरकार/सडक प्राधिकारी द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ऐसे समपारों को निर्धारित कार्यक्रमानुसार चौकीदार वाले समपारों में परिवर्तित किया जा रहा है जहां पर सड़क और रेल यातायात दोनों का भारी दबाव रहता है।

गुजरात राज्य को पैट्रोलियम और गैस का आवंटन

300. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को पैट्रोलियम और गैस की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस बार में राज्य की निरंतर उपेक्षा की जा रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) राज्य को गत तीन महीनों पैट्रोलियम और गैस का कितना आवंटन किया गया और राज्य सरकार ने कुल कितनी मात्रा की मांग की थी; और

(घ) राज्य को पूरे कोटे की बहाली करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) गुजरात सहित देश के किसी भाग में पैट्रोल की कमी होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पैट्रोल का राज्य वार आबंटन नहीं किया जाता है ।

आई० ओ० सी० गुजरात में भी अपने वर्तमान ग्राहकों की इंडेन गैस के भरे सिलेंडरों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है । तथापि उनकी शोधनशाला में कम उत्पादन होने के कारण बर्मा शैल द्वारा की जाने वाली गैस की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा। तब से स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है । राज्यों को गैस के कोई कोटे आबंटित नहीं किये जाते।

राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन उत्पाद की उपलब्धता तथा राज्य में इसके विगत खपत क आधार पर किया जाता है । उपभोग में बचत करने हेतु, इस वर्ष के प्रारंभ से समस्त राज्यों के कोटे में कमी की गई है । जुलाई से सितम्बर तक की 3 महीनों की अवधि में गुजरात के लिये की गई आबंटन तथा वास्तविक सप्लाइयां निम्नलिखित है :—

(आंकडे मीटरी टनों में)

माह	आबंटन	सप्लाई
जुलाई . .	17917	20592
अगस्त . . .	18058	20409
सितम्बर . . .	18190	19476

इससे यह प्रतीत होगा कि इस राज्य को मिट्टी के तेल की वास्तविक सप्लाई आबंटन से सचमुच में अधिक की गई है ।

मिट्टी के तेल के कोटे में की गई कटौतियों की मात्रा को अब कम कर दिया गया है । नवम्बर के महिने के लिए गुजरात राज्य को अक्तूबर 1974 में किए गए 19,550 मीटरी टन क आबंटन की तुलना में, आबंटन को बढाकर 23,024 मीटरी टन कर दिया गया है ।

गुजरात में बर्खास्त/निलम्बित कर्मचारियों की बहाली

301. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सभी निलम्बित तथा बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों को, जिन के विरुद्ध कोई आरोप नहीं थे, सेवा में वापस नहीं लिया गया है और यदि हां, तो मई, 1974 की हड़ताल के कारण इस प्रकार के कितने कर्मचारी अभी भी निलम्बित है;

(ख) कितने कर्मचारियों को सेवा में वापस ले लिया गया है;

(ग) क्या सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदनों से पता चला है कि इन मे से किसी भी कर्मचारी की तोड फोड की घटनाओं में कोई हाथ नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें सेवा में वापस न लेने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं; 12 कर्मचारी अभी भी निलम्बित है और उन्हें वैध आधार पर निलम्बित किया गया था ।

(ख) जिन 1476 कर्मचारियों को ड्यूटी से निलम्बित किया गया था उन्हें काम पर वापस ले लिया गया है ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) 12 कर्मचारी जिनके विरुद्ध पुलिस में मामले चल रहे है वे अभी निलम्बित है ।

Indo-Rumanian Cooperation to locate Oil in other countries

302. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Rumania has offered to extend cooperation to India to locate oil in Iraq, Syria and Algeria;

(b) if so, in what form this cooperation will be available; and

(c) reaction of Government thereto?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) Both India and Rumania have agreed in principle to examine the possibility of collaborating in oil exploration and exploitation in third countries but no proposals for cooperation in any third country have so far emerged.

बासपाणि-तालचेर रेलवे पर कार्य का पूरा होना

303. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांसपाणि-तालचेर रेलवे पर अब तक कितना कार्य पूरा हुआ है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : तालचेर-बिमलागढ रेल सम्पर्क का विस्तार कोइरा घाटी होकर बांसपाणी तक करने क लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस परियोजना पर आगे तभी विचार किया जायगा जब इस लाइन का पोषण करने वाली मलंगटोली लौह अयस्क निक्षेप के विकास के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी।]

राज्य सरकारों को नए रूटों के बस परमिट जारी न करने का निदेश

304. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने राज्यों को निदेश दिया है कि नए रूटों पर बसों के लिए अथवा 1974-75 वर्ष के शेष भाग के लिए वर्तमान रूटों पर अतिरिक्त बसों के लिए परमिट न जारी किए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) परिवहन, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में डीजल तेल की खपत में मितव्ययता प्राप्त करने के लिए अन्य उपायों के साथ साथ इन उपायों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सिफारिश की गई थी। इस संबंध में अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से परिपत्र जारी किया गया था।

गोआ में बिना बिजली की रोशनी वाले रेलवे प्लेटफार्म

305. **श्री पुरुषोत्तम ककोडकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में ऐसे कितने रेलवे प्लेटफार्म है जहां पर बिजली की रोशनी के कोई प्रबन्ध नहीं है?

रेल मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : फिलहाल गोवा के 7 रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर बिजली नहीं लगी है। सात स्टेशनों में से दो पर बिजली लगायी जा रही है और बाकी पांच स्टेशनों के आस पास बिजली उपलब्ध नहीं है।

गोआ को आबंटित पैट्रोल पम्प

306. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में गोआ को कितने पैट्रोल पम्प आबंटित किए गए ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : तेल कंपनियों द्वारा वर्ष 1972 और 1973 में गोआ में 4 फुटकर बिक्री केन्द्र स्थापित किए गए।

गोआ को मिट्टी के तेल का आवंटन

307. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मास के दौरान गोआ को मिट्टी के तेल का कोई आबंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) गत तीन महीनों के दौरान गोआ को मिट्टी के तेल के आबंटन का माहवार ब्यौरा इस प्रकार था :

(आंकडे मीटरी टनों में)

	आबंटन	अनुरोध पर तदर्थ सहायता	कुल आबंटन
जुलाई 1974	751	250	1001
अगस्त 1974	756	250	1006
सितम्बर 1974	825	..	825

विश्व बैंक से फूलपुर और सिन्दरी उर्वरक संयंत्रों के लिए सहायता

308. **श्री जी० वाई० कृष्णन** :
श्री एन० ई० होरो :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक सहकारिता क्षेत्र में फुलपुर उर्वरक परियोजना और सिंदरी संयंत्र के आधुनिकीकरण की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सिन्दरी माडर्नाइझेशन प्रोजेक्ट (सिन्दरी आधुनिकीकरण प्रायोजना) के लिए विदेशी

मुद्रा लागत को पूरा करने के सम्बन्ध में 91 मिलियन डालर ऋणसहित इन्टरनैशनल डिवैलपमेन्ट एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श पूरे कर लिए गए है । इसी प्रकार के विचार विमर्श फुलपूर में इफ्को प्रायोजना की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए 109 मिलियन डालर की हानि के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ पूरे किये गये हैं ।

उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के उपाय

309. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थापित क्षमता के उपयोजन और इस क्षमता में आगें विस्तार पर लगभग रोक लगाने के कारण देश में उर्वरकों के उत्पादन में गम्भीर कमी हुई है और बिजली के संकट ने इस स्थिति को और भी उग्र बना दिया है;

(ख) क्या पिछले वर्षों की सरकारी नीति और आयोजना विदेशी पूंजी पर निर्भरता, जो कि उपलब्ध नही हो रही, एवं इस अत्याधुनिक तथा विशिष्ट क्षेत्र में निग्मेय राशियों उपकरण और दक्षता की दृष्टि से निश्चित रूप से अपर्याप्त संसाधनों के साथ पूरा काम करने का कडा रुख अपनाने बीच डांवांडोल होती रही; और

(ग) निश्चित दृष्टिकोन तथा निति के साथ देश में उर्वरकों का उत्पादन बढाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सिन्द्री, एलबाय, नग्वैली आदि जैसे पुराने संयंत्रों की उपयोग क्षमता कम रही है जबकि आधुनिक प्रक्रिया पर आधारित अन्य एककों का कार्य असंतोषजनक रहा है । बाद वाले एककों के उपयोग की क्षमता अच्छी हुई होती परन्तु कुछ बाह्य कठिनाई मुख्यत: बिजली की सामने आई । तथापि यह कहना सही नहीं है कि अतिरिक्त उर्वरक क्षमता का सृजन कम हो गया है ;

(ख) जी, नहीं । औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ब्रोचर शीर्षक 'फाइ लाइन्स फॉर इन्डस्ट्रीज मे व्यक्त स्पष्ट नीति का पालन किया जा रहा है ;

(ग) उत्पादन बढाने के लिए चालू एककों की मरम्मत, कठिनाइयों को दूर करने, आधुनिकीकरण जैसे विभिन्न उपाय अपनाए गए है । इसके अलावा, अतिरिक्त उर्वरक बढाने के लिए सरकारी, निजी और सहकारिता क्षेत्रों में बडे पैमाने पर कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में नाइट्रोजन की क्षमता जो इस समय नाइट्रोज की 1.94 मिलियिन मीटरी टन तक बैठती है वह पांचवी योजना के अंतिम वर्ष तक नाइट्रोज के 6.5 मिलियन मीटरी टन तक पहुंच जाएगी ।

Zone-wise railway employees under suspension till August, 1974 due to recent railway strike

310. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the zone-wise number of the employees under suspension till August, 1974 due to he last Railway strike;

(b) the reasons for not re-instating them so far and

(c) the time by which they will be reinstated?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) A Statement is attached.

(b) & (c) The cases of these remaining number of suspended employees will continue to be reviewed. Suspension had to be ordered when employees were either arrested and in custody for more than fourtyeight hours or when, for reasons connected with the last strike or otherwise required the employee to be kept away from his area of duty for his prejudicial activities.

STATEMENT

Number of railway employees who are under suspension at present on the various Railways is as under :—

Central Railway	118
Eastern Railway	165
Northern Railway	79
North Eastrern Railway	262
Northeast Frontier Railway	9
Southern Railway	55
South Central Railway	..
South Eastern Railway	263
Western Railway	46

हावड़ा-रुरकेला एक्सप्रेस में डकैती

311. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र डकैतों ने 26 सितम्बर, 1974 को हावडा–रूरकेला एक्सप्रेस गाडी के यात्रियों से उनका सामान छीना था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का भविष्य में क्या आवश्यक सुरक्षा उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । 25/26-9-1974 की रात को 323 अप (हवडा-राउरकेला एक्सप्रैस) के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों से 8 हथियारबन्द व्यक्तियों ने उनका रुपया पैसा और असबाब उस समय लूट लिया जब गाडि पांसकुडा और शामचक रेलवे स्टेशनों के बीच जा रही थी।

(ख) 'रेलवे पुलिस सहित पुलिस' राज्य का विषय होने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार रेल गाडियों में ऐसे अपराधों को रोक-थाम के लिए सभी ऐसे आवश्यक कदम उठा रही है जो उसकी सामर्थ्य में है, जैसे रात के समय प्रमुख गाडियों पर अनुरक्षी तैनात करना, सादे लिबास में पुलिस वालों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करना, स्टेशन प्लेटफार्म और प्रतीक्षालयों पर नियमित गश्ती दल लगाना, अपराधियों और ज्ञात बदमाशों पर नजर रखना, विशिष्ट अपराधों के लिए और निवारक अधिनियमों के अधीन अपराधियों पर अभियोग चलाना ।

कुछ फर्मों द्वारा लघु-उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव

312. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की कमी पूरी करने के लिए कुछ फर्मों ने कुछ राज्यों में लघु उर्वरक कारखाने स्थापित करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट पेशकश प्राप्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लिबिया द्वारा तेल की खोज के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की प्रस्तावित रियायतें

313. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिबिया ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तेल की खोज के लिए कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) दोनों देश भारत और लीबिया तेल अन्वेषण के क्षत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गए है। हाल ही में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एक विशेष दल लीबियन राष्ट्रीय तेल कम्पनी के साथ चर्चा करने के लिए तथा लीबिया में तेल की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए लीबिया गया था।

उर्वरकों के उत्पादन का कार्यक्रम

314. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजनावधि में लाइसेंस प्राप्त कितनी परियोजनाए, नए तथा अथवा प्रसार कार्यक्रम के अधीन, उर्वरक-उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए चलाई गई और उनकी विशषताएं क्या है ;

(ख) कौन कौन सी परियोजनाएं कार्यक्रमनुसार मार्च, 1976 तक उत्पादन आरम्भ कर देंगी और इससे कितनी अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी; और

(ग) उर्वरकों का आयात न करने की दृष्टि से उन्हें पूरा करने की और क्या विशेष ध्यान दिया जा रहा है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) चौथी योजना के अन्तर्गत लाइसेंसीकृत/अनुमोदित उर्वरक प्रोयोजनाओं के ब्योरे दिए गए है :—

	प्रायोजना	राज्य जहां स्थित है	पोषक के रूप में क्षमता (मिटरी टनों में)		उत्पादन के प्रारम्भ करने की तिथि
			एन	पी 2 ओ 5	
1	नागरूप विस्तार	असम	152		जनवरी 1975
2	बरौनी . . .	बिहार	152	..	मार्च 1975
3	कलोल/कांडला .	गुजरात .	215	127	नवम्बर 1974
4	रामागुण्डम .	आंध्र प्रदेश .	228		अक्तूबर 1976
5	तालचर . .	उडीसा .	228	..	अक्तूबर 1976
6	ट्राम्बे विस्तार (4) .	महाराष्ट्र .	75	75	अप्रैल 1974
7	तूतीकोरिन .	तामिलनाडु .	258	51	फरवरी 1975
8	हल्दिया . .	पश्चिम बंगाल .	152	75	अक्तूबर 1976
9	कोटा विस्तार (1) . .	राजस्थान .	42	..	नवम्बर 1974
10	कोचीन चरण- 2 . .	केरल	40	114	अक्तूबर 1975
11	कोरबा . .	मध्य प्रदेश .	228	..	अक्तूबर 1978
12	गोआ . .	गोआ .	171	42	नाइट्रोजन यूनिट ने उत्पादन प्रारंभ किया ।
13	मंगलौर .	कर्नाटक .	160	..	जून, 1975
14	खोल्ली: . . .	राजस्थान .	..	90	जनवरी, 1975
15	सिन्द्री आधुनिकीकरण .	बिहार .	129	..	मार्च 1978

(ग) समय-समय पर कार्यान्वयनाधीन प्रायोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा उनको शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये है ।

पंजाब को मिट्टी के तेल का नियतन

315. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तिमाही में पंजाब को मिट्टी के तेल का नियतन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस का मासिक ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पिछले तिमाही के अंतर्गत पंजाब राज्य को निम्नलिखित आबंटन एवं सप्लाइयां की गई :—

(आंकडे मीटरी टनों में)

	आबंटन
जुलाई, 1974	9081
अगस्त, 1974	8951
सितम्बर, 1974	9461

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में बिना बिजली की रोशनी वाले रेलवे प्लैटफार्म

316. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय ऐसे कितने रेलवे प्लैटफार्म हैं जिन पर बिजली की रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इन प्लैटफार्मों पर बिजली की रोशनी का प्रबन्ध करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) सरकार की इस बारे में भावी योजना क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फिलहाल, उड़ीसा में 77 स्टेशनों के प्लेटफार्म पर बिजली की रोशनी की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) इन 77 स्टेशनों में से 11 स्टेशनों पर 1974-75 के दौरान बिजली लगाने का कार्यक्रम है ।

(ग) जब भी आस पास में बिजली की सप्लाई उपलब्ध होगी, बाकी स्टेशनों पर बिजली लगाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

उड़ीसा को मिट्टी के तेल का नियतन

317. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या गत तिमाही में उड़ीसा को मिट्टी के तेल का कोई नियतन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस का मासिक ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां। गत तीन महीनों के दौरान उड़ीसा को मिट्टी के तल का आवंटन निम्न प्रकार किया गया :—

(आंकड़े मी० टनों में)

	आवंटन
जुलाई, 1974	4038
अगस्त, 1974	5425
सितम्बर, 1974	4800

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सागर सम्राट द्वारा खुदाई कार्य पुनः आरम्भ करना

318. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा ऋतु में बन्द रखने के बाद 'सागर सम्राट' को पुनः काम पर लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आगामी कुछ मास मे बताए गए खुदाई कार्यक्रम की मुख्या बातें क्या हैं, और

(ग) उन का पहले के कामों से क्या संबंध होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ख) और (ग) मौसम की प्रतीक्षा करने के बाद, सागर सम्राट को बम्बई हाई संरचना में दूसरे कुएं के व्यधन कार्य पर लगाया गया है जिसे 7 अक्टूबर, 1974 को खोदा गया था। अगले महीनों में सागर सम्राट द्वारा इस क्षेत्र में खोदे जाने वाले कुछ और कुओं की सूची तैयार की गई है। ये सारे कुएं इस संरचना सम्भावना को सिद्ध करने मे सहायक होंगें।

नई दिल्ली और हावडा के बीच राजधानी एक्सप्रेस गाडी का घाटे पर चलना

319. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली हावड़ा के बीच चल रही राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी रेल भाड़े में हाल की वृद्धि के पश्चात से लगभग 20,000 रु० के घाटे पर चल रही हैं, क्योंकि हर ट्रिप में इस में दोनों तरफ लगभग 100 सीटें खाली रहती हैं;

(ख) क्या राजधानी एक्सप्रेस के रेल कर्मचारी बिना भारी ए० सी० सी० सोने-बैठने की सीटें रात्रि में चेयर कारों के उन यात्रियों को दे कर जो उन्हें काफी पैसे देते हैं, काफी गैर-कानूनी धन कमा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो राजधानी एक्सप्रेस (नई दिल्ली-हावड़ा) में भ्रष्टाचार रोकने और गाड़ी में खाली कुर्सियों-सीटों के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए सरकार का क्या तत्काल उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यद्यपि 15-9-1974 से किरायों में वृद्धि हो जाने के बाद इन गाड़ियों में उपयोग के प्रतिशत में मामूली सी कमी हुई है तथापि वास्तव में इन गाड़ियों से होन वाली कुल आमदनी में किरायों के बढ़ जाने के कारण वृद्धि हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Cancellation of Bhusawal-Itarsi Passenger train

320. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date on which Bhusawal-Itarsi Passenger train was cancelled ;

(b) the reasons for the cancellation of the train ; and

(c) the reasons for not taking any action so far for restoring this train ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) With effect from 10-8-1968.

(b) The cancellation of 349 Dn/350 Up on Bhusawal-Itarsi section occasioned initially owing to pressure on the limited section capacity in the wake of diversion of Western Railway trains following floods/breaches on Delhi-Bombay (Western Railway) route has continued on account of lack of adequate traffic justification.

(c) There are already two pairs of passenger trains serving Bhusawal-Itarsi section, one during day and one during night which even are not fully petronised. There is therefore, no justification for restoring this train cancelled in August' 1968, which was not re-introduced on account of poor occupation. Steps by way of granting stoppage of Express trains at comparatively important stations on Bhusawal-Itarsi section and a revision in the train timings on this section, have been taken to cater to the needs of public who were availing the cancelled 349Dn/350 Up Passenger.

Statement of Liabilities in respect of Local and External Goods (Central Railway)

321. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to furnish a statement of monthly liabilities of the Central Railway in respect of both local and external goods traffic, separately for the period from January, 1972 to January, 1973 ?

The Dy. Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : A month wise statement of the liabilities (compensation claims due to losses, thefts and pilferages and damage etc.) of the Central Railway in respect of both local and external goods traffic for the period from January, 1972 to January, 1973 is attached. [*Placed in Library.* See *No. L. T.* 8454/74.]

New Railway Lines in Madhya Pradesh during Fifth Plan Period

322. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the salient features of the scheme relating to laying of new railway lines in Madhya Pradesh during the Fifth Plan period ; and

(b) whether Government have under consideration any proposal for doubling of any of the railway lines in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) A statement is attached. [*Placed in Library.* See *No. L.T.* 8455/74.]

(b) The following schemes of doubling are in progress in Madhya Pradesh :—

(i) Doublings in Bina-Katni Section—Length 119 Kms. ; Cost Rs. 10.19 Crores.

(ii) Doubling from Nagda to Ramganjmandi (part of which lies in Madhya Pradesh)—Length 153 Kms; Cost Rs. 12.58 Crores.

(iii) Doubling of Basai-Matatila and Gher-Hetampur Section.—Length 13.54 Kms. Cost Rs. 5.74 Crores.

Hospitals and Health Centres for Railway Employees in Madhya Pradesh

323. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of the railway stations in Madhya Pradesh State at which railway hotpitals and health centres have been opened for the employees and main features of the facilities available therein ;

(b) the number of the employees working on each such station who will be benefited thereby ; and

(c) whether Government would open more hospitals and if so, the names of the places where they would be located ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) Information is given in the statement attached. [*Placed in Library*. See *No. L.T.* 8456/74.]

(c) There is a proposal under consideration to provide a hospital at Sahdol. This will be taken up if funds position permit.

Udaipur Station on Western Railway

324. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any station named Udaipur exists on the Western Railway ; and

(b) if not, the reasons why the Railays issue tickets to passengers for Udaipur station ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) The name of Udaipur station was recently changed to that of Ranapratap Nagar. However, the old stock of tickets with the name of the station printed as Udaipur was still in stock and hence the same is being issued after altering the name of the station by hand as far as possible before issue.

Vendors of Raxaul Junction (North Eastern Railway)

325. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some vendors who have been selling pans, bidis, sweets and fruits as the Raxaul Junction of North Eastern Railway for the last more than ten years have formed a Consumers' Co-operative Society (Registered) ;

(b) whether any complaint has been received by Government from the public and the officers against these vendors and if so, the salient features thereof ; and

(c) whether Government had issued the licence for selling eatables at that Railway station to a private contractor, instead of awarding it to the Co-operative society of the vendors in violation of their own declared policy in this regard ;

(d) whether Government have taken a decision to re-issue the licence for selling eatable at the Raxaul Station to the Co-operative Society ; and

(e) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) A Co-operative Society in the name of Raxaul Railway Vending & Canteen Co-operative Society Ltd., Raxaul was registered on 8-12-1973. The Society has not submitted names of members and other details. In the absence of details, which of the vendors are its members, is not known.

(b) There were complaints against vending contractors Shri Rameshwar Prasad for non-supply of Betel and misbehaviour and Shri Akloo Mian for misbehaviour.

(c) The contract has been allotted to one of the existing contractors on merit. As the Co-operative Society did not furnish names of the members and other details, it could not be considered for allotment of the contract.

(d) No.

(e) Does not arise.

Production of Chemical Fertilizers

326. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have slashed down havily their plan of chemical fertilizers production ;

(b) if so, what was Government's target and the extent to which it has been cut down ;

(c) the reasons for imposing this cut ;

(d) whether the above target could have been achieved by effecting cut on other items ; and

(e) if so, the reasons for not doing so ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) No, Sir.

(b)

Targets	1978-79
Nitrogen	4.00 million tonnes.
Phosphate (P_2O_5)	1.25 Do.

(c), (d) and (e) Do not arise.

रेल में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा का विमान यात्रा से महंगा होना

327. **श्री के० जाफर शरीफ :**

श्री जी० वाइ० कृष्णन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल में वातानुकूलित यात्रा हाल ही में रेल किरायों में वृद्धि के बाद विमान यात्रा से भी महंगी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वातानुकूल पहल दर्जे में दी गयीं सुख-सुविधाओं की मात्रा को देखते हुए इस दर्जे का किराया हवाई जहाज के किराये से कम न रखना उचित ही है ।

अपील अधिकरणों में आयकर के मामले

328. **श्री गजाधर माझी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश में राज्यवार अपील अधिकरणों में आयकर के कितन मामले निर्णयाधीन हैं; और

(ख) उनको निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) 1 अक्तूबर, 1974 को आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित आय-कर मामलों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है :—

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1-10-74 को लंबित मामलों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	4389
2. आसाम	1310
3. बिहार	3414
4. गुजरात	4980
5. हरियाणा	930
6. हिमाचल प्रदेश	18
7. जम्मू-कश्मीर	224
8. केरल	1251
9. महाराष्ट्र	10950
10. मध्यप्रदेश	2090
11. मणिपुर	68
12. मेघालय	53
13. कर्नाटक	1733
14. नागालैंड	54
15. उड़ीसा	516
16. पंजाब	1960
17. राजस्थान	2609
18. तमिल नाडु	8526
19. त्रिपुरा	22
20. उत्तर प्रदेश	7415
21. पश्चिम बंगाल	8166
संघ राज्यक्षेत्र	
1. अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
2. चण्डीगढ़	111
3. दिल्ली	5386
4. गोवा, दमण और दीव	680
5. पांडिचरी	9
	67,321

(ख) आय-कर अपील अधिकरण क अध्यक्ष ने सभी संबंधित व्यक्तियों को यह निर्देश दिया है कि पुराने मामलों के साथ-साथ ऐसे मामलों के निपटारों को भी परम-पूर्विकता दी जाए जिनमें रकम 40,000 रु० से कम हो ।

किसानों को रियायती दरों पर डीजल की सप्लाई

329. **श्री राम रतन शर्मा :**

श्री माधव राव सिन्धिबा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसानों को रियायती दरों पर डीजल सप्लाई करने की योजना है और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जी, नहीं ।

सरकारी वाहनों में प्रयोग होने वाले पैट्रोल डीजल के मूल्य में छूट देना

330. **श्री राम रतन शर्मा :**

श्री माधव राव सिन्धिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 तक सरकारी वाहनों अथवा मंत्रियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वाहनो के लिए प्रति लिटर पेट्रोल/डीजल के मुल्य में कितनी छूट दी गई थी तथा अब कितनी छूट दी गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदा के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर दिनांक 1-1-1974 तक प्रति किलोलीटर पांच पैसे रिबेट की अनुमति दी गई थी । प्रपुंज उठान तथा कम्पनी के फटकर बिक्री केन्द्र की मार्फत बिक्री पर दोनों के लिए इस रिबेट की अनुमति दी गई थी । सरकारी गाड़ियों और मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली गाड़ियों के लिए भी यह लाभ दिया गया था जो कि इस प्रकार की खरीदों से इंधन इस्तेमाल करती थीं । आई० ओ० सी० ने दिनांक 1-1-1974 से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की संविदाओं के विरुद्ध फुटकर पेट्रोल पम्पों का सप्लाई को बन्द कर दिया है । इस समय यह रिबेट प्रपुंज उठाने के लिए ही दिया जाता है ।

भारतीय उर्वरक निगम को उत्पादन की हानि

331. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम को वर्ष 1974 में 45,000 टन से अधिक नाइट्रोजन की उत्पादन हानि हुई है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये है;

(ख) यदि हां, तो हानि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) लाभ में वृद्धि करने तथा और अधिक हानि को रोकने के लिये क्या कारवाई की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बिजली रूकावटों/वोल्टेज में कमी आदि के कारण निगम को लगभग 45,800 मीटरी टन नाइट्रोजन के उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये था ।

(ग) बिजली की आपातिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कि गोरखपुर में संयंत्र के भीतर ही बिजली उत्पादन करने के लिए 12.5 एम० डब्लू० टरबों आलटरनेटर सेट स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है। अन्य एककों के बारे में भी कैप्टिव बिजली सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने हेतु अध्ययन किए जा रहे हैं। इसके अलावा उर्वरक संयंत्रों के लिए और पर्याप्त बिजली प्राप्त करने के लिए स्थानीय सरकारों/बिजली बोर्ड साथ निकट सम्पर्क स्थापित किए जा रहे हैं।

पांचवी योजना में उर्वरक कारखानों की स्थापना

332. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उर्वरक कारखानों की स्थापना का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इन कारखानों की स्थापना की जाएगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में 5 वृहद उर्वरक प्रायोजनाओं की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। ये संयंत्र भटिन्डा (पंजाब), पानीपत (हरियाणा), मथुरा (उ० प्र०), पारादीप (उड़ीसा) एवं ट्राम्बे (महाराष्ट्र) में स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त पांचवी योजना के दौरान फूलपुर (उ० प्र०) में सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक प्रायोजना स्थापित की जायगी भटिण्डा प्रायोजना पर कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा आशा है कि जैसे ही वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थाए पूरं हो जायेंगी, अन्य प्रायोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाई की जायेगी।

Expenditure incurred on re-classification of III class as II class

333. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have since converted all the third bogies into second class bogies ;

(b) if so, whether huge expenditure has been incurred on erasing one iota from the inscription 'III' class in order to make it 'II' class ; and

(c) if so, the expenditure incurred on this work in each Zonal Railway, separately.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sardar Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Expenditure incurred is nominal.

(c) Does not arise.

Air-conditioning of offices of senior officers of Danapur Division (Eastern Railway).

334. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether due to financial difficulties, Government have postponed the programme regarding air-conditioning of the offices of railway authorities ;

7—36 LSS/74

(b) whether offices of the Senior Officers at Danapur Division on Eastern Railway are still being air-conditioned ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sardar Buta Singh) : (a) Yes. The Government have decided to impose, as an economy measure, temporary restrictions on the provision of Air Conditioners to the recently upgraded divisional officers.

(b) No further offices of the Senior Officers at Danapur Division will be air-conditioned till the above restrictions continue.

(c) Does not arise.

Loss suffered by Railways in Bihar during Bandh

†335. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri S. N. Misra :
Shri Shankar Dayal Singh :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Birender Singh Rao :
Shri Tuna Oraon :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether during Bihar Bandh from 3rd October to 5th October called by some political parties under the leadership of Sarvodaya leader Shri Jai Prakash Narayan the agitators caused damage to Railway property;

(b) if so, the total loss suffered by Government during these agitations ; and

(c) the action taken by Government against those who damaged Rail property?

The Deputy Minister in the Minister of Railways (Sardar Buta Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

औषध उद्योग के लिए जानकारी का आयात करने हेतु कुछ अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा

336. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने ऐसी फर्मों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये विदेशों का दौरा किया है जो सरकारी क्षेत्र में स्थित भारतीय औषध उद्योग के लिए जानकारी बेच सकें;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में कितने अधिकारी गए और सरकार ने इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि व्यय की; और

(ग) उक्त दौरों के क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान औषधों का निर्माण करने के सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम के संदर्भ में, उन देशों की फर्मों/संस्थाओं से तकनीकी जानकारी तथा सहायता प्राप्त करने की संभावनाएं बनवाने की दृष्टि से तकनीकी दल का एक शिष्टमंडल, जिस में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे, ने इटली, युगोस्लाविया, हंगेरी, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, स्वेडन, स्विटजरलैण्ड, फ्रांस, यू० के०, यू० एस०ए० तथा जापान का दौरा किया था :–

(1) डा० बी० शाह, उप-महानिदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय।

(2) डा० पी० आर० गुप्त, औषध सलाहकार, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय।

(3) डा० एल० के० बहल, महाप्रबंधक, इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०।

(4) श्री सी० एन० चारी०, महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०।

शिष्टमंडलों के दौरे के संबंध में आई० डी० पी० एल० तथा एच० ए० एल० को बराबर अनुपात में व्यय करना पड़ता है, अतः सरकार द्वारा कोई खर्च नहीं किया जायेगा। आई० डी० पी० एल० तथा एच० ए० एल० द्वारा किये गये व्यय के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) शिष्ट डल मे उपरोक्त देशों की बहुत सी फर्मों के साथ सम्पर्क स्थापित किया था। वे सभी फर्में/संस्थाएं, जिनके साथ शिष्टमंडल ने सम्पर्क स्थापित किया था, ने सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उन के सहयोगियों को प्रौद्योगिकी की पेशकश करने के लिये सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई हैं। ऐसे मामलों, जहां सरकारी क्षेत्र के पास प्रौद्योगिकी प्रबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी अपना सहयोग देने के लिये सहमत हो गये हैं। भेषजीय रसायनों तथा उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं में उत्पादन प्रौद्योगिकी का विनिमय करने में कई देशों ने रूचि व्यक्त की है। भारत के हित के क्षेत्रों में इन वार्ताओं को जारी रखा जायेगा।

राज्य व्यापार निगम और इण्डियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के पास औषधियों और कच्चे माल का जमा होना

337. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री मधु दण्डवते :

श्री महेन्द्र सिंह गिल :

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य व्यापार निगम और इण्डियन ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के पास 5 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की आयातित तथा देश में निर्मित "बल्क" औषधियां तथा कच्चा माल पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्माताओं द्वारा उक्त स्टाक के उठाये जाने का सुनिश्चिय करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या औषध निर्माताओं ने स्टाक न उठाकर कमी पदा करने के उद्देश्य से अपने उत्पादन में कमी कर दी है; और

(ड़) यदि हां, तो पूरे स्तर पर उत्पादन बनायें रखने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा अपने आबंटनों की अपेक्षा कम माल उठाने के कारण अत्यधिक स्टाक होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) मामले पर औषध तथा भेषज उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई और उन्होंने कम माल उठाये जाने के कारण रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण पर लगाई गई पाबन्दी की नीति के कारण धन की कमी होना बतलाया है। तदनुसार औषध उद्योग और बैंकिंग विभाग के प्रतिनिधियों की 9 अक्तूबर 1974 को एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह संकेत दिया गया था कि यदि संबंधित एकक अपने बैंकरो के पास अपनी आवश्यकताओं का उचित ढंग से प्रस्तुत करें तो उनको पर्याप्त ऋण दिया जा सकेगा। इस उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली कुछ समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ ठोस मामले प्रस्तुत करते हुए उद्योग ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का निश्चय किया है ताकि सरकार मामले में सुधारात्मक कार्रवाई कर सके।

(घ) ऐसा कोई मामला सरकार के सामने नहीं आया है।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता।

मई, 1974 की हड़ताल से पूर्व विद्यमान यथा स्थिति कायम करना

338. श्री भोगन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमनकारी सब कार्यवाहियां समाप्त करके मई, 1974 की हड़ताल से पूर्व विद्यमान यथा स्थिति कब तक कायम करने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) किसी भी कर्मचारी का, यदि वह देश के कानून की सीमाओं के अन्तर्गत काम करता है, उखीड़न नहीं किया जाता। लेकिन, जहां उन लोगों ने देश के कानून की अवज्ञा की है और स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन किया है, उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई की गयी है। बर्खास्तगी और सेवामुक्ति और निलम्बन आदि के विरूद्ध की गयी अपीलों पर विचार करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन, रेल प्रशासन उनके मामलों को अन्तिम रूप देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं जहां तक उन कर्मचारियों का सम्बन्ध है जिन पर अपराध किये जाने का अभियोग लगाया गया है कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चेतेल के मूल्य में वृद्धि की मांग

339. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री क० लकप्पा :
श्री एच० एन० मुकर्जी :
श्री शशि भूषण :
श्री समर मुखर्जी :
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही विदेशी तेल कम्पनियों ने कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि करने की पुनः मांग की है; और यदि हो, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) देश में तेल की कमी पर काबू पाने तथा तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। विदेशी तेल कम्पनियों को 1-10-1974 से कच्चे तेल क मल्य म वृद्धि करने के कारण स्पष्ट करने तथा उनका निधारण करने को कहा गया है।

(ख) तेल की कमी के कारण देश में उत्पन्न हुई परिस्थिति पर काबू पाने के लिये सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं और उठा रही है। इन में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. कच्चे तेल के देशीय उत्पादन को अधिकतम करने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों में तेजी लाना;
2. ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों पर अधिक भरोसा रखना;
3. तेल उत्पादों की अनावश्यक खपत पर रोक;
4. द्विपक्षी प्रबन्धों के अन्तर्गत कच्चे तेल का आयात;
5. तेल के आयात की लागत को पूरा करने के लिये अधिक से अधिक निर्यात करना।

कच्चे तेल के अन्वेषण संबंधी प्रयत्नों में तेजी लाने तथा देशीय उत्पादन को अधिकतम करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उठाये गये और उठाये जाने वाले उपायों को पांचवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल किया गया है। पांचवीं योजना में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल है:—

(1) 70 मिलियन मीटरी टन तेल के अतिरिक्त प्राप्य भडार स्थापित करना;

(2) पांचवीं योजना अवधि में 34.12 मिलियन मीटरी टन का कुल उत्पादन तथा 1978-79 के दौरान 8.42 मिलियन मोटरी टन की उत्पादन दर;

(3) पांचवी योजना अवधि के दौरान 4902 मिलियन धन मीटर गैस का कुल उत्पादन तथा 1978-79 के अन्त तक प्रतिवष 1150 मिलियन धन मीटर गैस का उत्पादन दर;

(4) भूगर्भीय तथा भूभौतकीय सेवाओं में तेजी लाये जाने के अलावा पांचवी योजना अवधि के दौरान 1.47 मिलियन मीटरी का अन्वेषी एवं विकास व्यधन;

(5) उपलब्ध तेल क्षेत्रों का अतिशीघ्र विकास ;

(6) उत्पादन करने वाले वर्तमान कुओं का अधिक से अधिक प्रयोग; और

(7) उपलब्धि के द्वितीयक तरीकों का व्यापक रूप से प्रयोग।

पांचवीं योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल के प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन स्तर को बनाये रखने के लिये उठाये गये कदमों के अलावा आयल इंडिया लिमिटेड ने अरूणाचल प्रदेश तथा असम के कुछ भागों में तेल की खोज करना शुरू कर दिया है।

बम्बई हाई क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के स्वयं के परिचालनों के अलावा, कच्छ तथा बंगाल अतटीय क्षेत्रों के अतटीय अन्वेषण के लिये दो विदेशी पार्टियों को ठेके दिये गये हैं।

विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

340. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री शशि भूषण :

श्री समर मुखर्जी :

श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री एम० कतामुतु :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने तथा देश में तेल की उत्पादन प्रक्रिया तथा वितरण के क्षेत्र में समस्थितीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) विचारविमर्श और कानून के माध्यम से भारत में ऐस्सो के कार्यसंचालन पर नियंत्रण करने वाली संस्थाओं का अधिगृहण किया जा चुका है। बर्मा शल और काल्टेक्स के साथ बात चीत चल रही है ।

यात्री यातायात में गिरावट

341. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलव में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के प्रथम चार महीनों के दौरान यात्री यातायात में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा रेलवे की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यात्री यातायात में गिरावट के बहुत से कारण थे, जैसे, रेल इंजिनों में इस्तेमाल होने वाल कोयला की कमी और रेल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान आवश्यक आवागमन की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल इंजनों में इस्तेमाल होने वाला कोयला बचा रखने के उद्देश्य से सवारी गाडियों का रद्द किया जाना, रेल कर्मचारियों द्वारा "धीरे काम करो" और "नियमानुसार काम करो" आंदोलन, नागरिक दंगा फसाद, आदि ।

इस अवधि के दौरान यात्री यातायात से आमदनी में 7.29 प्रतिशत कमी आयी और गत वर्ष की तदनरुपी अवधि की तुलना में इसी अवधि में समग्र आमदनी में, कुल मिलाकर 1.20 प्रतिशत कमी आयी ।

मत देने की आयू को कम करना

342. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत देने की आयु को घटा कर 18 वर्ष कर देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, नहीं । प्रस्ताव पर, उसके सभी पहलुओं को ध्यान म रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार करने और उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है और किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अभी कुछ और समय लगने की संभावना है ।

तेल की खोज के नए तकनीक

343. **श्री श्रीकिसन मोदी :**
श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 सितम्बर, 1974 को एक स्थानीय दैनिक में "न्यू मेथड आफ आयल हन्ट सक्सेसफुल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस नये तरीके का भारत में प्रयोग किया गया है ।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नही, तो क्या सरकार इस नये तरीके का उपयोग करने का विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । (यह तिथि 16 सितम्बर 1974 होनी चाहिये ।)

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह तकनीकी कार्य भूचुम्बकीय परिवर्तन आंकड़ों के सापेक्ष विस्तार परीघ द्वारा किया जाता है, जिसके आंशिक रूप से केवल गैस तालाब की खोज कर सकने में सफल होने के बारे में सूचना मिली है । इस तकनीक का उपयोग करने हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कम्प्यूटर कार्यक्रम का विकास किया जा रहा है । सर्वप्रथम इस तकनीक का चुने हुए आधार पर कुछ अपतटीय आंकड़ों के बारे में प्रयोग करने का प्रस्ताव है तथा तत्पश्चात इसका कुछ तटवर्ती थालों के बारे में उपयोग किया जाएगा, जब कि मुख्य लक्ष्य गैस तालाबों की खोज का होगा ।

Late Running of Trains

344. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Arjun Sethi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether all the trains mentioned in the Railway Time Table are not running in time ;

(b) whether the trains running from Narkatiaganj to Pahleza ghat and Samastipur via Motihari in particular have not been running on the scheduled time for the last one year i.e. from 30th September, 1973 to date ;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government are giving step motherly treatment to the said line ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

b) No.

c) and (d) Do not arise.

Opening Of Diesel-Cum-Petrol Pumps in Bihar

345. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the facility of opening diesel oil pumps is easily made available in the rural areas ;

(b) if so, whether Government officials are creating obstacles for the setting up diesel-cum-petrol pump in East Champaran (Bihar) ;

(c) whether Government are giving priority to the urban areas over the rural areas ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K . R. Ganesh) : (a) Opening of new retail outlets for HSD/Petrol is considered by IOC on the trading potential of the area. Where the potential is inadequate, requirement of that area is normally met from the nearest existing retail outlet.

(b) No such reports have been received in this Ministry. IOC has at present two retail outlets in East Champaran.

(c) & (d) All proposals for development of new retail outlets are need-based. However, particular attention is given to development of Retail Outlets in rural areas wherever justified.

भारतीय रेल व्यवस्था के लिए विश्व बैंक से ऋण

346. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल व्यवस्था के लिए विश्व बैंक से 8 करोड़ डालर का ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या रेलवे की आवश्यकता का पता लगाने के लिए विश्व बैंक किसी दल को यहां भेज रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) रेल इंजनों के उत्पादन के लिए पुर्जों और सामानों के आयात, सवारी डिब्बों, बिजली गाड़ियों और माल डिब्बों, पटरियों और सामान तथा बिजलीकरण और सिगनल एवं दूर संचार योजनाओं आदि के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से जो 8 करोड़ डालर का वर्तमान ऋण मिला है, उससे रेलवे की जून, 1975 तक की जरूरतें पूरी होने की संभावना है। अत: अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से भावी ऋण की आवश्यकता जुलाई, 1975 और तदुपरान्त पड़ सकती है। अपेक्षित ऋण की रकम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से किसी विशिष्ट रकम का अनुरोध नहीं किया गया है। आगामी अपेक्षित ऋण का जायजा लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के एक मिशन की दिसम्बर, 1974/जनवरी, 1975 में भारत आने की संभावना है।

बर्मा शैल द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि की मांग

347. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मशैल ने 1 अक्तूबर, 1974 से कच्चे तेल के मूल्य में 59 सैंट प्रति बैरल वृद्धि करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या ओ० पी० ई० सी० राष्ट्रों ने तेल कंपनियों पर 3.5 प्रतिशत अर्थात् 33 सैंट प्रति बैरल का कर लगा दिया है ;

(ग) क्या ओ० पी० ई० सी० की विज्ञप्ति में कहा गया है कि अतिरिक्त कराधान का भार उपभोक्ता देशों पर नहीं डाला जाना चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो बर्मा शेल की उक्त मांग पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) कम्पनी से प्रस्तावित वृद्धि के कारण स्पष्ट करने और उनकी मात्रा बताने के लिए कहा गया है।

आन्दोलन के कारण उत्तर प्रदेश में रेलवे को हुई हानि

348. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही के आन्दोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि तथा क्षति हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : कुछ नहीं।

गत एक वर्ष के दौरान बम्बई डिवीजन में रेलगाड़ियों में दम घुटने से मौतें

349. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि गत एक वर्ष के दौरान बम्बई डिवीजन में रेलगाड़ियों में दम घुटने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसी अवधि में ऐसी मौतें कितनी हुई हैं; और

(ग) क्या बम्बई डिवीजन की उपनगरीय रेल सेवाओं में सुधार लाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बम्बई क्षेत्र के उपनगरीय गाड़ियों में घूटने के कारण मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बम्बई के दैनिक यात्रियों के राहत देने के उदेश्य से इस वर्ष कुल 56 अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां चलायी गयी है।

रेल दुर्घटनाओं के फलस्वरूप जान तथा माल को हुई हानि के कारण वर्ष 1973-74 के दौरान दिया गया मुआवजा

350. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल दुर्घटनाओं के फलस्वरूप जान तथा माल की हुई हानि के कारण वर्ष 1973-74 के दौरान कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1974 के दौरान रेलवे में यात्री तथा माल यातयात में गिरावट

351. श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

श्री के० लक्कप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1974 के दौरान रेलवे में यात्री तथा माल यातायात में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इस में गिरावट आने के क्या कारण है ;

(ग) यात्री तथा माल यातायात में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) रेलवे को इन महीनों के दौरान यात्री तथा माल यातायात में कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1974–75 की प्रथम तिमाही की तुलना में द्वितीय तिमाही में यात्री और माल यातायात दोनों में ही वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

"अनुसंधान और विकास के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए औषधि एककों को निदेश

353. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगा देव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने बड़ भेषज और औषध निर्माता एककों से विकास प्रक्रिया में अनुसन्धान करने और उत्पादन लागत में कमी करने की सुबिधाओं की व्यवस्था करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एककों से प्रौद्योगिकी आयात में कमी करने और किस्म नियंत्रण में सुधार करने के लिये अपने अनुसंधान और विकास आधार में सुधार करने के लिए भी कहा गया है ;

(ग) क्या अनुसंधान आधार में वृद्धि करने के लिये उक्त एककों को कोई और निदेश जारी किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० (कगणेश) :) और (ख) संबंधित औषध निर्माता एककों को निम्नलिखित अनुसार सलाह दी गई है :—

(1) औद्योगिक एककों को, जिनकी प्रतिवर्ष 1 से 6 करोड़ रुपये के बीच कुल बिक्री होती है, पूर्ण विकसित सूत्र योग और पैकिज निर्माण का विकास करने वाला प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी चाहिये जिसमें विषविज्ञान की जीव-उपलब्धता के अध्ययन और प्रक्रिया सुधार-उपायों की सुविधाएं उपलब्ध हों।

(2) 6 करोड़ रुपये की या उससे अधिक की कुल बिक्री वाले एककों को उक्त प्रयोजन के लिए और डिजाइन, इंजीनियरी तथा कार्यकलापों के कार्यक्रम का विकास करने के लिए भी अपनी निजी सुविधाओं की स्थापना करनी चाहिए।

(3) 10 करोड़ रुपये की या उससे अधिक की कुल बिक्री वाले बृहत् एककों को अपने निजी पूर्ण विकसित केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रगतिशील और नूतन प्रकार के कार्यक्रमों की पूर्ण सुविधाएं हों।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में कुछ औषधियों की कमी

354. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में तथा विशेषकर दिल्ली में कुछ समय पूर्व से औषधियों, एन्टीबायोटिक्स और विटामिन औषधियों का लगभग अकाल पड़ गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केमिस्टों को आने वाले महीनों में स्थिति के बिगड़ने की आशंका है ;

(ग) क्या औषधि निर्माताओं की यह दलील है कि उनको सरकारी एजेन्सियों से कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है ; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(घ) क्या कुछ औषधियों के मूल्यों का पुनरीक्षण करने संबंधी उनके मंत्रालय के प्रस्ताव के कारण औषधि-निर्माता अपने माल को बाजार में भेज रहे हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं।

विटामिन बी० और सल्फा गुनाडाइन को छोड़कर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध करना कठिन है उसे राज्य व्यापार निगम सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के पर्याप्त माल और औषध उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्यवर्ती पदार्थों का आयात करने का प्रबंध कर चुका है। राज्य व्यापार निगम और आई डी पी एल के पास प्रपूंज औषधें भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।

(घ) और (ड़) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अधीन औषध मूल्यों में संशोधन करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। बाजार में औषधें निरंतर उपलब्ध हो सके और मूल्य संशोधन शीघ्र किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्य संशोधन कार्य पद्धति को दोषरहित बनाया गया है। जिन औषध निर्माता एककों को प्रातिवर्ष 50 लाख रुपये से अधिक कुल बिक्री होती है उनको अपने सूत्रयोगों के मूल्यों के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है।

एस्सो कम्पनी द्वारा अपने बम्बई तेलशोधक कारखाने को अशोधित तेल की सप्लाई

355. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सो कम्पनी को इस आश्वासन पर हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन के 26 प्रतिशत शेयर रखने कि अनुमति दी गई थी कि उक्त कम्पनी तेल उत्पादन देशों द्वारा वसूल की जा रही कीमत से कम कीमत पर अपने बम्बई तेल शोधक कारखाने के लिए अशोधित तेल की सप्लाई प्राप्त करेगी;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1981 तक इस रियायती दर की सप्लाई के माध्यम से 14 करोड़ रु० की बचत करने का अनुमान लगाया था ;

(ग) क्या एस्सो कंपनी रियायती किमत पर अशोधित तेल की सप्लाई करने में विफल रहा है और निकट भविष्य में ही वसूल की जाने वाली कीमत तेल उत्पादक देशों द्वारा वसूल की जाने वाली कीमत के बराबर हो जायगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) भारत में एस्सो कार्य संचालन में सरकार द्वारा शेयरों के अर्जन के समय प्रचलित मध्य पूर्व तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों और गैर-सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा प्रभारित मूल्यों के बीच मूल्य लाभ और आपूर्ति की सुरक्षा का विचार था जिनका केवल 74 प्रतिशत तक के शेयरों का अर्जन करते हुए विचार किया गया था। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन रिफाइनरी को अशोधित तेल की सप्लाई के लिए ऐक्सोन इन्टरनेशनल आयल कम्पनी के साथ हुए करार के अनुसार अशोधित तेल का वही मूल्य होगा जो सुदूर पूर्व में अपनी सम्बद्ध कंपनियों को ऐक्सोन द्वारा मूल्य लिया जाता रहा है। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन को ऐक्सोन द्वारा 14 मार्च 1974 से 1974 में अक्तूबर के अन्त तक की गई अशोधित तेल की सप्लाई का मूल्य उसी प्रकार के अशोधित तेल के बढ़ते मूल्य की अपेक्षाकृत कम हुआ।

दिल्ली के औषध निर्माताओं के लिए कच्चे माल की कमी

356. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के औषध निर्माताओं को कच्चे माल की सप्लाई में होने वाले असाधारण विलम्ब के कारण द्वितीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप प्रमुख दवाइयों तथा "प्रेपेरेशन्स" अनुपलब्ध हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की नियमित सप्लाई के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिल्ली के औषध निर्माताओं में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) बिटामिन बी 6 और सल्फागोनाडिन, जिनका विश्व बाजार में अभाव है, को छोड़ कर, औषध उद्योग की राज्य व्यापार निगम/आई० डी० पी० एल० द्वारा आयातित/वितरित किए जाने वाले कच्चे माल की आवश्यकताएं उनके हकदारी तथा संबंधित राज्य औषध नियंत्रक की सिफारिशों के आधार पर लगभग पूरी की जा चुकी है। वर्तमान में राज्य व्यापार निगम तथा आई० डी० पी० एल० के पास प्रपूंज औषधों के बहुत बड़े स्टाक उपलब्ध है।

चालू वर्ष के दौरान रेलवे की आय में वृद्धि करने के लिए की गयी कार्रवाई

357. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में अब तक रेलवे की आय बजट प्रस्तावों के अनुरूप हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा आय के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और गत वर्ष इसी अवधि में रेलवे की आय की तुलना में इस वर्ष की आय की स्थिति क्या है ; और

(ग) वर्ष के शेष महीनों में रेलवे की आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री (बूटा सिंह) : (क) और (ख) मुख्यत: प्रत्याशित स्तर तक यातायात न होने के कारण सितम्बर, 1974 तक की आय आनुपातिक बजट अनुमानों की तुलना में लगभग 101.27 करोड़ कम हुई। 105.53 करोड़ रुपये की कमी वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान हुई किन्तु अगस्त और सितम्बर, 1974 के महीनों में पूर्ति हुई और इन महीनों में कुल आय बजट अनुमानों से 4.26 करोड़ रुपये अधिक हुई। बजट अनुमानों की अपेक्षा आय कम होने के कारणों में ये हैं:— मई, 1974 में रेल कर्मचारियों की हड़ताल और उसका अनुवर्ती प्रभाव, विभिन्न राज्यों में बिजली की कटौति के कारण उत्पादन में कमी, जूलाई, 1974 में बम्बई क्षेत्र में अभूतपूर्व वर्षा जिसके कारण यातायात पूर्णत: अस्तव्यस्त हो गया। इसके अतिरिक्त, कोयला उपलब्ध न होने के कारण पहले कुछ रद्द की गयी गाड़ियों को फिर चलाना संभव नहीं हो सका है। नीचे अप्रैल 74 से सितम्बर, 74 तक के महीनों की आय की तुलना गत वर्ष के उन्हीं महीनों की आय से की गयी है :—

	आय (करोड़ रुपयों में)	
	1973	1974
अप्रैल	100.11	101.61
मई	100.83	73.57
जून	102.78	113.81
जुलाई	98.11	108.01
अगस्त	85.39	117.55
सितम्बर (लगभग)	90.35	116.64

(ग) (i) 15-9-1974 से किराये-भाडे बढा दिये गये हैं ।

(ii) समग्र रुप से लदान बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(iii) ऊंची दर वाले माल यातायात को बढ़ाने के लिए भी काफी प्रयास किया जा रहा है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन स्थित एकक को हड़ताल के कारण हुई क्षति

358. **श्री एस० एन० दामाणी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई और अगस्त में हुई हड़ताल के कारण फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटड के कोचीन स्थिस्त एकक को कितनी उत्पादन क्षति हुई;

(ख) क्या सितम्बर में उत्पादन के पुनः प्रारम्भ हो जाने के बाद लदान विभाग में हड़ताल के कारण काफी मात्रा में यूरिया एकत्र हो गया है ; और

(ग) इस स्थिति को कैसे सुधारा गया अथवा सुधारे जाने का विचार है ताकि उत्पादन और स्टाक के परिचलन में बाधा न आएं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायगी ।

Demand and Supply of Kerosene Oil

359. **Shri R. V. Bade :**
Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the position of demand and supply of kerosene oil that obtained during each of the last three years and as at present, stateswise ;

(b) the present position of per capita demand and supply of kerosene oil in the rural, urban and metropolitan areas ;

(c) special steps taken to make kerosene oil available easily and at cheap rate in the remote tribal, hill and rural areas ;

(d) whether the prices of kerosene oil would be brought down keeping in view of its need for the poor people ; and

(e) whether any special measures have been taken to build up oil stocks in the remote areas so as to guard against any crisis in availability of kerosene oil in future?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) A statement indicating the allocations and supplies for the previous 3 years and during the current year is as per Annexure attached. In the earlier years when no cut on quotas of kerosene oil was being applied, allocations were based on the likely demand estimates for the States. **[Placed in Library. See No. L.T. 8457/74.]**

(b) No such statistics are being maintained by the Government at present.

(c) and (d) The distribution of kerosene oil for retail sale in the States is the responsibility of the State Governments. The State Governments have been requested to have an effective system of distribution so as to ensure equitable distribution of the available kerosene oil. The State Governments have also been empowered under the Kerosene (Fixation of Celling Prices) Order, 1970 to fix the retail selling prices of kerosene oil at any place within their jurisdiction. State Governments have also sufficent powers to prevent black marketing and hoarding.

There is no proposal at present under the consideration of the Government for any decrease in the price of kerosene oil.

(e) It is the endeavour of all the Marketing Oil Companies to build up as much stocks as practicable in the remote and hilly areas to maintain the supply line uninterrupted at all times and to guard against temporary dislocations in transport or other logistical problems.

तेल की खोज के लिए रुमानिया से करार

360. **श्री जमुना प्रसद मंडल :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में तेल की संयुक्त रूप से खोज हेतु रुमानिया से एक करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) दोनों भारत तथा रुमानिया अन्य देशों में तेल की खोज तथा समुपयोजन करने में संयुक्त सहयोग करने की संभावनाओं की जांच करने के लिये सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये है किन्तु अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

361. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मार्गों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम कुछ धीमा पड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन रेल मार्गों के नाम क्या हैं जिनका वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) धन की समग्र उपलब्धिता तथा खर्च में मितव्ययिता के संदर्भ में योजनाबद्ध परियोजनाओं की अतः प्राथमिकता की भी समीक्षा की गयी है।

(ग) आशा है 1974-75 और 1975-1976 के दौरान निम्नलिखित खण्डों का विद्युतीकरण हो जायेगा —

वर्ष	खण्ड
1974-75	विरार-साबरमती विद्युतीकरण योजना के अंग के रूप में पश्चिम रेलवे का विरार-भेस्तान
1975-76	(i) दक्षिण पूर्व रेलवे का पांसकुड़ा-हल्दिया
	(ii) टूंडला-दिल्ली विद्युतीकरण योजना के अंग के रूप में उत्तर रेलवे का टुंडला-गजियाबाद।

शोधनशालाओं में नेफ्था का जमा होना

362. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शोधनशालाओं को नेफ्था के अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में बेचे जाने में कठिनाई तथा देश में उर्वरक संयंत्रों द्वारा इसकी आन्तरिक खपत में कमी आने के कारण, नेफ्था स्टाक के भारी संचय की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिये तथा सभी उपलब्ध नेफ्था स्टाक को उर्वरक के उत्पादन हेतु उपयुक्त रूप से प्रयोग में लाने तथा जिस उद्देश्य के लिए मोटर गैसोलिन का उत्पादन जानबूझकर वित्तीय उपायों द्वारा कम किया गया था, को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उर्वरक संयंत्रों द्वारा कम खपत किये जाने के कारण नेफ्था के स्टाक में कुछ वृद्धि हो गई है। चालू वर्ष में इस समय तक लगभग 1.24 लाख मीटरी टन नेफ्था का निर्यात किया जा चुका है तथा चालू महीने में और 20,000 मीटरी टन नेफ्था के निर्यात किये जाने की संभावना है। यदि आवश्यक समझा गया तो वर्ष के अन्त तक और 50,000 मीटरी टन के निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) यह बात सुनिश्चित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वर्तमान उर्वरक संयंत्र पूरी क्षमता पर चलाये जायें और मुकम्मल होने वाले नये उर्वरक संयंत्र शीघ्र कार्यान्वित हो जायें। आशा है कि नवम्बर के बाद उर्वरक संयंत्रों की नेफ्था संबंधी खपत बढ़ जायेगी।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

363. **श्री डी० आर० शुक्ल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना अथवा वर्तमान संयंत्रों को ऐसे संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय के पास प्रौद्योगिकीयों की सूची में ऐसे कुछ विशेषज्ञ हैं जिनको किसी अन्य देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों में काम करने का अनुभव प्राप्त हो ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तालचर (उड़ीसा), रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) तथा कोरबा (मध्य प्रदेश) में कोयले पर आधारित तीन सरकारी प्रायोजनाएं कार्यान्वयाधीन हैं। तथापि इस समय चालू संयंत्रों के कोयले के स्थान पर अन्य सम्भरण सामग्री में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस समय, कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के कार्यकरण से कोई विशेषज्ञ सुपरिचित नहीं हैं किन्तु विदेशी पार्टी (अर्थात् मैसर्स कॉपर्स) जिसने अपेक्षित प्रक्रिया संबंधी जानकारी की सप्लाई की भारतीय उर्वरक निगम को प्रतिष्ठापित करने, चालू करने तथा कोयले पर आधारित संयंत्रों को प्रारम्भ करने तथा उनके कार्य संचालन में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में सहायता दगी।

Auction of goods by Zonal Railways

364. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Y. Eswara Reddy :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways have auctioned goods in large quantity as the same wear not claimed for a long time ;

(b) if so, the quantity of goods auctioned during the last three months by different Zonal Railways, separately and the income accrued to the railways therefrome and

(c) whether the goods belonging to Government were also included in these auction and if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Trains cancelled during Bihar Bandh

*365. **Shri Shankar Dayal Singh ;**
Shri Hukam Chand Kachwai ;
Shri Sukhdeo Pradad Verma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway trains remained cancelled due to Bihar Bandh from 3rd to 5th October 1974; and

(b) the total loss suffered by Railway as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) A total of 215 pairs of passenger carrying trains were cancelled fully or partially and a total of 579 Goods trains were cancelled/stabled.

(b) The approximate loss in earnings is estimated to be Rupees 56.5 lakhs.

Price of Petrol and its Consumption

366. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) A price of petrol in the month of January two years back ;

(b) the price of petrol in the month of September, 1974;

(c) the fall in the consumption of petrol during this period ; and

(d) the percentage of decrease in consumption in public and private sectors, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) The basic ceiling selling price of Motor Spirit ex-Retail pump outlets (ex-Bombay) on 1-1-1972 was Rs. 1248.99/KL (exclusive of sales tax and other local levies).

(b) The basic ceiling price of Motor Spirit ex-retail pump outlets (ex-Bombay) from 18-9-74 is Rs. 2899.74/KL (exclusive of sales tax and other local levies).

(c) The consumption during 1973 was nearly the same as it was during 1972. The consumption during the 1974 is estimated to be about 20% less than that of 1972.

(d) The break-up of motor spirit consumption in public and private sectors is not available.

स्थायी तथा नैमित्तिक रेलवे मजदूरों को बर्खास्तगी के बारे में उच्च न्यायालयों का निर्णय

367. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों ने गत रेलवे-हड़ताल में भाग लेने वाले अनेक नैमित्तिक कर्मचारियों को जारी किये बर्खास्तगी के आदेशों को अवैध ठहराया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) ऐसे स्थायी तथा नैमित्तिक रेलवे मजदूरों की संख्या कितनी हैं जिन्हें (एक) हड़ताल के बाद वापस काम पर ले लिया गया है तथा (दो) अभी तक निलंबित अथवा बर्खास्त व्यक्तियों की श्रेणियों में रखा गया है ; और

(घ) रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामले चलाये गये हैं तथा उन रेलवे कर्मचारियों के शोषण के बारे में सरकार की नीति क्या है जिन्होंने गत रेल हड़ताल में भाग लिया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पह रख दी जायगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) (i) अभी तक लगभग 7,690 स्थायी कर्मचारी काम पर वापस लिये गये हैं; और लगभग 12,000 नमित्तिक श्रमिक फिर से काम पर लगा लिये गये हैं; (ii) लगभग 1,020 स्थायी कर्मचारी निलम्बित है, लगभग 3,500 बर्खास्त कर्मचारी अभी वापस नहीं लिय गये हैं और लगभग 9,000 नैमित्तिक श्रमिक फिर से काम पर लगाये नहीं गये हैं ।

(घ) किसी रेल कर्मचारी को कानून की सीमाओं में रहते हुए कोई काम करने पर दण्डित नहीं किया जाता । परन्तु यदि उसने देश के कानून की अवहेलना की हो और स्पष्ट आदशों का उल्लंघन किया हो तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामले, जिनमें अभी मुकदमें चलाये जा रहे हैं, की संख्या के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेल-हड़ताल के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति का वक्तव्य

368. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरी ने संवाद दाताओं के साथ एक भेंट में कहा था कि रेल मंत्री ने गत हड़ताल के दौरान घोषित हुए सभी कर्मचारियों को उनकी सेवा में अवरोध डाले बिना ही सेवा में वापस लेने के लिए रेल मंत्री को दी गयी उनकी सलाह को मान लिया था ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि रेल मंत्री ने बाद में अपना रवैया बदल दिया ;

(ग) क्या श्री गिरी ने अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में बम्बई में आयोजित एक बैठक में इस बात को दोहरयया था कि हड़ताल में भाग लेने वाले सभी रेल कर्मचारियों को उनकी सेवा में अवरोध डाले बिना वापस सेवा में ले लिया जाना चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) तत्संबंधी उद्धरण विवरण में ज्यों के त्यों दे दिये गये हैं ।

(घ) हड़ताल को बिना शर्त समाप्त कर दिये जाने के बाद सरकार ने इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था उन्ह ड्यूटी पर वापिस लेने का फसला किया। तब से ही हड़ताल के दौरान उनकी अनुपस्थिति के परिणाम-स्वरुप सेवा भंग की माफी देन का काम पूरी तत्परता के साथ किया जा रहा है।

विवरण

(1) 10 अक्तूबर, 1974 के 'स्टेटस्मेन' में श्री कूलदीप नायर द्वारा यथा-उद्भूत श्री के० वी० गिरी के बयान का सम्बद्ध उद्धरण ज्यों का त्यों नीचे दिया जा रहा है :—

"उन्होंने बतलाया कि सरकार से उन्होंने कह दिया है कि अंग्रेजों के जमाने में भी हड़ताल समाप्त हो जाने पर सभी कर्मचारी बहाल कर दिये जाते थे। विजय के उपरोत किसी तरह का उत्पीड़न नहीं किया जाता था और बड़प्पन से उद्भूत कोई निति नही अपनायी जाती थी।" एक बार श्री गिरी ने कहा" "रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने मेरी राय का अनुसरण करना स्वीकार कर लिया है, लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया।"

श्री गिरी जो अनेक वर्षों तक श्रमिक नेता रह चुके हैं और आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री डांगे की 75 वीं वर्षगाठ की अध्यक्षता करने वाले है, अब भी रेलवे हड़ताल के विषय में बहुत अधिक चिन्तित हैं। उन्होंने कहा "मुझे जब भी अवसर मिलेगा, यह मांग करूंगा कि बर्खास्त कर्मचारियों को वापस किया जावे और यह कि उनके सेवा भंग को माफ कर दिया जाये। मै इस मामले को यथास्थित नहीं रहने दे सकता।"

(2) 11 अक्तूबर, 1974 को बम्बई में श्री वी० वी० गिरी द्वारा दिया गया बयान जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, नीचे ज्यों का त्यों दिया जा रहा है :—

"रेलवे हड़ताल का हवाला देते हुए श्री गिरी ने कहा : मैं दृढ़ता और ईमानदारी से कहता हूं कि सरकार का रवैया न तो न्यायपूर्ण है और न सही जबकि वह सहानुभूति-पूर्ण और सद् भावनापूर्ण होना चाहिये था। हड़ताल के दौरान अनेक नेताओं ने मुझसे भेंट की और अपने विचार और सुझाव पेश किये। जैसी आशा थी, श्री डांगे और हमने इस से पूरी सहमति प्रकट की क्योंकि ट्रेड यूनियन आन्दोलनों को चलाने के हमारे बहुत दिनों के अनुभव ने यह सिखा दिया था कि कर्मचारियों को अपने काम पर वापस अपमानित होकर नहीं जाना चाहिए और सेवाभंग के रूप में उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।"

त्रिपुरा में गैस निक्षेप

369. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में गैस के बड़े निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) गैस निकालने का कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(घ) गैस का उपभोग किस प्रकार किया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) त्रिपुरा में बारामूरा संरचना पर खोदे गए प्रथम कुएं में कई गैस स्तंतर पाये गए हैं।

(ख) से (घ) इस कुएं की अच्छी तरह जांच करने और इस संरचना में विभिन्न मूल्यांकन कुओं की खुदाई और जांच करने के बाद ही इस खोज के वाणिज्यिक स्वरुप को स्थापित किया जा सकता है।

इस खोज के वाणिज्यिक स्वरुप के सिद्ध हो जाने के बाद ही इसके प्रयोग के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में तट-दूर तेल की खोज

370. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में तट-दूर तेल की खोज शीघ्र ही प्रारम्भ की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो खोज-कार्य को प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बंगाल थाला में उपतटिय अन्वेषण हेतु कार्लसवर्ग इण्डिया ग्रुप को ठेका दे दिया गया है तथा उन्होंने उस क्षेत्र में भू-चुम्बकीय सर्वेक्षण भी आरंभ कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी कम्पनी द्वारा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन को अपना अशोधित तेल सप्लाई करने के लिए ऋण सुविधावों का वापस लिया जाना

371. श्री डी० जी० चन्नगोड़ा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कम्पनी "एक्सोन" द्वारा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन को अपना अशोधित तेल सप्लाई करने के लिये ऋण सुविधाएं बन्द कर देने से भारत सरकार को हानि उठानी पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक वर्ष भारत को अनुमानत: कितनी हानि हो रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) 14-3-1974 को सरकार द्वारा एस्सो स्टेण्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी में अधिकांश शेयरों के अधिग्रहण से पूर्व अशोधित तेल की सप्लाई के लिए "एक्सोन" द्वारा इस प्रकार की कोई ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई। तथापि व्यवहृत कार्यपद्धति एक्सोन से चालान की प्राप्ति पर आधारित थी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अनुज्ञा-पत्र की प्राप्ति होने के बाद धन बाहर भेजा गया। इसके परिणामस्वरूप अशोधित तेल के लदान तथा धन के प्रेषण के बीच 30 से 40 दिन का समय का अन्तराल आया। एक्सोन इन्टरनेशनल कम्पनी तथा भारत सरकार के बीच प्रपूंज अशोधित तेल की खरीद के लिए करार की शर्तों के अनुसार हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को अपवर्तनीय साख पत्र का खाता खोलने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के अनुसार अशोधित तेल के लदान की तारीख से 7 से 8 दिनों के अन्दर तेल का भेजना प्रारंभ हुआ।

सियालदह डिवीजन में ई० एम० यू० कोचों की हालत और रेलगाड़ियों का ठीक समय पर चलाना

372. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के उपनगरीय प्रभाग द्वारा रखे गये रेलगाड़ियों के समय की पाबन्दी संबंधी मासिक विवरण पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सियालदह डिवीजन के ई० एम० यू० कोचों का रख-रखाव खराब है ; और

(ग) यदि हां, तो उस डिवीजन की रेलगाड़ियों में समय की पाबन्दी सुनिश्चित करने और ई० एम० यू० कोचों के रख रखाव में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पिछले छः महीनों का अर्थात् अप्रैल, 1974 से अक्तूबर, 1974 तक का सियालदह मंडल की उपनगरीय गाड़ियों का समय पालन नीचे दिया गया है :—

अप्रैल, 1974	66.7 प्रतिशत
मई, 1974	हड़ताल
जून, 1974	48.1 प्रतिशत
जुलाई, 1974	68.5 प्रतिशत
अगस्त, 1974	53.7 प्रतिशत
सितम्बर, 1974	65.4 प्रतिशत
अक्तूबर, 1974	66.5 प्रतिशत

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन गाड़ियों के चालन में सुधार के उद्देश्य से, सघन सुरक्षात्मक जांच के अलावा मरम्मत कारखाना में दो पालियां चालू कर तथा चोरी रोकने के उपाय करके हावड़ा कारशेड और कंचरापाड़ा कारखाना में मोटरों की मरम्मत की क्षमता में वृद्धि की गयी हैं। कलकत्ता क्षेत्र में किये गये अनुभव के फलस्वरुप भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के उपस्करों के अभिकल्प में आवश्यक सुधार के अलावा उनके द्वारा सप्लाई किये गये मोटरों की मरम्मत के लिये भी उनकी सहायता ली जा रही है।

नांगल-तलवाडा रेलवे लाईन पर निर्माण कार्य

374. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल तलवाड़ा रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य, जिसके लिए स्वीकृति दी जा चुकी है, प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार योजना आयोग को लिखा गया है कि वह निर्माण के लिए परियोजना को औपचारिक निर्वाधता प्रदान करे और इस निर्माण कार्य को चालू वर्ष में प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों को भी उपलब्ध कराये। योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस परियोजना को स्वीकृति दी जायेगी।

उत्तर रेलवे के वफादार रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार

375. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के सभी सात डिवीजनों के डिवीजनल सुपरिन्टेडेटों को अक्तूबर, 1974 के अन्त तक, पृथक रूप से प्रत्येक डिवीजन के लिए, वफादार रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार देने संबंधी श्रेणी के अन्तर्गत कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस श्रेणी के अन्तर्गत डिवीजनवार कितनों को रोजगार दिया गया है ;

(ग) क्या नैमित्तिक रेल कर्मचारियों को भी जो सरकार के प्रति वफादार रहे उनकी सेवाओं का ध्यान रखते हुए, नियमित रोजगार देने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों की डिवीजन–वार संख्या कितनी है जिनको नियमित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित न करने के क्या कारण हैं जो रोजगार के पात्र हैं और जो हड़ताल के दौरान सरकार के प्रति वफादार रहे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

Expenditure on elections

*376. **Shri Madhavrao Scindia :**
Shri Ishwar Chaudhry :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Chandu Lal Chandrakar :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the Government's estimates of the total expenditure incurred in the elections to Parliament in 1971 and later on in the elections held to each of the State Assemblies by the Government candidates, parties and others, separately;

(b) the amount suspected to be black money out of the above expenditure ;

(c) how do the above figures compare with the corresponding figures of the expenditure incurred in the Parliamentary elections of 1967 and the State-wise elections held between 1967 and 1971 ;

(d) the action being taken to check the use of blackmoney in the elections; and

(e) whether any scheme to regulate the expenditure in elections is under is consideration and if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) The expenditure incurred by the Government and by the candidates on elections held in 1971, 1972 and 1974 was as under :—

Year	Expenditure incurred by the Government	Expenditure incurred by the candidates
	Rs.	Rs.
1971 .	. 14,43,04,626	2,59,26,635·53 (House of the People)
1972 .	. 13,72,28,192	6,09,84,807·38 (Legislative Assemblies).
1974 .	. 4,63,87,000 (approximately)	1,53,93,409·32

As regards the expenditure incurred by the parties and others, it may be stated that there is no provision in the law requiring political parties or persons other than the contesting candidates and their election agents to intimate he amount of expenditure incurred by them in connection with the elections. Such information is, therefore, not available.

(b) Government has no information in the matter.

(c) In 1967, elections to the Lok Sabha and the Legislative Assemblies were held simultaneously and the expenditure incurred by the Central and State Governments on those elections is not available separately. Therefore, it is not prossible to compare the expenditure incurred on Parliamentary elections in 1967 with the expenditure incurred in 1971. For the same reason, it is not possible to compare the expenditure incurred on the State Assembly Elections in 1967 with the expenditure incurred on elections to the same State Legislative Assemblies subsequent to 1967.

(d) Does not arise, in view of the answer to part (b) of the question.

(e) Government have an open mind in this matter and any suggestions which may be made in this behalf will be given due consideration.

Progress on Setting up of Mathura Refinery

377. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the time by which the oil refinery is likely to be set up in Mathura ;

(b) the progress made so far in this direction ; and

(c) whether a pipeline will be laid upto Punjab from this Refinery ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) As per the present schedule, the Mathura Refinery is expected to be completed by the middle of 1978.

(b) The site has been selected and the land required for the refinery and its township acquired. Site Survey and various investigations in respect of soil, water supply, effluent disposal etc. have been either completed or are in progress. Process packages for the licensed units have been obtained from licensors. The work on preparation of the detailed Project Report is in progress. Action to procure the construction materials like steel and cement has been initiated.

(c) The feasibility studies for laying a product pipeline from Mathura to Ambala/ Jullundur are being conducted.

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के लिए योजना में नियत-राशी में कटौती

378. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के लिए योजना में नियत राशि में कटौति कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी किन-किन योजनायों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा, जो प्रारंभ होने वाली हैं और जिनका विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) वित्तीय परिव्यय में कटौती के परिणामस्वरुप किन--किन आवश्यक औषधियों के उत्पादन को छोड़ना पडेगा ; और

(घ) उपर्युक्त आवश्यक औषधियों की कमी को पूरा करने संबंधी प्रस्तावों की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०) ने विभिन्न प्रपूंज औषधों एवं सूत्रयोगों की अतिरिक्त तथा नई क्षमताओं का विस्तार तथा उनकी स्थापना करने के संबंध

मैं प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। योजना आयोग ने इन प्रस्तावों पर विचार किया था और पांचवीं योजना के अन्तर्गत आई० डी० पी० एल० द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिये 40 करोड़ रुपये को आबंटन करने का प्रस्ताव दिया था। परियोजनाओं के नाम तथा विभिन्न परियोजनाओं की पूंजीगत लागत का अनुमान इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

परियोजना	अनुमानित पूंजीगत निवेश
1. विस्तार योजना एस० डी० पी०	21.90
2. निकोटीनामाइड प्लांट	8.38
3. विस्तार योजना ए० बी० पी०	9.20
4. फार्मूलेशन यूनिट	5.50
5. नये एस० डी० पी० के लिये पायलट संयंत्र अध्ययन	1.00
कुल.	44.98

योजना आयोग ने 40 करोड़ रुपये, जैसा कि प्रारुप योजना में निहित है, कि व्यवस्था में कोई कटौती नहीं की है।

विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम

379. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति सम्बधी नियमों में संशोधन करने के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति (पांचवीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ताकि प्रत्येक रेलवे सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से लिया जाये; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है।

रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित आदेशों को क्रियान्वित किया जाना

380. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती से संबंधित विभिन्न आरक्षण आदेशों को उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, 31 जुलाई, 1973 को लोक सभा में की गई घोषणा के अनुसार, रेल मंत्रालय में सैल गठित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सैल को कब गठित किया गया, इसमें कितने कर्मचारी हैं और सैल में नियुक्त किये गये प्रत्येक अधिकारी के पदनाम और दर्जे का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस कक्ष की स्थापना, अक्तूबर, 1973 में की गयी थी। अपर निदेशक इसके अध्यक्ष हैं और संयुक्त निदेशक के ओहदे के दो सलाहकार उनको सहायता करते हैं। इस कक्ष में एक सहायक निदेशक / अवर सचिव के पद भी हैं। इनके नीचे 8 अराजपत्रित कर्मचारी कार्य करते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को उनके मूल निवास-स्थान के निकट तैनात किया जाना

381. श्री पी० एम० सईद :

श्री एस० एम० सिद्दय्या :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे को इस आशय के कोई आदेश दिये गये है कि जहां तक अधिकाधिक सम्भव हो सके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को उनके मूल निवास-स्थानों के निकट तैनात किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे में ऐसे कुल कर्मचारियों में से कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1974 को उनके मूल निवास-स्थानों के निकट तैनात नहीं किया जा सका है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलों को हिदायतें दी गयी हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके अपने या निकट वर्ती जिलों में किया जाये अथवा ऐसे स्थानों पर किया जाये जहां प्रशासन उन्हें क्वार्टर दे सके उनको सेवा की परमावश्यकता को देखते हुए इन हिदायतों का अधिकतम संभव अनुपालन किया जाना जरुरी है।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

वी० एन० एलियास एण्ड कम्पनी कलकत्ता

382. श्री ज्योतिर्मय बसू : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० एन० एलियास एण्ड कम्पनी कलकत्ता को हाल में डंकन ब्रदर्स के गोयंका बन्धुओं ने अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सौदे की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) अधिकार में लिये जाने के बाद वी० एन० एलियास एण्ड कम्पनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(घ) क्या इस सौदे में अनेक अनियमितताओं तथा कदाचारों का पता चला है ; और

(ङ) यदि हां, तो कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मारुति लिमिटेड, हरियाणा

383. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1974 को मारुति लिमिटेड, हरियाणा के निदेशक मंडल सदस्यों के नाम क्या थे ;

(ख) इस समय कम्पनी के मुख्य अंशधारियों के नाम क्या है तथा प्रत्येक अंशधारी ने कितने तथा कितने मूल्य के शेयर खरीदे हैं ;

(ग) कम्पनी ने अब तक कुल कितना ऋण लिया है ;

(घ) कुल ऋण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के और ऋण देने वाली संस्थाओं के कितने कितने शेयर हैं और

(ङ) 31 मार्च, 1974 को कम्पनी को निर्धारित परिसम्पत्ति का कुल मूल्य कितना था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) मारुति लिमिटेड के निदेशक मंडल की 30 सितम्बर, 1974 तक की संरचना निम्न प्रकार है :—

नाम	पदनाम
1. श्री एम० ए० चिदम्बरम	अध्यक्ष
2. श्री संजय गांधी	प्रबंध निदेशक
3. श्री शैनक सिंह	निदेशक
4. विद्या भूषण	निदेशक
5. श्री कपील मोहन.	निदेशक

(ख) कम्पनी रजिस्ट्रार, हरियाणा के पास प्रस्तुत की गई 1 जुलाई, 1974 तक की विवरणी के अनुसार, कम्पनी के 10 रु० की दर के 10,000 या इनसे अधिक के हिस्से धारण कर्ता प्रमुख हिस्सेधारियों के नाम, नीचे दिये गये हैं :—

क्रम संख्या	हिस्सेधारियों के नाम	10 रु० की दर के धारित साम्य हिस्सों की संख्या
1	मै० मधुसूदन लि० . .	63,000
2	मै० रनबो, स्टील लि० . .	60,000
3	मै० मोहन मेकिन्स ब्रेवरिज लि०	56,000
4	मै० ट्रेड लिंक्स प्रा० लि० . . .	53,000
5	मै० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि० .	50,000
6	श्री बनवारी लाल . .	50,000
7	मै० भारत स्टील ट्यूब्स लि० . . .	50,000

क्रम संख्या	हिस्सेधारियों के नाम	10 रु० की दर के धारित साम्य हिस्सों की संख्या
8	श्री पुरुषोत्तम दास	50,000
9	मैं० हिन्गीर रामपुर कोल कम्पनी लि०	40,000
10	मैं० उत्तर प्रदेश ट्रेडिंग कम्पनी लि०	40,000
11	मैं० रेनबो रिफ्रेक्टरीज प्रा० लि०	37,500
12	मैं० ईस्ट इण्डिया कार्पेट कम्पनी लि०	35,000
13	मैं० दरभंगा मार्केटिंग कम्पनी लि०	30,000
14	मैं० सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी लि०	30,000
15	मैं० किलिक स्लोटेड एन्गिल्स लि०	26,000
16	मैं० दिल्ली आटोमोबाइल्स प्रा० लि०	25,000
17	श्री नरोत्तमदास बी० जावेरी	25,000
18	मैं० निर्लोन सिन्थेटिक फ्रिबीज एण्ड केमीकल्स लि०	25,000
19	मैं० फिल्ट्रोना इण्डिया लि०	24,000
20	मैं० बोनिज उद्योग प्राइवेट लि०	22,500
21	श्री सी० एम० जटिया	20,000
22	मैं० के० डी० वीरानी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०	20,000
23	म० सरन ट्रेडिंग कम्पनी लि०	20,000
24	श्री विद्या भूषण	17,500
25	मैं० ईस्टर्न इलैक्ट्रोनिक्स (दिल्ली) लि०	15,000
26	श्री प्रेमभाई मंगलभाई टांडेल	15,000
27	श्री सुभाष चन्द जैन	15,000
28	श्री मिल्खा सिंह	14,750
29	श्री बी० सी० जींदूल	12,500
30	श्री महासुख लाल शिवलाल सेठ	12,000
31	श्री मेहर सिंह	11,500
32	मैं० चम्पारन मार्केटिंग कम्पनी लि०	10,000
33	श्री मनहर लाल मनीलाल मेहता	10,000
34	श्री नरसिंह प्रसाद शराफ	10,000
35	मैं० पीरामल स्पिनिंग, वीविंग मिल्स लि०	10,000
36	श्री सत्य नारायण बागला	10,000
37	श्री सेवाल राम सराफ	10,000
38	श्री श्रीकिशन बागला	10,000
39	श्री सुरेश कुमार देवराह	10,000
40	श्री सुशील कुमार देवराह	10,000
41	मैं० यूनीवर्सल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लि०	10,000

(ग) तथा (घ) कम्पनी के 31-3-74 तक के नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार कम्पनी के कुल ऋण, 1,06,07,950 रु० की राशि के थे । तुलन पत्र में यथा प्रदर्शित ऋणों के ब्योरे निम्नप्रकार है :—

प्रतिभूति ऋण (बैंकों से) . . . . . 59,53,735 रु०

(बैंकों के बजाय अन्य श्रोतों से) प्रतिभूतिरहित ऋण . . . 46,54,215 रु०

उधार लिये गये धन के श्रोतों का पुन: विश्लेषण तुलनपत्र में उपलब्ध नहीं है।

(ङ) कम्पनी के 31-3-1974 तक के नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार इसकी शुद्ध निर्धारित परिसम्पतियों का मूल्य, 4,48,00,553 रु० है।

सोनपुर से बाराबंकी सम्पर्क के लिए ब्राडगेज (बड़ी लाइन) बिछाने हेतु ठेका दिया जाना

384. **श्री ज्योतिर्मय बसू :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे में सोनपुर से बाराबंकी सम्पर्क के लिए ब्राडगेज (बड़ी लाईन) बिछाने हेतु बिहार में मुजफ्फरपुर के श्री रघुनाथ पांडे नामक एक व्यक्ति को एक करोड रुपये के मूल्य का ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ठेकेदार का पूर्ववृत्त क्या है;

(ग) क्या रेलवे के निर्माण कार्यों का इस ठेकेदार को कोई पूर्व अनुभव है और यदि हां, तो क्या;

(घ) क्या यह ठेका बिना कोई प्रतिभूति जमा कराये दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो किन आधारों पर ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

हाल्दिया तेलशोधक कारखाने का विस्तार

385. **श्री ज्योतिर्मय बसू :**

श्री राने सेन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेलशोधक कारखाने का विस्तार करने और हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना करने सम्बन्धी कोई योजनायें हैं ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विशिष्ट बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो योजनाओं को कब तक लागू कर दिये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) हल्दिया शोधनशाला के विस्तार के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रतिदिन 100 मीटरी टन मेथेनोल का उत्पादन करने के लिये हल्दिया में एक परियोजना जो पैट्रो-कच्चे माल पर आधारित है, को कार्यान्विति की जा रही है। इस परियोजना के 1976–77 तक मुकम्मल हो जाने की आशा है।

आवश्यक औषधियों के उत्पादन में बहु-देशी निगमों का एकाधिकार

386. **श्री एच० एम० मुकर्जी :**

श्री एस० ए० मुरगन्तम :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आवश्यक औषधियों पर बहु-देशीय निगमों का अधिकार है और कोई भी भारतीय निर्माता उन औषधियों का उत्पादन नहीं कर सकता;

(ख) यदि हां, तो उन बहु-देशीय निगमों का नाम क्या है और उक्त आवश्यक औषधियों का नाम क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन औषधियों का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 की सूची में अनिवार्य प्रपुंज औषधों में से कुछ केवल बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निर्मित किए जाते है। तथापि भारतीय उत्पादकों द्वारा ऐसे औषधों का उत्पादन करने पर कोई रोक नहीं है ।

(ख) आयोजित क्षेत्र में संबंधित निर्माताओं और औषधों के नाम निम्नलिखित है :—

विषय	निर्माता
1. विटामिन ए	मैसर्स रोचे प्राडक्टस एण्ड मैसर्स गिलैक्सो लि०
2. अमोडियाक्यून	मैसर्स पारके डेविस
3. इन्सूलिन	मैसर्स बूटस
4. प्रेडनीसोलोन	मैसर्स वीथ प्रयोगशाला

(ग) दो सरकारी क्षेत्र एकक अर्थात् मैसर्स भारतीय औषध तथा भेषज लि० और मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० ने विटामिन, सल्फा आदि सहित काफी मात्रा में एन्टिबायोटिक्स और संश्लिष्ट औषधों का निर्माण करना आरंभ कर लिया है । देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई अन्य औषधों का निर्माण करने और वर्तमान मदों का उत्पादन बढ़ाने की भी उनकी योजनाएं है । पर्याप्त प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दोनों निजी और सरकारी क्षेत्र एककों को प्रपुंज औषधों का निर्माण करने की अनुमति दे दी गई है ।

मथुरा शोधनशाला का क्रियान्वयन

387. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष को मथुरा शोधनशाला जिसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की जा रही है, के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सोपी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मथुरा शोधनशाला के लिए रूसी सहयोग लेने के विरुद्ध परामर्श दिया था; और

(ग) क्या इससे मथुरा शोधनशाला के कार्यकरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इण्डियन आयल कार्पोरेशन को मथुरा शोधनशाला प्रायोजना, जिसे सोवियत रुस के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, के कार्य-भार संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स ई० मर्क द्वारा अनधिकृत उत्पादन

388. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स ई० मर्क औद्योगिक लाइसेंस अथवा सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना अनेक फार्मूलेशन्स तैयार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन फार्मूलेशन्स के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं तथा उनके उत्पादन की मात्रा क्या है ; और

(ग) इस कम्पनी द्वारा बीना वैध प्राधिकार के फार्मूले तैयार करने के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

आर्थिक अपराधों के बारे में मुकदमा चलाने हेतु विशेष न्यायालय

389. **श्री प्रसन्ना भाई मेहता :**

श्री वी० मयावन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार को आर्थिक अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान न्यायालय मुकदमों का शीघ्र निपटारा करने में समर्थ नहीं होंगे ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है ;

(घ) इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए है ; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे न्यायालयों की स्थापना की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) आयोग का विचार है कि सामाजिक और आर्थिक अपराधों के संबंध में पर्याप्त रूप से कार्यवाही उन विशेष न्यायालयों के सिवाय नहीं की जा सकती है जिनका गठन न्यूनाधिक रूप से उनके विचारण के लिए ही किया गया हो।

(ग) यह विषय गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

(घ) आयोग के अन्य सुझाव विवरण में क्रमानुसार दिए गए है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ऐसे न्यायालय अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं।

विवरण

1. धन-कर अधिनियम और आय-कर अधिनियम को छोड़कर प्रश्नगत अधिनियमों के अधीन अपराधों का विचारण उन विशेष न्यायाधीशों द्वारा किया जाना चाहिए जो इन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों का सृजन करने वाले विशेष अधिनियम के अधीन नियुक्त किए जाएंगे ।

2. ऐसे विचारणों में विशेष न्यायाधीश, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी ऐसे साक्षी को, जिसका साक्ष्य तात्विक नहीं होगा, समन करने से इनकार कर सकेगा ।

3. यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध के किसी विचारण में यह पाया जाता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है चाहे ऐसे अपराध की बाबत यह निदेश दिया गया हो या न दिया गया हो कि उसका विचारण किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा अथवा वह आरोपित किया गया हो या न किया गया हो, तो विशेष न्यायाधीश उस दशा में जब उसका यह समाधान हो गया हो कि अभियुक्त को उस अपराध के प्रती निर्देश से अपनी प्रतिरक्षा करने का उचित अवसर मिल चुका है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष कर सकेगा और विधि द्वारा प्राधिकृत दण्डादेश दे सकेगा ।

4. एक पृथक अधिनियम के अधीन नियुक्त किए जाने वाले विशेष न्यायाधीशों द्वारा इन अपराधों के विचारण की सिफारिश से विभिन्न अधिनियमों के कुछ प्रक्रियात्मक उपबंधों में पारिणामिक परिवर्तन करना आवश्यक हो जाएगा और उनमें से कुछ उपबंध, उदाहरणार्थ संक्षिप्त विचारण संबंधी, उपबंध, सर्वथा व्यवहारातीत भी हो सकते हैं क्योंकि वे मजिस्ट्रेटों के समक्ष विचारणों के प्रति निर्देश से बनाए गए हैं । इस रिपोर्ट में इन सभी परिवर्तनों पर विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा गया है किन्तु ये परिवर्तन करने ही होंगे ।

5. उत्पाद-शुल्क अधिनियम, सीमा-शुल्क अधिनियम और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अधीन अपराधों के बारें में अपराधिक मन: स्थिति की उपधारणा की जानी चाहिए, जब तक कि अभियुक्त यह साबित न कर दे कि वैसी मन:स्थिति नहीं थी ।

6. धन-कर अधिनियम और आय-कर अधिनियम को छोड़ कर सभी अधिनियमों के अधीन विचारणों में न्यायालय को अभियुक्त से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वह आरोप के विरचित किए जाने के पश्चात् अपनी प्रतिरक्षा का कथन करे । जहां ऐसी परीक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है वहां न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह, सिवाय उन विषयों के संबंध में जो नए उत्पन्न हुए हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा करे ।

7. धन-कर अधिनियम और आय-कर अधिनियम को छोड़कर अन्य अधिनियमों के अधीन अपराधों के लिए विचारणों में न्यायालय को चाहिए कि वह समुचित दंडादेश दिए जाने के संबंध में अपना निर्णय देने से पूर्व अभियोजन पक्ष को और साथ ही अभियुक्त को भी सुने ।

8. धन-कर अधिनियम और आय-कर अधिनियम को छोड़कर सभी अधिनियमों के अधीन विचारणों की बाबत निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए उपबंध होना चाहिए ।

9. विशेष न्यायालयों का सृजन करने वाला एक पृथक अधिनियम अधिनियमित किया जाना चाहिए ताकि उस अधिनियम के अधीन, धन-कर अधिनियम और आय-कर अधिनियम को छोड़कर उन अधिनियमों के अन्तर्गत, जिनसे यह रिपोर्ट संबंधित है, आने वाले सभी अपराधों के विचारण के लिए उपबंध किया जा सके ।

दावा न की गई वस्तुओं की बिक्री के लिए रेल अधिनियम में संशोधन

390. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) रेल अधिनियम में कोई संशोधन कर दिया गया है जिससे कि रेलवे बोर्ड बिना कोई नोटिस दिये राज्य सरकारों की एजन्सियों को रेल गोदामों से दावा न की गयी वस्तुओं की बिक्री कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

ऐसे रेल कर्मचारियों के मामलों के बारे में निर्णय जिनकी सेवा में व्यवधान हो रहा

391. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री सरजू पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि गत मई में हुई रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण लगभग 42,2000 रेल कर्मचारियों को सेवा में व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेलों पर पिछली हड़ताल गैर कानूनी घोषित कर दी गयी थी। गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने का स्वाभाविक परिणाम, जैसा कि भारतीय रेल संहिता में व्यवस्था है, सेवा भंग है। सामान्यतः सभी रेल कर्मचारी इस परिणाम से अवगत है। इसके अलावा पिछली हडताल के समय कर्मचारियों को पूर्व सूचना दे दी गयी थी कि गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने की स्थिति में उन्हें ऐसे परिणामों को भुगतना होगा। इस पूर्व सूचना के बावजूद यदि कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया तो उन्हें गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने के लिए परिणाम भुगतना ही पड़ेगा।

हड़ताल के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण लगभग 5.9 लाख कर्मचारियों का सेवा भंग किया गया था। फिर भी, अलग–अलग मामलों पर विचार किया जा रहा है और जहां ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्हें नजर अन्दाज किया जा सकता है अथवा डराने धमकाने या हिंसा के कारण कर्मचारी काम पर नहीं आ सके वहां सेवा भंग माफ किया जा रहा है। इस आधार पर, अब तक लगभग 3.57 लाख कर्मचारियों का सेवा भंग माफ कर दिया गया है। अलग-अलग मामलों पर विचार करने की प्रक्रिया जारी है।

रेल अधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें

392. **श्री मधू लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-अधिकारीयों, विशेष रूप से दानापुर (पूर्वी रेलवे) और नागपुर (मध्य रेलवे) के प्रभागीय अधीक्षकों तथा ग्वालियर रेलवे अधिकारी श्री बाली द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार करने के बारे में मंत्रालय को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की जांच की गई है और इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, मण्डल अधीक्षक दानापुर, नागपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे) और क्षेत्र अधीक्षक, ग्वालियर के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं।

(ख) इन शिकायतों में कर्मचारियों को भर्ती और बहाली में कदाचार और खोमचा लगाने तथा मछली पकड़ने के ठेके देने के संबंध में पक्षपात करने के आरोप लगाये गये हैं ।

(ग) क्षेत्रीय रेल सतर्कता और केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच शुरु की गयी हैं।

(घ) शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने पर जहां जरुरत होगी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से आगे कार्रवाई की जायेगी।

जसीदाह-वैद्यनाथ धाम सक्टर में दनिक यात्रियों को हो रही असुविधाओं के बारे में ज्ञापन

393. **श्री मधु लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हे पूर्व रेलवे से जसीदाह वैद्यनाथ सेक्टर में दैनिक रेल यात्रियों को हो रही असुविधाओं के बारे में कोई ज्ञापन अथवा समाचार मिला है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मांग क्या है तथा शिकायतें क्या है; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रद्द की गयी गाड़ियों को फिर से चलाना।

(ग) रद्द की गयी गाड़ियों धीरे-धीरे फिर से चलायी जा रही हैं। जसिडीही वैद्यनाथ धाम शाखा लाइन पर रद्द की गयी 3 जोड़ी गाड़ियों में से दो जोडो गाडियां पहले ही फिर से चलायी जा चुकी है।

गंगा जल दूषण जांच समिति की सिफारिशें

394. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा जल दूषण जांच समिति की किन किन सिफारिशों को सरकार ने सामान्य रुप से स्वीकार कर लिया है;

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा इनमें से कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, जिनसे उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कहा गया था;

(घ) क्या कुछ अधिक महत्वपूर्ण अधिकारियों ने, जो स्वीकृत सिफारिशों के क्रियान्वयन के प्रभारी थे, उनको सक्रिय रूप से विफल कर दिया; और

(ङ) क्या इस प्रकार की बाधा डालने के बावजूद मंत्रालय द्वारा उन्हें पदोन्नत किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) शोधनशाला से अपशिष्ट पदार्थों के निकास से नदी जल के दूषण की पुनरावृति को रोकने के लिये गंगा जल दूषण जांच आयोग ने कुछ ऐसे कदम उठाये जाने की सिफारिश की थी जो किवरौनी शोधनशालाको विशष रूप से और भारत की अन्य शोधनशालाओं को सामान्य रूप से

उठाने चाहियें। सरकार ने बरौनी शोधनशालाओं से संबंधित सभी सिफारिशें, जिनकी संख्या 20 है, स्वीकार कर ली है, बशर्ते कि वे तकनीकी आर्थिक रूप से उपयुक्त तथा व्यवहार्य हो। सिफारिश संख्या 17 तथा 19 को छोड़ कर भारतीय तेल निगम ने बरौनी शोधनशाला में सभी सिफारिशों को क्रियान्वित किया है।

सिफारिश संख्या 17 अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने वाली पाइप लाइन के मार्ग के साथ साथ एक सड़क बनाये जाने से संबंधित है। भारतीय तेल निगम के निदेशक बोर्ड ने निर्णय लिया है कि पक्की सड़क बनाना आवश्यक नहीं है, प्रथम तो इस कारण से कि पाइपलाइन अधिकांशतः भमिगत है तथा लाइन के साथ साथ गश्त लगाने का कोई अधिक लाभ नहीं होगा और दूसरे कि पुल से नदी के किनारे के साथ गंगा में मुहाने का निरीक्षण करना आसान है।

नदी की धारा में अपशिष्ट पदार्थों के निकास से संबंधित सिफारिश संख्या 19 पर सी डब्ल्यू० एण्ड पी० सी० के परामर्ष से आई० ओ० सी० द्वारा जांच की गई थी और इसे तकनीकी आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं समझा गया। तथापि, शोधनशाला ने अन्य उपाय अपनाये हैं जिन से अपशिष्ट पदार्थों में तेल के अंश में कमी की जाती है और नदी की मुख्य धारा में अपशिष्ट पदार्थों का वहां दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है। क्या उठाये गये कदमों के बारे में बिहार राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को संतोष है इस प्रश्न के संबंध में आई०ओ०सी० ने राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार करना शुरू किया है।

आई०ओ०सी० द्वारा अपनाये गये उपायों के परिणामस्वरूप, इस समय बहाये जा रहे अपशिष्ट पदार्थों में तेल का अंश निर्धारित सीमा से काफी कम है और इस समय शोधनशाला की ओर से नदी का दूषण नहीं किया जाता है।

(ग) सरकार ने भारतीय तेल निगम (शोधनशाला प्रभाग) के प्रबंध निदेशक को लिखा है और इसने शोधनशाला के प्रबंधकों को विभिन्न सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रसायन उद्योग का विकास

395. श्री मधु लिमये : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत पांच वर्षों में देश में संयंत्र तथा मशीनें लगाने सहित रसायन उद्योग के विकास का सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या रसायनों और रासायनिक संयंत्रों की निर्यात क्षमता का पता लगाया गया है।

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में निर्यात के लिये मंत्रालय की क्या योजनाएं हैं; और

(घ) इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस उद्योग को क्या सहायता दी जा रही है;

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और जितना शीघ्र हो सकेगा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अधिक खपत वाली औषधियों के मूल्य ढांचे पर कार्यकारी दल की सिफारिशें

396. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 20 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2910 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्यूरो आफ इन्डस्ट्रियल कास्ट एन्ड प्राइसेज के चेयरमैन की अध्यक्षता के अन्तर्गत कार्यकारी दल की सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या ह; और

(ग) विदेशियों द्वारा नियंत्रित औषध कम्पनियों के लाभों पर कार्यकारी दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ख) और (ग) कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये रिपोर्ट पर दो विचारार्थ विषयों अर्थात् (1) 24 प्रमुख औषधों के उचित विक्रय मूल्य और (2) प्रक्रिया हानि, परावर्तन लागत तथा पैकिंग खर्च के मानकों के बारे में सरकार ने पहले ही निर्णय की घोषणा कर दी है। इस बारे में 19-4-1974 को लोक सभा के पटल पर एक विवरण पत्र रखा गया था। कार्यकारी दल की अपनी अविशिष्ट विचारार्थ बातों के अन्तर्गत सिफारिशें विचाराधीन हैं जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 2910 के उत्तर में बताया गया था कि इस प्रकार के विदेशी नियंत्रणवाली औषध कम्पनियों के लाभ पर रिपोर्ट पर जांच करने के लिए कार्यकारी दल को विशेषरूप से नहीं कहा गया था।

माल डिब्बा निर्माण कार्यक्रम में कटौती

397. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का अपने माल-डिब्बा निर्माण कार्यक्रम में कटौती करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान दिये जाने पर रोक लगाने संबंधी कानून में संशोधन

398. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दान दिये जाने पर रोक लगाने वाले वर्तमान कानून में संशोधन करने के बारे में सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसा किन कारणों से बाध्य होकर किया है; और

(ग) क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 पर वाद विवाद के दौरान, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा, संसद दोनों सदनों में, राजनैतिक दलों के लिये कम्पनी चंदों का प्रतिबन्ध हटाने का प्रश्न उठाया गया था। यह सुझाव विचाराधीन है।

पैट्रोलियम के बिक्री मूल्य में कमी करने का प्रस्ताव

399. श्री शशि भूषण : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम का बिक्री मुल्य कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को धन देना

400. श्री आर० वी० बड़े :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को धन देने पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद कम्पनियो ने चुनावों के अवसरों पर विभिन्न रुपों में धन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह प्रतिबन्ध हटाने अथवा उसकी परिधि का विस्तार करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) कम्पनी कार्य विभाग को ऐसे दृष्टांत दृष्टिकोचर हुए है, जहां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 क में दिये गये प्रतिबन्धों के बावजूद राजनैतिक दलों, अथवा राजनैतिक उद्देश्यों के लिये चन्दे दिये गये थे ।

(ख) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 पर वाद विवाद के दौरान, कुछ माननीय सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदनों में, राजनैतिक दलों के लिये कम्पनी चन्दों का प्रतिबन्ध हटाने का प्रश्न उठाया गया था । यह सुझाव विचाराधीन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने आपको नोटिस दिया है । मुझे मेघालय के विधान-सभा सदस्य से एक तार प्राप्त हुआ है । इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अध्यक्ष के सम्मान में रोटरी क्लब की सभा में उपस्थित स्थानीय पत्रकारों से स्वयं इन्टरव्यु लिया । उन्होंने बार-बार शपथ खाकर यह कहा कि अध्यक्ष महोदय ने जोर देकर यह कहा था कि भारतीय संविधान आधुनिक भारत के लिए संगत नहीं रहा । दूसरी बात उन्होंने यह कही कि बहुदलीय प्रणाली प्रजातंत्रात्मक देशों में बुरी तरह असफल हुई है । तीसरे, एक दलीय प्रणाली रूस, पूर्व यूरोपीय तथा अफ्रीकी देशों में सफल रही है । उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय विधान-सभा सदस्य तथा संसद सदस्य लोकप्रिय बनने के लिए शोर मचाना जानते है । सरकार के उच्चाधिकारियों ने निजी रूप से स्वीकार किया है कि अध्यक्ष द्वारा बार-बार एक-दलीय प्रणाली की बात को सुनकर वे मीटिंग में से उठकर चले गए । 'इण्डियन एक्सप्रेस, अमृत बाजार पत्रिका, प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया' के कई पत्रकार भी वहां उपस्थित थे ।

मुझे पता लगा है कि टेप रिकार्ड किया हुआ भाषण किसी के कब्जे में है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप उसे यहां लाइए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मै इस बारे में यह कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि उन्हें संसदीय प्रजातंत्र की मूलाधार बहु-दलीय प्रणाली में आस्था नहीं है । दूसरे, अध्यक्ष महोदय वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर रहे हैं और तीसरे इन्हें प्रतिपक्ष में कोई विश्वास नहीं है ।

मैने आपके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है । मुझे इसका खेद है । जब तक आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे, मामला बना रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह तार देखा है। मैंने प्रतिपक्ष के सदस्यों को स्पष्टीकरण दे दिया है।

मैं सदन को विश्वास में लेकर यह बात कहना चाहता हूँ कि मैं वहां 15 मिनट रहा जिसमें से 6.7 मिनट मैंने रोटरी क्लब के आदर्शों के बारे में बात की। सबसे पहले तो मैंने यह बताया कि मेरे चरित्र को बदलने में एक कारण रोटरी क्लब की सदस्यता थी। दूसरा कारण मेरा सैनिक जीवन था और तीसरा कारण राजनीतिक कैदी के रूप में जल में रहना था। मैंने सदस्यों को यह भी बताया कि हमें आम व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद मैंने उन्हें निमन्त्रित करने के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् प्रजातन्त्रीय सरकार के कार्यकरण के बारे में पूछे जाने पर मैंने उनको बताया कि मैं 'इन्टर-पार्लियामेंटरी युनियन' का अध्यक्ष हूँ जिसमें बहुदलीय तथा एक-दलीय प्रजातंत्र वाले देश हैं। बहुदलीय प्रजातंत्र वाले भारत देश में प्रतिपक्ष को बहुत अधिक स्थान नहीं मिला। 'पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन' में भाषण देते हुए मैंने यह बात कही थी और यही बात मैंने 'आल इण्डिया पोलीटीकल साईंस एसोसिएशन' द्वारा आयोजित सम्मेलन में 28 तारीख को कही थी। इसके बाद मैंने यह कहा कि कई देशों में एक-दलीय प्रणाली स्थापित हो गई है। अफ्रीका ने भी इसीका अनुकरण किया है। जाम्बिया में मैं राष्ट्र-मंडलीय अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने गया था। वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया था कि उन्हें बहुदलीय प्रणाली का कटु अनुभव हुआ है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि अब यह प्रणाली समाप्त होती जा रही है। मैंने अपने भाषण में यह बताया कि भारत विभिन्न सामाजिक परम्पराओं, जातियों, तथा धर्मों का देश है। समय आ गया है कि हमें आपस में लड़ने-झगड़ने की बजाय विशिष्टकरण पर जोर देना चाहिए और पूर्णाधिवेशन की बजाय समिति अधिवेशन पर जोर देना चाहिए। हमें अन्य देशों का अनुकरण नहीं करना है। संसदीय प्रणाली भारतीय व्यवस्था के अनुरूप है। इन बातों की जांच करने के लिए संसदीय समिति गठित की जाए। यदि मेरी बातें गलत सिद्ध हों तो मैं पद त्याग दूंगा। मेरा भी कुछ निजी जीवन है। मुझे अपने घर में मित्र-वर्ग तथा क्लबों में अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। मेरी भी कुछ राजनीतिक धारणांए हैं। यदि मैं लिखित भाषण, मुद्रित भाषण या विचार-गोष्ठी भाषण में ऐसी बात कहूँ तो आप आपत्ति कर सकते हैं। मैं रोज का सिर दर्द पसन्द नहीं करता और मैं जानता हूँ कि इसका कारण क्या है।

श्री मधु लिमये (बांका) : आप आक्षेप मत लगाए।

अध्यक्ष महोदय : मेघालय में आपसी द्वन्द्व चल रहा है। माननीय सदस्य उसमें अध्यक्ष या सम्मेलन को क्यों घसीट रहें हैं ?

निर्माण, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ हुई बात में आपने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और सदस्यों ने कहा था कि वे संतुष्ट हैं और यह मामला समाप्त कर दिया जाए। तत्पश्चात श्री ज्योतिर्मय बसु ने फिर यह मामला उठाया है (**व्यवधान**) माननीय अध्यक्ष ने विस्तृत रूप से फिर से स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब भी अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ सारे तथ्य बता दिए हैं। क्या हमें अध्यक्ष महोदय की बात नहीं मान लेनी चाहिए ? हमें अध्यक्ष महोदय की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई सदस्य वक्तव्य देता है और आरोपों को स्वीकार नहीं करता तो हम उसे सम्मान देते हैं। क्या हम अध्यक्ष को सम्मान नहीं दे सकते ? माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले को फिर से न उठाएं। हमें अध्यक्षपीठ तथा अध्यक्ष में विश्वास रखना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मामले को इस प्रकार नहीं दबाना चाहिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ। (**व्यवधान**) छः वरिष्ठ पत्रकारों ने सम्मेलन में भाग लिया और प्रामाणिक बातें पत्रों में प्रकाशित की। अब वे पूछते हैं कि क्या उन की बदनामी नहीं हुई ? मेरे पास विधानसभा सदस्य का भेजा हुआ तार है।

अध्यक्ष महोदय : अपने घर में सामाजिक क्षेत्र अथवा किसी क्लब में मैं अध्यक्ष की भूमिका अदा नहीं करता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है जब आपने एक बार विशिष्ट वक्तव्य दे दिया है तो इस मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाइसेंसो संबंधी मामला

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir last time when the matter relating to licence scandal was discussed in the House, an assurance was given that after the completion of the C.B.I. inquiry, full facts will be placed before the House. But this has not been done. The Lok Sabha Bulletin contained information in regard to the arrest bail and release of Shri Tul Mohan Ram and nothing else. I would like to know why the assurance given by the Home Minister has not been implemented?

The House had also been assured that full inquiry will be made in regard to all the aspects of the licence scandal. Members will recall that on the day this matter was raised in the House, I had mentioned that the Indo-Bangla Desh Corporation was selling those licences. But it is only after about 1 1/2 months that raids are made on the offices and residence of the corporation. It should be explained why no action was taken by the C.B.I. and other investigating agencies for such a long time.

Another important point is that when the controller of Imports and Exports went to Pondicherry, Yaman and Mahe to make an inquiry in regard to the applications for the licences and when he received definite information that none of them is gunuine party? Even then how orders were passed for the issue of licences to these parties? I want to know why action was not taken against this officer whose name is Shri Pillay. This is very strange. I had written to the Minister in this regard and he replied that C.B.I is inquiring into these matters. On receipt of their report such action as might be considered necessary will be taken. But so far nothing has been done why the concerned officer has not been suspenced so far and why no action has been taken against him? I also want to know what is the justification given by the Controller for the issue of licences to such bogus parties?

The reports of the C.B.I. and other investigating agencies should be laid on the Table of the House.

I had given a notice of a motion under Rule 184 against Shri Tul Mohan Ram that since he has been found guilty of receiving gratification etc. he should be removed from membership of the House. This motion should be taken up.

I have given another motion also that the Speaker should, on the basis of various reports appearing in the press accept our demand for the appointment of a parliamentary committee if such a committee is not appointed we will not be able to disclose the part played by the Ministers and their senior officers in this scandal.

According to the C.B.I. signatures of other 20 Members have been forged by Shri Tul Mohan Ram and his associates. But it has also appeared in Today's newspapers that signatures of 6 or 7 Members are genuine. It is difficult to accept the opinion of handwriting experts of the C.B.I. Therefore so long as a parliamentary committee is not appointed and independent experts are not invited, the doubt in peoples mind will remain and this will go against the digaity of Parliament. I therefore request that both the motions should be admitted and discussed.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, during the last session when I had brought a motion for the suspension of Shri Tul Mohan Ram from the membership of the House the hon. Home Minister had said that it was not a *prima facie* case and that action will be taken after the receipt of the C.B.I. report. But this has not been done. The fact that Shri Tul Mohan Ram has been arrested shows that there is a *prima facie* case against him. Why then is the Leader of the House not bringing a motion against Shri Tul Mohan Ram as was done in the case of Shri Mudgal in the past. Why is the Congress Party not prepared to bring such a motion ?

The C.B.I. has found Shri Tul Mohan Ram guilty of misuse of his position and forging the signatures of some Members and has instituted a case against him. But this is not enough. The conduct of Shri Tul Mohan Ram as a Member should also be censured by this House and the matter should be discussed here.

It is also necessary for the Home Minister to give full information in regard to this case in the House. It is not a very happy state of affairs that we have to get such information from the newspapers. The House is being kept in the dark.

The House will recall that the Commerce Minister, Shri Chattopadhyaya, had earlier said that the firms to which licences have been given have not sold them and that they have imported the material . But now it has been revealed that these firms are no where in existance and that they had been transferring the licences to other firms. If this is true, then the Commerce Minister is guilty of misleading the House. The C.B.I. report should be placed before the House. Kindly safeguard our rights. Entire issue should not be left to the Government.

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने नियम 223 के अधीन एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है क्योंकि गृह मंत्री ने सी०बी०आई० की रिपोर्ट के मामले में विशेषाधिकार तथा सभा में दिये गये स्पष्ट आश्वासन का उल्लंघन किया है । उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि सी०बी०आई० की रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसे संसद के सामने रखा जायगा ।

सी०बी०आई० ने अपनी जांच के परिणामों को प्रेस में जाने दिया जिसे, उदाहरण के लिये "स्टेट्समन" जैसे समाचार पत्रों में देखा जा सकता है इसके अतिरिक्त इस सदन को सूचित किये बिना ही सदन के एक माननीय सदस्य श्री तुलमोहन राम को कुछ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया । यह सब वर्तम न अधिवेशन के शुरू होने से 10 दिन पहले किया गया । यह विशेषाधिकार भंग करने का एक स्पष्ट मामला है और मैं मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजना चाहता हूँ ।

श्री श्यामनन्दन मिश्रा (बेगुसराय) : आज के 'टाईम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार संसद के अनेक माननीय सदस्यों ने इस मामले में लाखों रुपये प्राप्त किये । इसके मामला और भी गम्भीर बन गया है । यह इस मामले का पहला पहलू है ।

पिछले अधिवेशन के दौरान मैंने एफ० आई० आर० तथा अन्य सूचनाऐं उपलब्ध करने की मांग की थी । कोई डेढ़ महीने में संघर्ष के बाद, लोकसभा सचिवालय ने मुझे एफ०आई०आर० की एक प्रति उपलब्ध की थी । समझ में नहीं आता की सरकार हमें सूचना प्रदान करने में क्यों संकोच करती है ।

मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि वे सत्तारूढ़ दल की हाल चाल में न आयें कि श्री तुलमोहन राम की सदस्यता समाप्त होने के बाद यह मामला समाप्त हो जायगा । श्री तुलमोहन राम के सदस्यता इस सदन के परामर्श पर समाप्त होनी चाहिये, सी० बी० आई० के परामर्श के आधार पर नहीं । अतः, श्री तुलमोहनराम का मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये । उन्होंने सदन की मर्यादा को गिराया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह मामला बहुत गम्भीर है और इसमें सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है । मैं पहले भी यह सुझाव दे चुका हूं कि इस सारे मामले को छानबीन के लिये इस सदन की एक समिति का गठन किया जाये । गृह मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री समर गुह (कंटाई) : श्री तुलमोहनराम ने सदन की मर्यादा को कम किया है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

[श्री समर गुह]

सरकार इस बात के लिये वचनबद्ध है कि सी०बी०आई० की रिपोर्ट आने के तुरत्त बाद ही सरकार इस सदन में वक्तव्य देगी। सरकार ने अपने इस वचन को पूरा नहीं किया क्योंकि रिपोर्ट सम्बन्धी समाचार प्रेस में छप चुका है। इस सम्बन्ध में समूची कार्यवाही करने के लिये एक समिति का गठन किया भना चाहिये। यह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री पी० के० देव (कालाहाडी) : सरकार सदन को दिये गये आश्वासन से पीछे हटी है। प्रतीत होता है कि श्री तुलमोहन राम को कुरबानी का बकरा बनाया गया ताकि घोटाले सम्बन्ध अन्य व्यक्ति बच सकें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने 9 सितम्बर, 1974 को एक स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जांच पूरी होने के बाद सरकार सब से पहले इस सदन के सामने आकर यह कहेगी कि इस मामले में हम यहां पहुंचे हैं और यह कि अब हम क्या करें।

मैं गृह मंत्री का ध्यान माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट विचारों की ओर दिलाना चाहता हूँ। यदि आपने कोई वक्तव्य तयार किया है तो उसमें संशोधन कर लें।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : यदि आप अनुमति दे तो मैं 5 बजे अपना वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रख जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पैट्रोलियम उत्पादन (खुदरा व्यापारियों को सप्लाइ का विनियमन) आदेश, 1974

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पट्रोलियम उत्पादन (खुदरा व्यापारियों को सप्लाई का विनियमन) आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 18 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 396(ड) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8445/74)]

परिसीमिन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिंदी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ :—

(1) हरियाणा राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 22 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 535(ड) में प्रकाशित हुआ था।

(2) राजस्थान राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 23 जो दिनांक 4 अक्तूबर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 587(ड) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 8446/74]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें लागत लेखा अभिलेख (चीनी) नियम 1974 तथा प्रतिवेदन आदि

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1974, जो दिनांक 7 सितम्बर, 1974 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1016 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (दूसरा संशोधन) नियम, 1974, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1017 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 8447/74]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखा अभिलेख (चीनी) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 982 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8448/74]**

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार व्यापारिक आयोग के 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 की अवधि के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8449/74]**

(दो) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के 1 जनवरी 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 की अवधि के कार्यकरण तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8450/74]**

(4) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21(3)(ख) अन्तर्गत मैसर्स विद्युत मेटैलिक्स (प्रोप० पनामा प्राइवेट लिमिटेड) कलकत्ता के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 16 जुलाई, 1973 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(दो) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत मैसर्स टी० वी० सुन्दरम आयंगर एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड मदुरे के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(तीन) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत मैसर्स कामनोट्यूबस् प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 28 1974 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(चार) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21(3)(ख) के अन्तर्गत मेसर्स ग्वालियर रेयन, सिल्क मैनुफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा (मध्य प्रदेश) के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 3 मई, 1974 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(पांच) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23(6) के अन्तर्गत मैसर्स मैकनील एण्ड बैरी लिमिटेड, कलकत्ता के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 19 फरवरी, 1973 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(5) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा 20 अगस्त, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 413 के अनुपूरक प्रश्न के दौरान दिये गये आश्वासन के अनुसरण में अवरोधक व्यापारिक व्यवहार करने के दोषी पाये गये व्यक्तियों पर अभियोग के बारे में एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8450/74]

भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अन्तर्गत रेलवे रैड टैरिफ (छटा संशोधन) नियम, 1974

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेलवे रैड टैरिफ (छटा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 28 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 1060 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8451/74]

Shri Janeshwar Mishra : Sir, I have given a notice on item no. 5 It is very important.

Mr. Speaker : It may be discussed when that issue comes up.

Shri Janeshwar Mishra : Accidents take place and people die but Ministers do not bother. Therefore, first of all the Railway Minister should tender his resignation. They should not be allowed to place this item.

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश में गंभीर विद्युत संकट

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में कथित गम्भीर विद्युत संकट, जिसका उद्योगों और कृषि पर विपरीत प्रभाव पड रहा है"

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : देश के विभिन्न भागों में 1972-73 में विद्युत की गम्भीर कमी अनुभव की गई थी । कमी की स्थिति 1973-74 में भी जारी रही और

उत्तर प्रदेश तामिलनाडु पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में विद्युत के उपभोग पर विशिष्ट प्रतिबंध लागू करने पडे। इस परिस्थिति का मुख्य कारण चौथी योजना के दौरान उत्पादन क्षमता में होने वाली वृद्धियो में कमी होना था। मानसून के अभाव के कारण कुछ जल विद्युत जलाशयों में जल की कम उपलब्धता होने के परिणाम स्वरूप स्थिति और भी बिगड गई थी। यह स्वीकार किया गया कि तापीय केन्द्रों से उत्पादन को उच्चतम सीमा तक बढाकर और जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा था, उन्हें शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करके कमी की स्थिति में थोडे समय में सुधार किया जा सकता है ।

मैंने उत्पादन को अधिकतम करने तथा विद्युत की कमी को न्यूनतम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्यों के सिचाई और विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए विभिन्न निर्णयों को पिछले अधिवेशन में सदन के सम्मुख रख दिया है । हम इन निर्णयों का कार्यान्वयन और तापीय उत्पादन परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन तथा राज्यों में कार्यान्वित की जा रही नयी स्कीमों की प्रगति का पर्यवेक्षण कर रहे है। हमने पिछले सप्ताह में सभी राज्यों के बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के साथ उनके कार्य निष्पादन और प्रभावी उत्पादन कार्यक्रमों की प्रगति का पुनरवलोकन करने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया था। उस विचार-विमर्श के परिणाम स्वरूप जो तसवीर सामने आई है, वह इस प्रकार है :–

कुछ महीने पहले तक पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन में कमी और विद्युत प्रदाय में विभंग सर्वाधिक हुआ था। मुझे अब सदन को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि दामोदर घाटी निगम सहित पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में विद्युत की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है । पहली अक्तबर से दामोदर घाटी निगम ने विद्युत के उपभोग पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए है और घाटो में विद्युत की सारी मांग पूरी की जा रही है । दामोदर घाटी निगम इस समय पश्चिम बंगाल को लगभग 100 मैगावाट विद्युत सप्लाई कर रहा है। यद्यपि उस पर ऐसा करने की कोई संविदात्मक जिम्मेदारी नहीं है । इसमें पश्चिम बंगाल के संतालडीह केन्द्र का कुछ उत्पादन सम्मिलित है, जो इस समय दामोदर घाटी निगम प्रणाली को पोषित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश को बिहार प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन 2 मिलियन यनिट विद्युत सप्लाई की जा रही है, और हाल में, उडीसा में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण रूरकेला इस्पात संयंत्र को 20 से 25 मे० वा० तक विद्युत सप्लाई की जा रही है । पश्चिम बंगाल में इस वर्ष अगस्त में एक राशनिंग स्कीम लागू की गई थी और यह स्कीम बहुत संतोषजनक ढंग से चल रही है। सामान्यतया अब लोड शैडिंग की आवश्यकता नहीं रही है । वास्तव में पश्चिम बंगाल में रात्रि के समय में अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध है और यदि श्रमिक तथा प्रबंधक मांग को नियंत्रण में रखने के लिए उद्दिष्ट उपायों को कार्यान्वित करने में सहयोग दें तो राज्य में औद्योगिक उत्पादन और अधिक बढ सकता है ।

बिहार में पिछले छः मास के दौरान विद्युत का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 6 प्रतिशत अधिक रहा है । उडीसा में मानसून के अभाव के कारण, हीराकूड, बलिमेला और मचकूड की जल विद्युत परियोजनाओं में उनके सामान्य ऊर्जा उत्पादन के केवल 35 प्रतिशत भाग के उत्पादन के लिए ही जल उपलब्ध है। तालचर तापीय केन्द्र से गत वर्ष की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक उत्पादन होने के बावजूद उडीसा को अक्तूबर के पखवाडे दूसरे से विद्युत पर काफी कटोती लागू करनी पडी है परंतु कृषि संबंधी लोडों को इससे छूट गई है ।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

दक्षिणी क्षेत्र में केरल के पास अतिरिक्त विद्युत है जबकि तमिलनाडु में पिछले कुछ महिनों के दौरान विद्युत की कोई कटौती नही की गई है। बहरहाल, तमिलनाडु आगामी महिनों के लिए स्थिति का पुनवरलोकन कर रहा है। यद्यपि आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष ताप विद्युत का उत्पादन अधिक हो रहा है, फिर भी वहां 20 प्रतिशत की कमी है। बहरहाल, कोटा निश्चित करने तथा वर्गीकृत दरों के न्यायसंगत और मिले-जुले प्रयोग द्वारा स्थिति को भली प्रकार काबू में रखा जा रहा है। कनाटक में वर्गीकृत प्राथमिकता प्रणाली के आधार पर 35% तक कटौती लागू की गई है कृषि सम्बन्धी लोडों तथा छोटे घरेलु उपभोक्ताओं को इस कटौती से छूट दी गई है।

पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा मध्य प्रदेश में कोई बिजली की कटौती लागू नही है। महाराष्ट्र में इस वर्ष मान्सून अपर्याप्त रहा तथा जल-विद्युत शक्यता पिछले वर्ष से कमी रही इसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में कृषि सम्बन्धी लोडों तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को छोड़कर अन्य लोडों पर 4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की बिजली की कटौती लागू करनी पड़ी।

बिजली की कमी के सन्दर्भ में, उत्तरी क्षेत्र पर सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ा। मुख्य रूप से प्रभावित, राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हैं। पंजाब और हरियाणा लगभग पूर्ण रूप से भाकड़ा परियोजना से विद्युत सप्लाई पर निर्भर करते हैं। इस वर्ष, भाखड़ा में पानी के अन्तर्भाव में गम्भीर कमी रही और इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष जो कि अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन का वर्ष था, के वास्तविक उत्पादन का केवल 60 प्रतिशत ऊर्जा ही उपलब्ध हो पाई है। इसके कारण दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को भाखड़ा प्रणाली से ऊर्जा की कम सप्लाई हुई है। दिल्ली में कोई समस्या नही है, क्योंकि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के तापीय केन्द्र के उत्पादन में विशेष रूप से सुधार हुआ है। हरियाणा और पंजाब में स्थिति कठिन बनी हुई है। इन दो राज्यों के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकल प्रभाव पड़ा है। बहरहाल कृषि सम्बन्धि उपभाक्ताओं को, विशेषकर खरीफ मोसम के दौरान वर्षा के अभाव में, प्राथमिकता देकर, फसलों को बचाने के लिए विशेष उपाय किए गए थे। बदरपुर विद्युत केन्द्र से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को विद्युत सप्लाई की जा रही है। इन तीनों राज्यो की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए दिल्ली में और लोड-शैन्डिग की गई। पंजाब में भटिंडा परियोजना चालू हो गई है, जबकि फरिदाबाद तापीय केन्द्र के प्रथम यूनिट के दो या तीन दिनो में चालू हो जाने की सम्भावना है। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में दो यूनिट कार्य कर रहे हैं और तीसरे यूनिट के अगले महीने में चालु हो जाने की प्रत्याशा है। राजस्थान के पास कुछ अतिरिक्त विद्युत है परन्तु अभी तक इस बाहर सप्लाई करना सम्भव नही हो पाया। राजस्थान और भाखड़ा प्रणालियों का प्रयोगात्मक समानान्तर प्रचालन हाल में किया गया ताकि राजस्थान से कमी वाले राज्यों को बिजली दी जा सके। इसके परिणाम सन्तोषजनक थे, परन्तु इन दो प्रणालियो के संतत समान्तर प्रचालन के लिए कुछ तकनीकी पहलुओं की जांच करनी होगी। आशा है कि इन उपायों से भाखड़ा के उत्पादन में हुई कमी पूरी हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में स्थिति अत्यधिक कठिन बनी हुई है। यह रिहन्द वाहक्षेत्र मे मानसून के लगातार अभाव और नई परियोजनाओ के चालू होने में देरी होने के कारण है। इस वर्ष रिहन्द से ऊर्जा की उपलभ्यता पिछले वर्ष से भी कमी होगी। बहरहाल, राज्य के वर्तमान विद्युत केन्द्रों में ताप-विद्युत के उत्पादन में सुधार हुआ है। अप्रैल-अक्तूबर 1974 में तापीय केन्द्रो में उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 340 मिलियन यूनिट अधिक था। वास्तव में, पिछले तीन महीनों के दौरान उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर की अपेक्षा 45 प्रतिशत अधिक रहा है। इस बढ़ हुए ताप-विद्युत के उत्पादन से इस वर्ष जल-विद्युत केन्द्रों से उपलब्धता में हुई कमी पूरी हो गई है। दामोदर घाटी निगम की बिहार प्रणाली और बदरपुर से भी उत्तर प्रदेश को विद्युत की सप्लाई अब काफी अधिक हो रही है। इसके परिणामस्वरूप, प्रदेश की स्थिति में पिछली तिमाही में कुछ सुधार हुआ है और कोई नया विद्युत संकट उत्पन्न नही हुआ है।

इस वर्ष उत्पादन क्षमता में अब तक लगभग 700 मैगावाट की वृद्धि हुई है। तापीय केन्द्रों के निष्पादन में विशेषकर पिछले 2-3 महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक विद्युत उपलब्ध हुई है। अत: यह कहना सही नहीं होगा कि देश में हाल ही में कोई विद्युत संकट पैदा हुआ है। यह मंत्रालय विद्युत की कमी को कम करने के लिए विभिन्न आवश्यक उपायों के कार्यान्वयन का ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण कर रहा है। जोरदार प्रयत्न किए जाते रहेंगे और हमें यह आशा है कि अगले कुछ महीनों में उत्पादन में वृद्धि करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और विद्युत की उपलब्धता में सुधार होता रहेगा।

श्री **एस० एम० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है :--

"इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की स्थिति में पिछली तिमाही में कुछ सुधार हुआ है और कोई नया विद्युत संकट पैदा नहीं हुआ है।"

मुझे विश्वास है कि वे समाचार पत्र पढते होंगे, उत्तर प्रदेश में अनेक मिले बंद होने की स्थिति में है, लगभग 1,50,000 कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दे दी गई है। अब एम्प्लायर एसोसिएशन आफ नार्दन इंडिया ने भी कहा है कि विद्युत संकट के कारण उन कर्मचारियों को, जिन्ह जबरन छुट्टी दे दी गई है, मुआवजा नहीं दिया जायेगा, उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त को भी अन्य स्थानों से इसी प्रकार के नोटिस मिले है, कपडा उद्योग में 20,000 से 25,000 कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दे दी गई है, दो कपडा मिले बंद होने की स्थिति मे है, कई मिलों में एक पारी में ही काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी लघु उद्योग बंद होने की स्थिति में है, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आदि अन्य संगठनों ने निर्णय किया है कि यदि नियोक्ताओं ने जबरन छुट्टी का मुआवजा न दिया तो वे हडताल करेंगे, कर्मचारियों ने भी निर्णय किया है, कि यदि उन्हें मुआवजा न दिया गया तो वे अन्तिम सांस तक लड़ेंगे।

मंत्री महोदय कहते है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति सुधरी है, यह स्थिति कहां सुधरी है? वहां कारखानों के छह दिनों के बजाय पांच दिन काम लिया जा रहा है। उन्हें पांच दिन का वेतन दिया जाता है परन्तु काम छह दिनों का लिया जाता है।

हरियाना में प्राय: सभी कारखाने बंद पडे है, यही स्थिति लुधियाना, जालन्दर, आदि अन्य स्थानों की है, मैं जानना चाहता हुं कि वे इतने वर्षो से क्या कर रहे थे? क्या व यह आश्वासन देंगे कि उत्तर प्रदेश को अपेक्षित बिजली दी जाएगी? क्या निकट भविष्य में यह स्थिति सुधरेगी अथवा हमें प्रकृति पर ही निर्भर रहना पडेगा?

रिहंद बांध का निर्माण बिडला बंधुओं के लाभ के लिए किया गया है, अंग्रेजो के राज्य के समय कुछ व्यक्ति उस स्थान का उपयोग शिकार और पिकनीक के लिए करना चाहत थ, इसलिए बांध का निर्माण किया गया, बिडला ने उस क्षेत्र में ऐल्युमिनियम का काररखाना लगाया और उन्हें सस्ते में बिजली दी जा रही है।

क्या मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को यह अनुदेश देंगे कि वह कामगारों को जबरन छुट्टी करने का मुआवजा दिलाने का आश्वासन दें। क्या उत्तर प्रदेश को अन्य स्थानों से बिजली दी जाएगी और क्या पश्चिम बंगाल में मजदूरों को पांच दिन काम करने के कारण मजूरी के रूप में होने वाली हानि का मुआवजा दिया जायेगा? मैं जानना चाहता हूं कि कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं ने इस बारे में अपने वक्तव्य में कुछ आंकडे दिए है, अगस्त 1973 में तापीय विद्युत उत्पादन 300 था और अगस्त 1974 में यह 374 था।

[श्री कृष्ण चंद्र पन्त]

1973 में अन्य राज्यों से लाई गई बिजली 37 थी और 1974 में यह 34 थीं। 1974 में बिजली की कुल उपलब्धता 548 थी जबकि 1973 में यह 515 थी। तापीय विद्युत उत्पादन 1973 में 255 से बढकर 1974 में 422 हो गया, इस दिशा में सुधार ही हुआ है, पन बिजली की तुलना में तापीय बिजली के अधिक उत्पादित होने का कारण यह है कि वर्षा की कमी के कारण पर बिजली कम पैदा हुई है, रिहंद बांध को बनाते समय प्रतिवर्ष 875 मैगावाट युनिट बिजली उत्पादित करने का उद्देश्य रखा गया था और प्रति वर्ष औसतन 780 मैगावेट बिजली पैदा होती है, बिडला को इस समय विद्युत उत्पादन एककों से बहुत कम बिजली दी जाती है।

मैं रिरोलिंग मिलों की कठिनाई को समझता हूं, परन्तु प्राथमिकता निर्धारित करना और विभिन्न प्रयोक्ताओं को बिजली की सप्लाई करना राज्य सरकार का कार्य है। मेरे लिए यह निर्धारित करना कठिन है कि किसी राज्य में कौन से उद्योग आदि को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रश्न यह है कि हम उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली दे सकते है। हमने गत खरीफ फसल के दौरान दिल्ली के बदरपूर बिजली घर से बिजली उत्तर प्रदेश को दी है, इसके लिए दिल्ली में बिजली की कटौती करनी पडी थी। रबी फसल के दौरान दुबारा दिल्ली के बदरपुर बिजली घर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बिजली दी जा रही है, हम इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रहे है, उत्तर प्रदेश को बिहार, दामोदर घाटी योजना से भी बिजली मिल रही है; उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए तापीय विद्युत केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उत्तर प्रदेश में एम्पलायरस एसोसिएशन आफ नार्दन इंडिया ने कामगारों को जबरन छुट्टी का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है जिसके कारण कामगारों को कठिनाई का सामना करना पड रहा है अतएव क्या वे मुआवजा दिलाने के लिए मुख्य मंत्री से कहेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह मामला मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। आप श्रम मंत्रालय के पास इस मामले को उठायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोदक

श्री विजय मोडक (हुगली) : स्वतंत्रता पश्चात से ही दोषपूर्ण योजना का अनुसरण करने के कारण बिजली का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है, इससे कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अब तक बिजली उत्पादन पर अधिक जोर नहीं दिया जाता रहा है, विवरण में आशाजनक तस्वीर नजर नहीं आती है। पूर्वी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन तथा वितरण संतोषजनक नहीं रहा है, वास्तव में दामोदर घाटी निगम 100 मेगावाट बिजली की सप्लाई नही कर रहा है जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है। दूसरे वर्तमान ग्रिड सिस्टम के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम बिजली सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है, क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे?

राशन की व्यवस्था लागू करने के बाद भी पश्चिम बंगाल मे बिजली का गंभीर संकट है, वहां इसके कारण मिलों में केवल पांच दिन ही काम हो रहा है, समूचे राज्य में प्रबंधकों और कामगारों में विवाद चल रहा है, कामगारों को जबरन छुटटी दी गई है, मैं जानना चाहता हूं कि वहां गत छह महीनों के दौरान कुल कितने कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दी गई तथा उत्पादन कितना कम हुआ। बंदल तापीय बिजली घर को अच्छे किस्म का कोयला दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल म बिजली की कमी की समस्या का किस प्रकार समाधान किया जायेगा?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ समय से पूर्वी क्षेत्र में बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कलकत्ता में भी ऐसी कठिनाई आई थी परन्तु वहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब वहां बिजली का संकट नहीं है, कुछ महीने पूर्व दामोदर घाटी निगम कलकत्ता को 40 मगावाट बिजली प्रतिदिन भेज रहा था जब कि कलकत्ता की मांग 75 मेगावाट थी। आज दामोदर घाटी निगम 75 मेगावाट से अधिक बिजली भेजने की स्थिति में है। संतलदाह-कलकत्ता लाइन के पूरा हो जाने के पश्चात कलकत्ता में बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। जब मैं फालतू बिजली की बात करता हूं तो मेरा तात्पर्य रात में फालतू होने वाली बिजली से है। यदि औद्योगिक उत्पादन रात मे भी आरम्भ किया जाये तो काफी लाभ हो सकता है और बिजली की समस्या भी हल हो सकती है।

Shri Mool Chand Daga (Pali) : Crores of rupees have been spent for the generation of power. But what have we achieved? The Per Capita power consumption in the world is 12,00 KW. Whereas in our country it is less then 93 K.W. Farmers are not getting power to run tube wells. The employees' Association has declared that they would not pay the lay off compensation. A National Power Policy should be evolved. The Estimates Committee had recommended several times that such policy should be formulated for the distribution of Power. There is mess in the whole work regarding distribution of power. I want to know when India will become self sufficient in the matter of Power? When the imbalances will be removed? When the thermal power station or Atomic Power Station will start functioning in Rajasthan ?

Shri K. C. Pant : We could not achieve the generation capacity during fourth plan period. That is why difficulties have come up. We will see that we complete the schemes earmarked in fifth plan in time. Since, 1950, the power generation capacity has increased considerably. The power situation in Rajasthan and Kerala is satisfactory. Today, we have five regional grids which are interconnected. Gradually we are moving towards a national grid. I agree that there should be a National Power Policy. The Thermal Station at Kota is not included in the fifth Plan.

Shri Hari Singh (Khurja) : Today India is facing acute power shortage. Rabi season is going but the farmers are not getting power. Tubewells are not running. The reason for this is that the distribution and storing systems are not working properly. Much power is wasted in transmission and mechanical process.

The agricultural season is in full swing now-a-days and power is badly required by farmers. The surplus power available with some of the States shoud be obtained and provided to farmers on priority basis. If immediate attention is not paid to this issue we will have to import more wheat from foreign countries.

Now-a-days, in India, power is being generated from water resources but this system is not proving much beneficial. I think we should gradually switch-over to thermal system of generating power. The Narora atomic power station is being constructed at a snail's pace. Its construction should be expedited and special attention should be given to it in view of the power shortage.

A sum of 40 crores of rupees is required by Uttar Pradesh Government for the execution of power schemes. A number of schemes, including Narora Power Scheme, are held up for want of funds. May I know when and how much funds would be made available to the State Government.

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant) : The issue regarding the theft of power and transmission loss was discussed with the Chairman of State Electricity Boards and Ministers and they were asked to observe strict vigilance about it. They had assured of some technical action in this regard soon. As regards the supply of power to farmers on priority basis, I am in full agreement with the hon. Member that power should be made available to them for 'Kharif' crops. As a matter of fact, electricity is being given to the farmers of U.P., Punjab and Haryaana for agricultureal purposes.

[Shri K.C. Pant]

In our country, 40 per cent power is generated from hydel and in many States it is cheaper to generate the same. We make good use of hydel as well as thermal systems according to our requirements.

Regarding the work of Narora, I must submit that it is going on quite smoothly and no complaint regarding any interruption in the work has been received. This is another thing that work is going at a gradual speed.

Mr. Speaker : Please do say something about Thien project of Punjab.

Shri K. C. Pant : The negotiations are going on between the state and the Centre regarding the contribution of Centre and BHEL. Some steps have been taken in this direction.

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : The biggest problem of U.P. is that of agriculturists. The power is being supplied for 6 hours and if supply of water starts at one moment, it is discontinued the other moment. A good number of transformers which are lying burnt, have not been repaired. Now when the season of sowing Kharif Crop is at hand, the power supply for only 6 hours is quite insufficient.

There is a lot of corruption in the electricity department. Despite numerous letters, even the minor repairs of electricity lines are not undertaken. Though there are no Rolling Mills in the State, power is not being supplied even to ordinary small industries. The retrenchment of labour in the industries is not only leading to the problem of unemployment but a law and order problem is also created thereby. Serious attention should be given to it.

Lastly, I want to submit that the big industrialists who are given 68 per cent of power, should be forced to install their own generator sets and that way power should be saved for small industries.

Shri K. C. Pant : The power supply for agriculture was 7 hours in the month of August but in the month of September, it was increased to 12 hours. It was again curtailed to six hours in month of October but from 4th November, it has again been increased to 12 hours for Rabi Crops.

The sum and substance of all other points raised by hon. Member is that power generation should be increased as all our industrial and agricultural output depents upon power. I am grateful to the hon. Member for the ponts raised by him. I have noted down the suggestions made by him regarding supply of power to big industrialists.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिती

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

46 वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशाली जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 46 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होते है और 3 बजे म० प० पर पुनः समवेत होंगे ।

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा तीन बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past fifteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मैं आप का ध्यान इस ओर आकृष्ठ करना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय में यह याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम को चुनौती दी गई है । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों की चार फीस्ते बकाया हो गई है । मेरा निवेदन है कि उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय से पूर्व ही वित्त मंत्री को इसके बारे में वक्तव्य देना चाहिये ।

नौसेना (संशोधन) विधेयक
NAVY (AMENDMENT) BILL

खण्ड 1

संशोधन किया गया
Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,–

"1973" के स्थान पर "1974" प्रतिस्थापित किया जाये । (संख्या 2)

(श्री जे० बी० पटनायक)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र
संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"Twenty fourth" (24 वां) के स्थान पर "Twenty-fifth" (25 वां) प्रतिस्थापित किया जाये । (संख्या 1)

(श्री जे० बी० पटनायक)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

10—36 L.S.S./74

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

The Enacting formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम भी विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

The Long title also was added to the Bill.

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधितरूप में, पारित किया जाये ।"

श्री पी० के० देव (कालाहंडी) : विधेयक के इस तृतीय वाचन के समय मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं क्योंकि प्रथम और द्वितीय वाचन के समय मे मुझे अवसर नहीं मिल पाया । हम सभी चाहते हैं कि नौसेना के बारे में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायें क्योंकि नौसेना का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक तथा विस्तृत है । हमारी समुद्री सीमा 3500 मील तक फैली हुई है जोकि हमारी स्थल सीमा से दुगुनी है । आज दियागो गार्शिया में अमरिका द्वारा सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है । अतः इन तथ्यो के सन्दर्भ में, मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा नौसेना की व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या किया जा रहा है ।

हिन्द महासागर का सामरिक महत्व है । जहां तक व्यापारिक नौवहन का सम्बन्ध है, आगामी पंचवर्षीय योजना में व्यापारिक नौवहन का टन भार दुगुना होने वाला है । जहां तक आइसलैण्ड का सम्बन्ध है, उसने समुद्री सीमा के परिसीमन के सम्बन्ध में राष्ट्रवादी रवैया अपनाया है । नौसेना विधेयक में यद्यपि अच्छे उपायों का उल्लेख है, फिर भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । नौसेना में 'मास्टर चीफ पैटी आफिसर्स' के कार्य कमीशन प्राप्त अधिकारियों से मिलता जुलता है परन्तु फिर भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की परम्परा का पालन करते हुए उन्हें कम वेतन दिया जाता है । मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या उनको कमीशन प्राप्त अधिकारियों के समान वेतन दिया जाएगा ?

नौसेना में देशद्रोहियों के लिए कानून की व्यवस्था है । यदि दो अधिकारी एक साथ मिलकर अपने कष्टों का निवारण कराना चाहें, तो उनके कार्य को देशद्रोह कहा जाएगा । मेरा सुझाव है कि उनके कष्टों को दूर करने के लिए तथा उनकी सेवा शर्तों को सुधारने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए ।

तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन को देखकर सशस्त्र सैनिकों को बहुत निराशा हुई है । उनकी सेवा शर्तों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है । विधेयक मे जज-एंडवोकेट जनरल की नियुक्ति के लिए मानदंड दिया गया है । इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि इस नियुक्ति में कदाचार नहीं होना चाहिए । हम रक्षा सैनिकों के बारे में केवल युद्ध के समय ध्यान देते है । शांन्ति के समय हम उनके बारे में नहीं सोचते ।

एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमें अपने युद्ध पोतों का आधुनिकीकरण करना चाहिए ।

हमारे विध्वंसक पोत अब पुराने हो चुके हैं । इसी लिए शीघ्र ही हमें नए पोत तैयार करने चाहिए और यह काम पारादीप पत्तन में किया जाना चाहिए । उड़ीसा में एक नए पत्तन की स्थापना की जानी चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। श्री पी० के० देव ने केवल आयातित युद्ध पोतों का उल्लेख किया है। और स्वदेशी पोतों का नाम नहीं लिया जब कि सच यह है कि हमारे नौसैनिक अधिकारियों ने स्वदेशी पोतों से ही पाकिस्तान से युद्ध जीता है। वेतन आयोग ने सशस्त्र सनिकों के साथ अन्याय किया है। मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं चाहता हूँ कि "पैटी आफिसर्स' नाम बदल देना चाहिए क्योंकि यह नाम ओछा लगता है। देश के प्रत्येक नागरिक को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, रक्षा सैनिकों को असनिकों की अपेक्षा अधिक वतन देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए वे अपना बलिदान दे देते है।

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : नौसेना के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए है। "पैटी आफिसर्ज" का अर्थ यह नहीं है कि वे ओछे हैं। उनका काय बहूत जिम्मेदारी का है। जहाँ तक 'मास्टर चीफ पैटी आफिसर्स' का सम्बन्ध है, उनका वेतन बढाया जा चुका है।

जहां तक 'देशद्रोह' का सम्बन्ध है नौसना अधिनियम में पहले ही उसकी व्यवस्था की गई है। जहां तक कष्टों के निवारण का सम्बन्ध है, नौसेना अधिनियम की धारा 23 में इसकी व्यवस्था की गई हैं। अधिकारी अपनी शिकायत केन्द्रीय सरकार को भेज सकता। और सरकार उस पर निर्णय कर सकती है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन से सशस्त्र सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया है। परन्तु यह सच नहीं है। अधिकारियों के वेतन मानों में सुधार किया जा चुका है।

जहां तक 'जज-एडवोकेट जनरल' की नियुक्ति का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले की जांच करूंगा। परन्तु वर्तमान संशोधन में अधिकारियों के लिए सुविधाए प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारतीय रक्षा संकर्म (संशोधन) विधेयक

INDIAN WORKS OF DEFENCE (AMENDMENT) BILL

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि भारतीय रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 का और संशोधन करनेवाल विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए"

यह अधिनियम मार्च, 1903 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य रक्षा कार्यों को यथा-सम्भव सुरक्षित बनाना था और इसी उद्देश की पूर्ति के लिए रक्षा-कार्यों में लगी हुई भमि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे। यह व्यबस्था अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत की गई थी और इस व्यवस्था को लागू करन का अधिकार कलक्टर अथवा अधिकारी को

[श्री ज० बी० पटनायक]

दिया गया। यदि उसके पास न्यायिक अधिकारी होते तो मामला पुलिस आयुक्तों को भेज दिया जाता है। इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि जहां कहीं ऐसे पद सृजित किए जाते है, वहां कलक्टर पुलिस आयुक्त को मामला भेजेगा।

दो संशोधन और भी प्रस्तुत किए गए है। पहला यह कि विधेयक के नाम में से 'भारतीय' शब्द हटा दिया जाए।

अधिनियम की धारा 44 में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार को अधिनियम को लागू करने से सम्बन्धित सभी मामलों में अधिकारियों के मार्ग-दर्शन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। अब ऐसे सभी नियम संसद के दोनों सदनों में रखे जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक के खंड 1 में विधेयक का नाम 'भारतीय' शब्द से शुरू होता है, आपने कहा कि यह 'शब्द' हटा दिया गया है परन्तु देखने मे ऐसा नही आया है।

मेरे विचार में विधेयक का उद्देश्य कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के अतिरिक्त सभी शहरों के पुलिस आयुक्तों को इन उपबन्धों को लागू करने का अधिकार देना है।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : I do not rise to oppose the Bill. But I think that instead of bringing peacemeal amendments, Government should have brought a Comprehensive Bill. This amendment has been brought forward in the wake of enquiry conducted in regard to land given to Maruti Company in an illegal way.

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय से बाहर जा रहे है। चर्चा का विषय प्रतिबन्धों को लागू करने के लिए कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के पुलिस आयुक्तों को अधिकार देना है।

Shri Mohammad Ismail : In Calcutta, thousands of houses were constructed on Defence Land and it is unknown who are the owners of these houses. I had written a letter to Shri Jagjivan Ram in this connection. Only then Rent Control Act was implemented there.

There are many bighas of land in Ban Hugli, the title of which is still unknown. Government have done nothing in this connection.

I would request the hon. Minister to see that surplus land is distributed among peasants and landless labours and underground transactions are checked. Report of the enquiry should also be laid on the Table of the House.

Defence Department has become the hot bed of corruption. In Ishapur factory, truck loads of brass are being stolen and sold away in the Market. If any employee lodges a complaint, he has to suffer suspension. The hon. Minister should take all necessary steps to check these thefts and should take special interest to see that such malpractices are checked without delay.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रकट किए गए विचारों का समर्थन करता हूं। कानपुर में रक्षा कार्यों संबंधी चार कारखाने है, जिसमें लगभग 35,000 कर्मचारी काम करते है। रक्षा मंत्रालय ने काफी भूमि अपने कब्जे में ले रखी है। यह भूमि सिंचाई कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। यह मामला 1958 में सरकार के ध्यान में लाया गया था और तब रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री ने आश्वासन दिया था कि छावनी अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों में संशोधन करने के लिए विस्तृत विधान लाया जाएगा। तत्कालीन रक्षा मंत्री, श्री जगजीवनराम, ने हाल में एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन पर

क्या कार्यवाही की गई है? मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह छावनी अधिनियम के उपबन्धों पर पुन: विचार करें क्यों कि रक्षा कारखानों को अधिक भूमि नहीं दी जा सकती जब कि हमारे देश में काफी किसान और भूमिहीन कृषक है। इस भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में बांट देना चाहिए। रक्षा मंत्रालय को देश के हित में त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अम्बाझरी में भी भूमि का काफी हिस्सा रक्षा विभाग के कब्जे में है। देश में खाद्यान्न की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह भूमि कृषि कार्यों के लिए दे देनी चाहिए।

आयुध डिपुओं में काम करने वाले रक्षा कर्मचारियों के पास क्वार्टर नहीं है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

मंत्री महोदय को एक विस्तृत विधेयक लाना चाहिए जिसमें रक्षा परियोजनाओं के स्वरूप को बदलने तथा रक्षा विभाग के पास पडी फालतू भूमि को सिंचाई कार्यों के लिए उपलब्ध कराने तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था हो।

मंत्री महोदय को इन मामलों पर प्रकाश डालना चाहिए। सच तो यह है कि जब भी कोई मंत्री ईमानदारी से तथा एकाग्रचित्त होकर किसी विषय पर विचार कर रहा होता है तों उसका स्थानान्तरण किसी अन्य मंत्रालय में कर दिया जाता है। पता नही यह स्थानान्तर कब समाप्त होगा? मैं इस विधेयक का समर्थन करता हुं परन्तु साथ ही मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे सुझावों पर विचार करें।

Shri R. R. Sharma (Banda) : The Bill is a peacemeal measure and will hardly serve any purpose. A Comprehensive Bill should be brought forward.

In the Act of 1903, safeguards were provided to avoid unauthorised occupation of Defence Land. I would like to know how many cases have been registered against the persons who have occupied such land in an unauthorised way. Legislation is nothing unless it is implemented.

The objective could have been achieved in 1965 itself when an amendment to the Act was passed. But that was not done at that time. This Bill have still some flows which needed to be looked into.

There has been large scale trespassing on the Defence and Government lands. Government should take necessary steps so that this unauthorised occupation of the Defence land is avoided.

I again request Government to introduce a comprehensive Bill early.

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरी) : मंत्री महोदय ने इसे एक छोटा सा विधेयक कहा है। लेकिन मूल अधिनियम के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप लोगों को अनगिन्नत समस्याओं का सामना करना पड रहा है।

विधेयक के खंड 4 के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने में असामान्य विलम्ब किया जा रहा है। यदि विधान लागू होने के बहुत बाद नियम बनाये जाएंगे तो अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी शक्ति से बाहर कार्य करने की सम्भावना रहेगी। यही नहीं, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति जब तक नियमों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देगी तब तक सरकार नियमों को लागू कर चुकी होगी, चाहे वे नियम कितने ही दोषपूर्ण क्यों न हों।

* तामिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपांतर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री जे० माता गौडर]

मंत्री महोदय आश्वासन दें कि नियमों को बहुत जल्दी बनाया जाएगा और उन्हें दोनों सदन के सभा पटलों पर रखा जाएगा। तभी प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रत्यायोजित विधान का महत्व होगा।

नीलगिरि की विलिंग्डन छावनी में कई असैनिक रहते है परन्तु बडे ही दुःख की बात है कि उन्हें मूल सुविधाए प्राप्त नहीं है। छावनी बोर्ड प्राधिकारीयों के साथ कई बार यह मामला उठाया गया। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस मानवीय समस्या पर विचार करें और शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करें।

विलिंग्डन के छावनी क्षेत्र में अंग्रेजों ने ग्रामीणों से 11 वर्षीय पट्टे पर भूमि ली थी। अब यह अवधि समाप्त हो गयी है। ग्रामीण अपनी भूमि वापिस मांग रही है। मंत्री महोदय को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही फालतू भूमि को भी कृषि कार्यों के लिए दे दिया जाना चाहिए। इससे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढेगा। यदि छावनी प्राधिकारी स्थानीय लोगों को यह भूमि नहीं देना चाहते तो उन्हें स्वयं खती करानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी।

नीलगिरि स्थित कारडाईट फैक्टरी ने बारुद तैयार किया जाता है। यह फैक्टरी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। इस फैक्टरी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। परन्तु दुःख की बात है कि सरकार इसका विस्तार करने की बजाय इसे उत्तरी भागों में अन्तरित कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को देश के छावनी क्षेत्रों के लिए एक भूमि संबंधी व्यापक नीति बनानी चाहिए।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I would like to give some suggestions about this amendment.

There are two cantonment boards at Jhansi and Babina in my constituency. Land was acquired in 17 or 18 villages but villagers were neither given land nor compensation for their land. The present Cantonment Act which is outdated and it should be amended.

Jhansi Cantonment Board is in a very bad condition. A new law should be framed so that new houses could be construated and sanitory services could be provided.

Shri Jaheeshwar Mishra (Allahabad) : This Bill if passed will prove to be useless. This Bill has no importance if it seeks to dismantle the huts of the poor near the cantonment boards.

The Saddar Bazar colonies adjoining cantonments are not generally provided with the satisfactory sanitary services by the cantonment authorities. This bill should provide for the canstruction of roads and satisfactory sanitary services in such civil colonies.

The land belonging to the Cantonment Boards is lying barren for the last so many years. This land could very well be allotted to the needy sectors of the society like Harijans and landless people and utilise for agricultural purposes at a time when we are facing food crisis. I suggest that this land should be allotted among the Harijans, landless persons and families of the ex-servicemen who died on active duty.

There is one furlong long track at Chhiunki defence depot which has been taken over by the PWD but the Defence Ministry is neither attending to the repair of this track nor permitting the PWD to repair it. This type of rigid stand being adopted by the Defence Deptt. is not in the national interest.

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। रक्षा विभाग के अधीन भूमि के बारे कुछ भ्रम पैदा हुआ है। कैन्टोनमेंट भूमि के बारे बहुत शीघ्र इस सदन में एक विधेयक लाया जा रहा है।

रक्षा संबंधी निर्माण कार्यों के लिये सुरक्षा का होना जरूरी है। इस विधेयक का उद्देश्य क्लक्टरों को इस सम्बन्ध में आवश्यक शक्तियां प्रदान करना है और इसी कारण यह संशोधन लाया गया है। मैं माननीय सदस्यों से इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे सरकारी तथा सुरक्षा विभाग की भूमि का अतिक्रमण रोकने के लिये अपने प्रभाव का उपयोग करें।

भूमि सम्बन्धी हमारी नीति अभी तक स्थायी नहीं रही है। इस सम्बन्ध में सरकार एक नीति बनाने जा रही है। इसके बाद ही भूतपूर्व सैनिकों तथा स्थानीय संस्थाओं की शिकायतो पर ध्यान दिया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खंडवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये जायें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खंड 1

श्री जे० बी० पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ट 1, पंक्ति 4,—

"1973" के स्थान पर "1974" प्रतिस्थापित किया जाये। (संशोधन संख्या 2)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र
संशोधन किया गया

पृष्ट 1, पंक्ति 1,—

"Twenty-fourth year" (चौबिसवां वर्ष) शब्द के स्थान पर "Twenty-fifth year" (पच्चीसवा वर्ष) शब्द प्रतिस्थापित किये जाये ।

(श्री जे० बी० पटनायक)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अधिनियमन सुत्र, संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिया गया
The Title was added to the Bill.

श्री जे० बी० पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक

RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के कुछ प्रावधानों का संशोधन करना है।

विधेयक द्वारा कुछ संशोधन का तात्पर्य रिजर्व बैंक से कृषि कार्यों के लिये धन प्रदान करना है । इस के द्वारा कृषि, मुर्गीपालन आदि के लिये रियायती दर पर धन प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

इसके अतिरिक्त कुछ संशोधनो का उद्देश्य बैंकिंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिये संविधिक सुरक्षा प्रदान करना है । हम "ऋण सूचना" की व्याख्या को भी इस प्रकार विस्तृत करना चाहते हैं ताकि सूचना के अन्तगत साधन, पूर्व विवरण, वित्तीय सौदों का इतिहास, ऋण लेने वाले की ऋण-पात्रता सम्बन्धी सूचना इसके अन्तर्गत आ सके ।

"निवेश" तथा "वित्तीय संख्याओ" की व्याख्या भी विस्तृत किये जाने का प्रस्ताव है । रिजर्व बैंक को ऐसी शक्तियां देने का भी प्रस्ताव है जिससे वह गैर-बैंकिंग संस्थाओं का निरीक्षण कर सके ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन नहीं कर सकता। कृषि कार्यों के लिये धन देने सम्बन्धी संशोधन प्रशंसनीय है। इसके द्वारा हमारे किसानों को कृषि उत्पादन लिये पर्याप्त सुविधायें मिलेगी।

जहां तक सूचना एकत्र करने सम्बन्धी संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं इनका विरोध करता हूँ। यदि बैंक अपनी गुप्त सूचनायें रिजर्व बैंकों को दें, तो यह अवश्य ही एक गम्भीर मामला है। गैर-सरकारी बैंकिंग संस्थाओं का निरीक्षण करने सम्बन्धी व्यवस्था भी खतरनाक है।

रुपये के भीतरी तथा बाहरी मूल्य को स्थायी रखना रिजर्व बैंक का पहला कर्तव्य है। रुपये का मूल्य आज 25 पैसे रह गयी है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक के कार्यकरण पर संदेह होता है। मेरा सुझाव है कि संसद को एक ऐसे आयोग की स्थापना करनी चाहिये जो रिजर्व बैंक के कार्यकरण की जांच करे। रिजर्व बैंक के कार्यकरण के सम्बन्ध में सरकार को एक विस्तृत विधेयक लाना चाहिये। यह विधेयक रिजर्व बैंक के कार्यकरण को सुधारने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता। मेरा अनुरोध है कि इस हेतु एक विस्तृत विधेयक लाया जाये।

श्री नुरूल हुडा (कछार): मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि इन संशोधनों का उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए रिजर्व बैंक से पुनर्वित के कार्य में विस्तार करना, सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों के संबंध में मुख्य सहकारी बैंको को रियायती दर पर पुनर्वित की सुविधा देना तथा रिजर्व बैंक को मत्स्य विकास के लिए वित्त पोषण की अनुमति देना है। इसके अतिरिक्त एक अन्य संशोधन भी है जिसका उद्देश्य बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं के जमाखातों तथा ऋणों के सबंद्ध रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम के नियमन प्रावधानों को कठोर बनाना है। इन को संशोधनों के संबंध में हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा बार बार लाए जाने वाले इन संशोधनों में कोई सार नहीं। रिजर्व बैंक प्रमुख वित्तीय संस्था है इसका एक कार्य धन और ऋण का विनियमन और नियंत्रण करना है ताकि अर्थव्यवस्था का स्थायित्व बनाये रखा जा सके। परन्तु स्थिरता कहां है। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। गत 15-20 वर्षों में ऋण की व्यवस्था ऐसी रही है जिससे बड़े बड़े व्यापारीयों को ही लाभ हुआ है। इस बात को स्वयं सरकार तथा रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया है। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि "कृषिकार्यों" के दायरे को बनकर उसने पशुपालन, डेरी और मर्गीपालन आदि को शामिल कर लिया गया है परन्तु वास्तव में रिजर्व बैंक द्वारा तथा अन्य सहकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला ऋण साधारण जनता को नहीं मिलता। देश की 60 से 70 प्रतिशत जनता अत्यन्त निर्धन है और उनके पास बहुत थोड़ी भूमि है। बैंक राष्ट्रीयकरण के बावजूद और रिजर्व बैंक की ऋण नीति के होत हुए भी निधन और धनी वर्गों के बीच का अन्तर बढता ही चला जा रहा है। हमे इसमें तनिक भी सन्दह नहीं है कि इन संशोधनों को लागू कर देने के पश्चात् भी अन्तर में कमी नहीं होगी। यह अन्तर तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक मुख्य आर्थिक सिद्धान्तों और नीतियो को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये क्रियान्वित नहीं किया जाता।

इस लिए हमारी मुख्य आलोचना क्रियान्वयन के संदर्भ में है। संशोधनों में कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न यह है कि इन्हें कौन लागू करेगा और कब लागू किया जाएगा, कार्यान्वयन तंत्र सरकार की नीतियों की परवाह नहीं करता।

रिजर्व बैंक लगभग 22 मदों के संबंध में सहायता देता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान केरल के नारियल जटा उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केरल के नारियल जटा उद्योग से हमें बहुत विदेशी मुद्रा मिलती है और उद्योग में राज्य के हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है किन्तु केरल में इस उद्योग को ऋण तथा अन्य रियायती सुविधाएं प्राप्त नहीं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह केरल में इस उद्योग को सहायता प्रदान करें।

[श्री नुरुल हुडा]

इन संशोधनो में कृषि ऋण व्यवस्था को नया रूप दिए जाने का कोई संकेत नहीं ताकि सहकारी समितियों को आर्थिक रुप से समर्थ बनाया जा सके। मंत्री महोदय द्वारा बताए गए उद्देश्यों से मैं सहमत हूं लकिन जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है इसकी अभी भी उपेक्षा की जा रही है। इस तथ्य के बावजूद कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र पर करोड़ों रूपया व्यय किया गया है किन्तु परिणाम फिर भी पूर्णतया निराशजनक रहे है इसका मुख्य कारण हमारी 60 प्रतिशत गरीब जनता है जोकि गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन कर रही है जिसके पास भूमि नहीं, कुछ अन्य ऐसी वस्तु नहीं जिसे प्रतिभूति के रूप में रखे या गिरवी करां के ऋण ले सके। ग्रामों में रहने वाले इन लोगों को सहकारी समितियों से किसी प्रकार की सहायता या ऋण नहीं प्राप्त होता, कोई ठीक तरह नहीं जानता कि यह धन कहा जाता है। कुछ धन का तो प्रत्यक्ष रूप में दूर्विनियोग हो रहा है। कुछ धन राज्य राजकोष या केन्द्रीय राजकोष में हो सकता है, लौटाया जाता हो लकिन निर्धन कृषकों को इससे कुछ लाभ नहीं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गरीब कृषकों की जो हालत 20 वर्ष पहले थी वह अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं उसमें कोई सुधार नहीं हुआ।

जहां तक इन संशोधनों का संबंध है उसमें कोई खास बात नहीं है। कार्यान्वियन तंत्र में सुधार बिलकुल नहीं किया जा रहा ताकि निर्धन तथा मध्यम वर्ग को रिजर्व बैंक और अन्य बकिंग संस्थाओं का लाभ हो सके

इन शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : इस विधेयक के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं और न ही सरकार से हमारा इन संशोधनों पर कोई मतभेद है किन्तु जैसाकि पहले कहा गया था कि मुख्य प्रश्न यह है इस बात की क्या गारंटी है कि इन प्रशंसनीय सिद्धान्तों को क्रियान्वित किया जाएगा। रिजर्व बैंक अपने पहले कार्यों को करने में ही असफल रहा है।

रिजर्व बैंक साहूकारों का बैंक है। इसका कार्य मुद्रा को स्थिरता बनाना है। आजकल जबकि देश में गंभीर मद्रास्फीति है इसका महत्व और भी बढ जाता है। हमें आशा नहीं कि रिजर्व बक इस विधेयक के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने में सफल होगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि रिजर्व बक इस विधेयक से उल्लिखित उद्देश्यों को क्रियान्वित करेगा। रिजर्व बैंक आफ इंडिया का पुर्नगठन किया जाना चाहिए, बैंक के वर्तमान निदेशक बोर्ड का पुर्नगठन किया जाए और रिजर्व बैंक के सभी स्तरों पर कर्मचारियों की बात पर ध्यान दिया जाए। इससे शायद सरकार द्वारा बताए गए सिद्धान्तों को लागू करने की गारंटी मिल जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में और अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना है यह एक बहुत अच्छी बात है। सरकार नें जब वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तब सरकार ने कहा था कि इससे देश की वित्तीय संस्थाओं को एकाधिकार गृहों के प्रभाव से मुक्त किया जा सकेगा। आज सरकार दावे से नहीं कह सकती कि वह अपने उद्देश्यों में सफल हुई है। आज जबकि देश में मुद्रास्फीति की स्थिति है सरकार ने ऋण देने पर रोक लगा रखी है तब भी वर्ष 1972 में वाणिज्यिक और अनुसूचित बैंकों द्वारा 6564 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। ऋण मुख्यत: एकाधिकार गृहों द्वारा लिया गया है। यह ऋण सहकारी क्षेत्र या जनसाधारण या भूमिहीन लोगों को जिनके पास सम्पत्ति नहीं है, नहीं मिला है। इन लोगों को बैंक से ऋण आसानी से नहीं मिलता। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आप यह ऋण नीति अपना रहे हो और यह नीति रिजर्व बैंक बिना किसी झिझक के अपना रही है। मेरा निवेदन है कि रिजर्व बैंक को संसद के प्रति उत्तर-दायी बनाया जाए। इस दृष्टि से यह विधेयक ओर विस्तृत होना चाहिए था। इसमें व्यवस्था की जाए कि बैंक संसद के प्रति उत्तरदायी हो और वर्तमान निदेशक बोर्ड का नया ढांचा बनाया जाए।

मुझसे पूर्व वक्ता ने केरल के जटा उद्योग के बारे में उल्लेख किया है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के खण्ड 17(2) (ख) में छोटे पैमाने तथा कुटीर उद्योगों को ऋण संबंधी रियायतें देने की व्यवस्था है। ऐसा पारंपरिक उद्योगों के विकास में सहायता देने हेतु किया गया है। हथकरघा उद्योग को भी इस प्रकार का वित्त दिया जाता था सरकार ने बाद में 22 और उद्योगों को इसमें शामिल कर लिया लकिन नारियल जटा बोर्ड को फिर भी शामिल नहीं किया गया। राज्य सभा में इस संदर्भ में हो रहें वाद-विवाद का उत्तर देते समय मंत्री महोदय श्री के० आर० गणेश ने कहा था कि नारियल जटा उद्योग को उद्योगों की उस सूची मे शामिल किया जाएगा जिनको रियायती दरों पर ऋण मिलता है। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन फरवरी में दिया था और अब वर्ष खत्म होने को है मैं यह जानना चाहता हूं कि उस आश्वासन का क्या हुआ? क्या सरकार अपना वचन पूरा करने जा रही है? मैं इस बात पर इस कारण जोर दे रहा हूं क्योंकि केरल सरकार ने इस उद्योग के लिए केन्द्रीय सरकार को 15 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की है। नियमानुसार इस उद्योगों को सहकारी समितियों से ऋण मिलेगा क्योंकि यह उद्योग सहकारी क्षेत्र के अतर्गत आएगा। रिजर्व बैंक सहकारी क्षेत्रों को ऋण देने से इस आधार पर इन्कार कर रहा है कि यह सहकारी समितियां हैं।

अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह सदन में आश्वासन दें कि सरकार नारियल जटा उद्योग के संबंध में अवश्य कुछ करेगी।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सुबह मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव सभा पटल पर रखा था। अध्यक्ष महोदय ने इस पर पुन: चर्चा को इसलिए आस्थगित कर दिया क्यों कि गृह मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य शामको पांच बजे देने वाले है मेरा अनुरोध है कि वह वक्तव्य अभी दे दें क्योंकि शामको मुझे एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पटना जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. deputy speaker, Sir, I want to raise a point of order

During the last session we were given an assurance that House will be taken in confidence regarding the matter. The statement should have actually been laid yesterday. What is the difficulty in presenting it at 5 'O Clock ?

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने मुझे बताया है कि वह वक्तव्य 5 बजे नहीं अपितु 5½ बजे देंगे। अन्य बातों को वक्तव्य के आने पर लिया जाएगा।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagore) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the objects of the Bill are laudable. One of the objects of the Bill is to secure credit facilities for increasing the agricultural output. The Reserve Bank has been allowing short term loans hithers to through the cooperative banks. Such short term loans are now being changed into financing, for agricultural produce. This decision of the Reserve Bank of India is the prime need of the day.

When we talk of agriculture we talk of activities allied to agriculture such as poultry farm, pisiculture, animal husbandary, etc. Thousands of people are engaged in it. Their necessities are manifold. But their main need is credit. There are so many landless labourers in the country and a number of people have very small piece of land. All of them will be benefited by this programme. I therfore, welcome this measure. In our country small people rear sheep and prepare wool. But price of wool has fallen from Rs. 750-800 to Rs. 350-400 during the last 7-8 months. Wool export has been stopped and locul industries are not purchasing wool. With the result prices have gone down and it has adversely affected the people who rear sheep. The Finance Ministry and Commerce Ministry should look into the matter. Price of cotton has also fallen. If price of cotton is not kept at proper level, cotton production will be adversely affected

[Shri Nathu Ram Mirdha]

If reasonable price level in respect of commodities, like sugarcane, cottont animal husbandry products are not maintained at reasonable level every year, production will be affected next year. A long range policy in respect of these commodities should be formulated from the point of view of finance, taxation and production.

The amendment meant to provide finance to agriculturists should make credit easily available to farmers so that agricultural production increases. I welcome this Bill because it is hoped that it will help small people in making their contribution towards increasing production.

***श्री जे० माता गौडर (नीलगिरी)** : उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहला मैं श्री सी० सुब्रहमण्यम को उनके वित्त मंत्री बनने पर बधाई देता हूं। उनका संबंध एक प्रसिद्ध खेतिहर परिवार से है और उन्हें कृषि के संबंध में काफी अच्छा ज्ञान है अत: वह देश की कृषि संबंधी समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकते है। वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने रिजर्व बैंक की ऋण नीति की घोषणा की और इसमें ऋण सुविधाओं के विस्तार के मामले में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस विधान में 'एपेक्स' सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर पुर्नवित्तीय सुविधाएं देने की व्यवस्था है। लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार होता है इस बारे में मुझे व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मैं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष होने के साथ साथ राज्य सहकारी बैंक का निदेशक भी हूं। यद्यपि ऐसे विधान किसानों के हित और उनके कल्याण के लिए बनाए जाते हैं तो भी उनका लाभ किसानों तक बिल्कुल नहीं पहुंचता। क्योंकि उनतक पहुंचने के लिए मार्ग में कई कठिनाइयां है। इन विधानों की क्रियान्विति में साधारण कठिनाइयों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने भी अनेक आदेश जारी किए हैं जिनका निवारण करना आसान नहीं है।

इस बारे में मैं आपको एक-दो उदाहरण और दे सकता हूं। जैसे वर्षा न होने पर किसान बैंक द्वारा लिए गए ऋण को समय पर नहीं लौटा सकता अपितु ऐसे समय में उसे और धन की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए उसे पुन: उधार लना पड़ता है। ऐसी बिकट स्थिति में अगर वह अपने सारे जेवरात लेकर बैंक जाता है तो भी उसे ऋण के रूप में सारी सम्पति के मूल्य का 5 प्रतिशत ही ऋण मिलता है जो कि बहुत ही कम है इसलिए उसे साहूकारों की शरण लेनी पड़ती है जो 35 प्रतिशत तक उनसे ब्याज वसूल करते हैं आप उनकी दुर्दशा का आसानी से अन्दाजा लगा सकते हो। इस विषयक को मैंने उच्च अधिकारियों तक उठाया और बहुत संघर्ष के बाद रिजर्व बैंक ने यह सीमा बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी किन्तु यह भी पर्याप्त नहीं।

खेतिहरों की एक और अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। उदाहरण के लिए 100 सदस्यों ने कृषि ऋण समिति से ऋण लिया है उसमें से 49 ने ऋण की राशि समय पर वापस कर दी और बाकी 51 कुछ सही कारणों की वजह से जैसे समय पर वर्षा न आने की वजह से ऋण नहीं लौटा पाए तो ऐसे संदर्भ में रिजर्व बैंक ने यह अनुदेश जारी कर रखे है कि यदि कृषि ऋण समिति के ऋणों की बकाया राशि 50 प्रतिशत है तो ऐसी अवस्था में वह पुन: ऋण नहीं देगी मैं यह चाहता हूं कि यह 50 प्रतिशत की सीमा घटा कर 25 प्रतिशत कर दी जाए ताकि उन लोगों को जिन्होंने समय पर ऋण की राशि अदा कर दी है पुन: ऋण प्राप्त हो सके।

अन्त में मैं छोटे कृषकों की वित्तीय समस्याओं को लेता हूं। हमारे देश में छोटे चाय बागान उगाने वाले विशषकर निलगिरी में छोटे बागान उगाने वाले सहकारी बैंकों से दीर्घावधि ऋण लेते है क्योंकि उन्हें लाभ 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि बाद प्राप्त होते हैं अचानक रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी किया है कि उन्हें एपेक्स सहकारी समितियों के बजाय लैण्ड मारगेज बैंको से ऋण लना चाहिए। सदन को मालूम होगा कि लैण्ड मारगेज बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयां हैं। छोटे चायके बागान उगाने वाले अपना निर्वाह ही कठिनाई से कर पाते हैं। वे

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपांतर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

गारंटी कहां से देंगे ? उन्हें सहकारी समितियों से ऋण की सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है। छोटे चाय बागान वाले देश के लिए काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अनुदेश दें कि छोटे चाय-बागान के उगाने वालों को सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण की सुविधाए प्रदान की जाएं। इन शब्दोंके साथ मैं समाप्त करता हूं।

Shri Nathu Ram Ahirvar (Tikamgarh) : I welcome the Bill. It is for the first time that the Reserve Bank has paid attention towards small farmers. The banks have given benefits so far to only 10 to 15 per cent big farmers, but the marginal farmers have not been benefited by them. Out of the loans given by banks, 70 per cent have been given in urban areas and 30 per cent in rural areas and out of that 30 per cent, only 5 per cent loans have been given to small farmers. Land Mortgage Banks issue loans on such lands which have no value at all. It is because the valuers are the agents of those banks. The Government should get physical verification done in this matter. The Government should pay greater attention towards the small farmers.

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाईसेन्सो संबंधी मामला

गृह मंत्री (श्री के० ब्रम्हानंद रेड्डी) : महोदय, स्मरण होगा कि जांच के परिणाम-स्वरूप 420 (धोखाघडी), 467 (जालसाजी), 471 (जाली कागजातों को असली कागजातों के रूप में प्रयोग करना), तथा 162 (सरकारी कर्मचारियो को प्रभावित करने के लिये परितुष्टि लेना) के साथ पठित भारतीय दंडसंहिता की धारा 120 ख के अधीन एक मामला 2-9-1974 को केन्द्रीय जांच ब्यूरों (एस० पी० ई०) द्वारा यानम तथा माहे के कुछ आयातकों को लाइसेंस जारी करने के संबंध में दर्ज किया गया था।

2. जांच पडताल के दौरान यह देखा गया कि 1-11-1954 को जब भूतपूर्व फ्रांस की बस्तियों अर्थात पांडिचेरी, करैकल, यानम तथा माहे और चन्दरनगर को वस्तुत: भारतीय संघ में मिला दिया गया था तो तत्कालीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इन संघ राज्य क्षेत्रों के लिये आयात तथा निर्यात अधिनियम के उपबन्धो को लागू करते हुये अधिसूचना जारी की थी। फ्रांस की भूतपूर्व बस्तियों के सभी स्थापित आयातकों को विशेष अतिरिक्त लाइसेंस जारी करने की सुविधायें देते हुए 11-6-1955 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। क्यों कि सार्वजनिक सूचना में केवल पांडिचेरी तथा कैरकल का उल्लेख किया गया था, अत: 20-12-1955 को दूसरी सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें विशेष रूप से यानम तथा माह को आयातकों के सबंध में भ्रान्ति दूर करने तथा 30-12-1955 तक उन्हें अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान किया गया था। सात व्यापारियों नामत: एस० गणपती राव, ए० एम० अबुबकर, एस० मोहम्मद जकरिया मारीकर, ए० मारीमुथु रेडियार, आर० मुथथयान, कुमारन स्टोरस तथा एस० चिदम्बारम, ने सितम्बर, 1956 में कोटा स्थापित करने तथा जनवरी 1957 में विशेष अतिरिक्त लाइसेंस के लिये अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे। विशेष अतिरिक्त लाइसेंसों के लिये उनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गये थे। क्यों कि उस समय तक नीति केवल पुनरावृत्ति के आधार पर ऐसे लाइसेंस जारी करने की थी। 1969 में आयातकों के एक दल ने जिसमें उपरोक्त

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

7 व्यापारी सम्मिलित थे, एक समिति नामत: यानम एंड माहे मर्चन्टस् (इम्पोर्टर्स) एसोसिएशन बनाई और श्री० एस० एम० पिल्ले को मंत्री मनोनीत किया गया। 7 व्यापारियों में से तीन ने रिट याचिकाए भी दायर की जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा को 11-9-1972 अपनीत के रूप में खारिज कर दिया गया था।

3. श्री एस० एम० पिल्ले इस मामले में दिलचस्पी लेते रहे। मार्च 1971 में गुरबचन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने श्री एस० एम० पिल्ले की श्री तुलमोहन राम से भेंट कराई। श्री पिल्ले के अनुसार, श्री तुलमोहन राम ने बातचीत के दौरान जिसमें श्री योगेन्द्र झा न भी भाग लिया था, उनको बताया कि वे अपने निजी प्रभाव से काम करवा देंगे किन्तु उन्हे 50,000.00 रु० की रकम देनी होगी। श्री तुलमोहन राम ने 7-4-1971 को विदेश व्यापार मंत्री को आयातकों की ओर से श्री एस० एम० पिल्ले की तारीख 2-4-1971 की एक याचिका प्रस्तुत की। किन्तु यह याचिका स्वीकार नही की गई। श्री तुलमोहन राम ने श्री एस० एम० पिल्ले को एक नई याचिका तयार करने के लिये कहा और उन्हें अपने नाम का लेटर हेड श्री एस० एम० पिल्ले को दिया। इस लेटर हेड पर एक नई याचिका टाइप कराई गई और श्री पिल्ले द्वारा श्री तुलमोहन राम को दी गई। यह वह याचिका है जिस पर श्री तुलमोहन राम के हस्ताक्षर और 20 अन्य संसद सदस्यो के जाली हस्ताक्षर हैं।

4. जांच पडताल के दौरान श्री बी० लाल सरकारी परीक्षक विवादास्पद दस्तावेज शिमला की राय ली गई। उनकी राय तथा दूसरे साक्ष्य के प्रकाश में यह विश्वास करने के लिये पर्याप्त आधार है कि 20 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर जाली थे और हस्ताक्षरों में 14 श्री योगेन्द्र झा तथा 2 तुलमोहन राम द्वारा किये गये थे। शेष 4 के संबंध में स० प० बि० द० की राय निश्चित नहीं थी। और पर्याप्त मौखिक तथा लिखित साक्ष्य भी रिकार्ड में यह सिद्ध करते है कि श्री तुलमोहन राम तथा श्री योगेन्द्र झा श्री पिल्ले से मिला करते थे। और श्री पिल्ले ने श्री तुलमोहन राम को अन्य छोटी रकमो के अतिरिक्त 70,000 की एक रकम दी थी। श्री गुरबचन सिंह ने भी जिसने श्री एस० एम० पिल्ले की श्री तुलमोहन राम से भेट कराई थी श्री एस० एम० पिल्ले से 40,000 रु० का एक प्रोनोट प्राप्त किया था।

5. उपरोक्त साक्ष्य में जैसा कहा गया है प्रत्यक्षत: एक आपराधिक षड़यन्त्र तुलमोहन राम, योगेन्द्र झा, गुरबचन सिंह और एस० एम० पिल्ले के बीच हुआ था और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अपेक्षित एक आरोप पत्र भी श्री तुल मोहन राम, श्री योगेन्द्र झा और गुरबचन सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 162, 163, 468 और 471 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120ख के अधीन 11-11-74 को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया था। श्री तुलमोहन राम पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468, 471/468, 162 तथा 163 के अधीन दण्डनीय ठोस अपराधों के आरोप भी लगाये गये हैं जबकि योगेन्द्र झा और गुरूबचन सिंह के बिरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 471, 162 और 163 के अधीन अपराध उकसाने के आरोप लगाय गये हैं। श्री तुलमोहन राम और श्री योगेन्द्र झा को गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर रिहा कर दिया गया। श्री एस० एम० पिल्ले मुखबिर बन गये हैं और तदनुसार अदालत द्वारा माफी प्रदान कर दी गई है। श्री गुरबचन सिंह का अभी तक पता नहीं लगा है। जांच पड़ताल से यह प्रकट नही हुआ कि जांच करने वाले अधिकारियो में कोई अधिकारी अपराध में अन्तर्ग्रस्त था।

6. मामले की जांच-पड़ताल के दौरान 29,15,119 रु० के कुल मूल्य में से 26,16,262 रुपये के मूल्य के लाईसेन्स कब्जे में कर लिये गये हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सूचना प्राप्त होने पर वाणिज्य

मंत्रालय से आदेश जारी किये गये हैं कि शेष लाइसन्सों पर कोई सौदे न किये जाय । इस प्रकार इनमें से कोई लाइसेन्स किसी प्रयोजन के लिये अब प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है । सभी संबंधित फर्म विद्यमान हैं जो उस समय आयतकों के रूप में स्थापित हुई थी । फिर भी इस प्रश्न पर कि क्या इन लाइसेन्सो का लेन देने इस लाइसन्सों की स्वीकृति की शर्तों अथवा आयात व निर्यात नियंत्रण अधिनियम से संबंधित उपबन्धों का उल्लंघन करता था । विचार किया जा रहा है ।

7. कानून में अपेक्षित है कि प्रत्येक आपराधिक जांच-पड़ताल बिना विलम्ब के पूरी की जाय और जैसे ही वह पूरी हो जाती है जांच अधिकारी अपराध पर ध्यान देने वाले सक्षम मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र में साधारणतया उल्लिखित सभी संगत ब्यौरे भेजेगा । केन्द्रीय जांच ब्यूरों के जांच अधिकारी ने कानून की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The hon. Minister has not replied to any of my points . The licences have been issued to firms on the recommendations of some important persons. The impounding of the licences clearly shows that they were bogus firms. The rules have been violated in this matter. So my privilege Motion should be taken into consideration.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The hon. Minister has stated nothing with regard to the points raised by some of the members. The Hon. Minister could have read the reports earlier. He should reply to all the points raised by all of us.

Mr. Madhu Limaye : He has not replied to any of the points raised by us.

Mr. Speaker : Which points ?

Mr. Madhu Limaye : Prof. D. P. Chattopadhyaya had stated that licences have been issued to some established importers and no irregularities had been committed in this matter. But then what was the necessity of impounding the licences? It has been done because they were bogus firms. The hon. Minister should give clear reply in this matter.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आज सुबह विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । सरकार ने इस बात का उत्तर नहीं दिया है कि उसने अपने वायदों और आश्वासनो का पालन क्यों नहीं किया ? सदन की बैठक सायं 6 बजे स्थगित होनी है और सायं 5-30 बजे वक्तव्य देने की बात कही गई है जिससे हमें इस पर विचार करने का समय न मिल सके । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार सभा के अधिकारों का हनन किया जा सकता है ? मैं इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं । यह विशषाधिकार के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है ।

वक्तव्य के अन्तिम पैरा में केन्द्रीय गुप्तचर अधिकारी ने अप्रिय और अपमानजनक टिप्पणी की है । वक्तव्य में कहा गया है कि संसदीय जांच से न तो तथ्यो का ही पता लग सकता है और न ही श्री तुलमोहन राम द्वारा अपराध स्वीकार कराया जा सकता है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । भूतपूर्व गृह मंत्री ने सदन में यह स्पष्टतया कहा था कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के तथ्यो के बारे में विस्तार से वक्तव्य देकर सभा की इच्छा को पूरा करेंगे ।

क्या आप इस वक्तव्य से सन्तुष्ट हैं ? उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि इन लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया गया था । लेकिन बाद में पता चला कि यह तथ्य नहीं था ।

माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर सदस्यों की राय जाननी चाहिये ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री रेडडी द्वारा दिये गये वक्तव्य की आपके निर्देश से कोई संगति नहीं है। वह यह वक्तव्य कल दे सकते थे अथवा सुबह 10 बजे या 12 बजे अथवा शाम को दे सकते थे। इस सम्बन्ध में गलत कार्यवाही की गई है और वक्तव्य उचित समय पर नहीं दिया गया है ।

श्री तुलमोहन राम को आड़ में अनेक व्यक्तियो को, जिनमें दो मंत्री और अनेक अधिकारी भी शामिल है, बचाया गया है ।

यह सर्वविदित है कि उनमें से अनेक फर्में जाली हैं और यह सब रिश्वत लेने के लिये किया गया है और यह रिश्वत सरकार के ही कुछ मंत्रियों ने ली है। हम इस मामले की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि पैसा किसने लिया और उसका उपयोग कैसे किया गया ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The points raised by the Members have not beeen replied by the Minister. If he had to read the report only that could have been done in the morning. He has been specifically asked to make the statement in the evening so that those points may not be covered. But there is no reply to those points in this statement.

The statement made by the Home Minister is incomplete and it does not cover all the points. It confirms our suspicion that shri Tul Mohan Ram is being made a scapegoat in order to save other persons involved in the deal.

The Home Minister has stated that C.B.I. has expressed the view that no officer was involved in the commission of the offence. But what about those two Ministers? It appears that C.B.I. has not made any investigation in this regard.

I want to know when the licences were not issued to bogus firms what was the necessity of impounding those licences?

I could not understand why Shri Pillai had been set free?

The Speaker should give a decision in regard to the privilege motion and also provide an opportunity for a full discussion on this matter. By sending the case to the Court a discussion could not be prevented.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : All that the C.B.I. report has disclosed is the part played by Shri Tul Mohan Ram in this affair. But all the facts of the case have not yet come to light. Therefore, the hole matter should be re-investigated and found the persons responsible for granting licences. Otherwise the dignity of the House would be at stake. A full discussion in this matter should be allowed so that the facts may come to light.

श्री श्यामनन्द मिश्र (बेगुसराय) : सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहूंगा कि इसे वक्तव्य समझा जाए अथवा जांच प्रतिवेदन। जांच प्रतिवेदन के सार के रूप में भी यह बेकार और अपूर्ण है।

माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि अभी भी चार हस्ताक्षरों के बारे में सन्देह है। यदि यह जांच प्रतिवेदन है तो उन सदस्यों के नाम क्या हैं। जब तक यह मूल जानकारी नहीं दी जाती तब तक इस प्रतिवेदन को जांच प्रतिवेदन नहीं समझा जा सकता ।

गृह मंत्री 'सुस्थापित आयातक' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या जांच अधिकारी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर सकता है ? यदि जांच अधिकारी ने यह सिद्ध किया है कि वे 'सुस्थापित आयातक' थे तो यह जांच अधिकारी बेइमान है। हमारे पास पूरी जानकारी है वे 'सुस्थापित आयातक' नहीं थे ।

गृह मंत्री ने येनम और माहे मर्चेन्टस एसोसिएशन का उल्लेख किया है। कम्पनियों और फर्मों के रजिस्ट्रार के पास इस प्रकार की कोई एसोसियेशन रजिस्टर्ड नहीं है। इस मामले में हमने अपनी जांच कर ली है ।

गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन पूर्ण रूप से पूरे नहीं किये गये हैं। उन्होंने कहा था कि जांच पूरी हो जाने पर संसद् में रिपोर्ट रखी जायेगी। आगे की कार्यवाही करने से पूर्व सरकार को संसद् को इस बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिये थी। लेकिन सरकार अजीब ढंग से न्यायालय में पहुंच गई है। यह सब बड़े सन्देहात्मक ढंग से किया गया है। अत: सरकार ने इस प्रकार सभा में दिय गये वचनों का उल्लंघन किया है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गृह मंत्री के वक्तव्य से इस मामले में व्याप्त हमारी सारी शंकाएं ठीक सिद्ध हुई हैं। सरकार ने इस मामले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है। पूरे मामले को अध्यक्ष महोदय पर छोड़ दिया गया है और अब उन्हें इस बात पर निर्णय लेना है कि इस मामले में क्या किया जाये। हम इस मामले का निर्णय सरकार पर छोड़ना नहीं चाहते।

गृह मंत्री श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : अधिकांश सदस्यों ने भूतपूर्व गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों का उल्लेख किया है। तथ्य यह है कि सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार की कार्यवाही जांच के पूरे हो जाने के बाद आरम्भ होती है। सी० बी० आई० की जांच के बाद उसकी रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय इस मामले में आगे जांच करने को कह सकता है अथवा किसी विशेष अपराधों के विरुद्ध आरोप-पत्र स्वीकार कर सकता है।

Shri Madhu Limaye : The Minister need not tell us legal procedure which we already know. He should instead tell what action has been taken against the officers of the Import Controller's Office and what has been the result of the raid made on the Indo-Bangla Desh Trading Corporation ?

श्री समर गुहा : माननीय मंत्री ने बताया है कि वह यह नहीं समझ सके कि उन्हें क्या जानकारी चाहिये। लेकिन भूतपूर्व गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे सी० बी० आई० द्वारा की गई जांच की पूरी जानकारी सदन को देंगे। अत: वह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें उनकी बात स्पष्ट नहीं है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह आश्वासन देने का प्रश्न नहीं है। सरकार का कोई भी जानकारी दबाने का इरादा नहीं है।

वास्तविक बात यह है कि जांच अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना पड़ता है (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : अभी अभी मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि कानूनी मजबूरी के कारण जांच करनी पड़ी। अत: इस मामले को सदन में नहीं लाया जा सका। लेकिन भतपूर्व गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जांच पूरी हो जाने पर वह संसद् के सामने आयेंग और संसद् की इच्छानुसार इस मामले में आगे कार्यवाही करेंगे। या तो वर्तमान मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं है या वह संसद् को गुमराह कर रहे हैं। तकनीकी कठिनाईयां तब भी मौजूद थी जब श्री उमा शंकर ने वक्तव्य दिया था।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : इस मामले में हम आपका संरक्षण चाहते हैं। ये काननी और तकनीकी कठिनाइयां तब भी मौजूद थी जब उक्त मामला उठाया गया था। हम इस सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं। हमें कानूनी कठिनाइयों में कोई रूचि नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या जांच पूरी करने के बाद इस मामले को न्यायालय में ले जाया जाना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सच नहीं है कि अनेक मामलो में जांच प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् सरकार द्वारा उन मामलों को न्यायालय के समक्ष नहीं ले जाया गया। ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं यह स्वयं सरकार को ही विदित होगा अन्य किसी को नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत बनायें।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : इस मामले को न्यायालय में भेजे जाने के बारें में आपत्ति की जा रही है। इस सम्बन्ध में विपक्षी-दल के नेताओं ने संसदीय जांच की मांग कर ली। उस सन्दर्भ में

[श्री एच० के० एल०भगत]

गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह कभी नहीं कहा था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच को बन्द करने के लिये कहा जायेगा अथवा इस मामले को न्यायालय में नहीं भेजा जाएगा। संसद कानून से अप नहीं है **(व्यवधान)**

तीसरे, श्री वाजपेयी ने कहा कि श्री दीक्षित के चयन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा किन्तु जब उन पर मुकदमा चलाया गया है तो अब कहा जा रहा है कि श्री तुलमोहन राम को बली का बकरा बनाया जा रहा है। **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि इस मामले में कुछ अन्य व्यक्तियों का भी हाथ है। सम्भव है ऐसा हो किन्तु वे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय में मुकदमा जाने का यह अर्थ नहीं है कि अन्य आरोप लगाये ही नहीं जा सकते **(व्यवधान)** उनमें से एक इकबाली गवाह बनाया है और ऐसी स्थिति में दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध दिये गये उसके बयान को स्वीकार्य नहीं समझा जाता। **(व्यवधान)** मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस मुकदमे के कारण उन तीन व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाये जाने के बारे में कोई पाबन्दी नहीं है। पुलिस अनुपूरक आरोप लगा सकती है।

श्री समर गुह (कंटाई) : मूल प्रश्न यह है कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो से पहले संसद् के सामने आया था। अतः क्या संसद को यह अधिकार है कि इस मामले के न्यायालय में जाने के बाद भी वह इस पर विचार कर सके ? वास्तव में सरकार इस थापड को दबाना चाहती है तथा उसके लिये सरकार ने यह तरीका निकाला है और मामले को न्यायालय में भेज दिया है ताकि संसद में उस पर चर्चा न की जा सके।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : महोदय, क्या आपने श्री उमाशंकर दीक्षित द्वारा दिया गया आश्वासन नहीं पढ़ा ?

अध्यक्ष महोदय : आश्वासन बड़ा स्पष्ट था। यह मामला चूंकि संसद-सदस्यों से सम्बन्धित था अतः सभा को इसकी जानकारी थी **(व्यवधान)** यदि इस मामले में किसी अन्य व्यक्तियों का हाथ होता तो स्थिति भिन्न होती। सभा जानना चाहती थी कि इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जानकारी प्राप्त होने बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकती है।

अब कठिनाई यह कठिनाई उपस्थित हुई है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सभा को जानकारी देने के बजाय मामले को सीधे न्यायालय में भेज दिया है। मंत्री महोदय का कहना है कि यह उनकी शक्ति से बाहर की बात थी।

जांच प्रतिवेदन भी आ गया है तथा उसे भी न्यायालय को भेज दिया गया है तथा अब यह तर्क दिया जा सकता है कि मामला न्यायालय के अधीन चला गया है। हमें माननीय संसद-सदस्यों की प्रतिष्ठा की पूरी चिन्ता है तथा इस सम्बन्ध में अवश्य कोई तरीका निकाला जाना चाहिये। सदस्यों के बारे में सभा को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिये। मंत्री महोदय के अनुसार यह उनकी शक्ति से बाहर है। कानून के अनुसार यह अनिवार्य है तथा हमारे अनुसार इस मामले में थोड़ी प्रतीक्षा की जानी चाहिये थी। मंत्री महोदय, कृपया इस मामले पर विचार करें। यह अत्यन्त अनिवार्य है कि संसद और इसके सदस्यों की प्रतिष्ठा पर कुठार घात न होने दिया जाये और यह तभी सम्भव है जब जनता के मन में कोई अविश्वास पैदा न होने दिया जाये। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे कल जनता यह कहे कि वह ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसा कार्य करते थे। अतः हमें उस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई उपयुक्त तरीका निकालना ही चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 15 नवम्बर, 1974/24 कार्तिक, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, November 15, 1974 Kartika 24, 1896 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि1—36 लोक सभा/74—17-1-75—200